सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे
2022-23

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2022-23 के लिए

बिहार सरकार

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
विनियोग लेखे का सारांश		iv-xvi
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट		xvii-xix
क्रमांक तथा अनुदान/विनियोग का नाम		
1.	कृषि विभाग	01-22
2.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	23-33
3.	भवन निर्माण विभाग	34-57
4.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	58-62
5.	राज्यपाल सचिवालय	63-65
6.	निर्वाचन विभाग	66-69
7.	निगरानी विभाग	70-71
8.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	72-76
9.	सहकारिता विभाग	77-82
10.	ऊर्जा विभाग	83-85
11.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	86-89
12.	वित्त विभाग	90-94
13.	सूद भुगतान	95-98
14.	ऋण अदायगियाँ	99-100
15.	पेंशन	101-107
16.	पंचायती राज विभाग	108-114
17.	वाणिज्य-कर विभाग	115-116
18.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	117-122
19.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	123-131
20.	स्वास्थ्य विभाग	132-169
21.	शिक्षा विभाग	170-199
22.	गृह विभाग	200-216
23.	उद्योग विभाग	217-222
24.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	223-225
25.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	226-228
26.	श्रम संसाधन विभाग	229-236
27.	विधि विभाग	237-241
28.	उच्च न्यायालय	242-243
29.	खान एवं भूतत्व विभाग	244-245

		पृष्ठ
30.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	246-251
31.	संसदीय कार्य विभाग	252-253
32.	विधानमंडल	254-257
33.	सामान्य प्रशासन विभाग	258-263
34.	बिहार लोक सेवा आयोग	264
35.	योजना एवं विकास विभाग	265-272
36.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	273-278
37.	ग्रामीण कार्य विभाग	279-282
38.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	283-286
39.	आपदा प्रबंधन विभाग	287-300
40.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	301-306
41.	पथ निर्माण विभाग	307-315
42.	ग्रामीण विकास विभाग	316-325
43.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	326-332
44.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	333-341
45.	गन्ना उद्योग विभाग	342-344
46.	पर्यटन विभाग	345-347
47.	परिवहन विभाग	348-352
48.	नगर विकास एवं आवास विभाग	353-375
49.	जल संसाधन विभाग	376-381
50.	लघु जल संसाधन विभाग	382-388
51.	समाज कल्याण विभाग	389-406
परिशिष्ट: **I**	वर्ष 2022-23 के लेखे में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए व्यय का अनुदानवार विवरण, जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी	407
परिशिष्ट: **II**	वर्ष 2022-23 के लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों का अनुदानवार विवरण	408-413

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है।

टिप्पणी

इन लेखाओं में :

''मूल'' मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

''अनुपूरक'' अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है।

''पुनर्वि०'' सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु वही मानदण्ड अपनायी गयी है, जो अविभाजित बिहार राज्य हेतु महालेखाकार (ले० एवं हक०)-I, बिहार एवं झारखण्ड द्वारा विनियोग लेखे के तैयारी करने हेतु अपनायी जाती थी।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु मानदण्ड समान्यतया उपबंध के 10 प्रतिशत अथवा नीचे दिये गये तालिका में दर्शायी गयी राशि जो भी अधिक हो बिहार राज्य के विनियोग लेखे के टिप्पणी हेतु अपनायी गयी है-

क्रम सं०	बजट प्रावधान	बचत/अधिक व्यय
1.	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख
2.	₹ 5.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख
3.	₹ 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख
4.	₹ 100.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख
5.	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
1. कृषि विभाग				
दत्तमत	37,58,29,61	6,21,32,57	20,73,73,03	4,97,71,13
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग				
दत्तमत	18,67,92,60	0	8,25,78,12	*0*
3. भवन निर्माण विभाग				
दत्तमत	9,05,76,38	56,20,88,41	7,30,02,26	29,15,96,01
4. मंत्रिमंडल सचिवालय				
दत्तमत	4,21,19,25	3,71,16,00	2,41,51,07	*0*
5. राज्यपाल सचिवालय				
प्रभारित	*36,83,32*	*0*	*22,95,00*	*0*
6. निर्वाचन विभाग				
दत्तमत	3,19,96,26	0	1,71,52,23	0
7. निगरानी विभाग				
दत्तमत	47,16,45	0	37,58,09	0
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग				
दत्तमत	2,01,78,67	0	1,38,27,14	0
9. सहकारिता विभाग				
दत्तमत	12,86,61,89	66,11,79	10,05,12,23	9,88,70
10. ऊर्जा विभाग				
दत्तमत	1,30,46,22,60	35,02,89,37	1,30,38,24,37	31,69,73,95

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
16,84,56,58	1,23,61,44	0	0
10,42,14,48	0	0	0
1,75,74,12	27,04,92,40	0	0
1,79,68,18	3,71,16,00	0	0
13,88,32	*0*	*0*	*0*
1,48,44,03	0	0	0
9,58,36	0	0	0
63,51,53	0	0	0
2,81,49,66	56,23,09	0	0
7,98,23	3,33,15,42	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग				
दत्तमत	19,70,84,09	33,50,00	16,34,54,15	*0*
12. वित्त विभाग				
दत्तमत	3,29,45,24	17,88,06,00	1,81,34,50	16,26,61,28
प्रभारित	*13,11,02,80*	*0*	*12,88,00,00*	*0*
13. सूद भुगतान				
प्रभारित	*1,63,05,03,46*	*0*	*1,51,83,53,53*	*0*
14. ऋण अदायगियाँ				
प्रभारित	*0*	*1,46,70,03,25*	*0*	*143,51,07,48*
15. पेंशन				
दत्तमत	2,54,49,49,11	0	2,31,32,47,68	0
प्रभारित	*18,44,00*	*0*	*11,21,22*	*0*
16. पंचायती राज विभाग				
दत्तमत	1,32,41,64,88	3,30,00,00	85,99,71,84	61,45,89
17. वाणिज्य-कर विभाग				
दत्तमत	1,77,47,06	0	1,41,92,90	0
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
दत्तमत	22,40,52,36	1,85,00,18	12,56,98,13	1,27,49,15
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग				
दत्तमत	7,68,73,45	40,10,27	5,73,80,67	24,93,78
20. स्वास्थ्य विभाग				
दत्तमत	1,67,78,81,23	37,78,45,97	95,87,57,67	24,26,37,57
21. शिक्षा विभाग				
दत्तमत	5,48,80,80,33	10,11,57,01	4,15,79,74,24	5,16,03,82

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
3,36,29,94	33,50,00	0	0
1,48,10,74	1,61,44,72	0	0
23,02,80	*0*	*0*	*0*
11,21,49,93	*0*	*0*	*0*
0	*3,18,95,77*	*0*	*0*
23,17,01,43	0	0	0
7,22,78	*0*	*0*	*0*
46,41,93,04	2,68,54,11	0	0
35,54,16	0	0	0
9,83,54,23	57,51,03	0	0
1,94,92,78	15,16,49	0	0
71,91,23,56	13,52,08,40	0	0
1,33,01,06,09	4,95,53,19	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
22. गृह विभाग				
दत्तमत	1,38,30,48,44	12,39,52,88	1,11,41,55,19	6,70,38,23
23. उद्योग विभाग				
दत्तमत	13,17,40,86	21,24,33,00	12,44,18,67	20,86,57,12
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग				
दत्तमत	2,37,81,29	0	1,90,41,94	0
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग				
दत्तमत	1,86,82,00	1,30,83,85	1,13,97,14	1,30,83,13
26. श्रम संसाधन विभाग				
दत्तमत	8,17,58,02	1,45,82,00	6,06,27,41	58,35,93
27. विधि विभाग				
दत्तमत	11,74,49,24	0	10,57,11,51	0
28. उच्च न्यायालय				
प्रभारित	*2,21,72,68*	*0*	*2,14,51,44*	*0*
29. खान एवं भूतत्व विभाग				
दत्तमत	56,76,54	0	37,96,80	0
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग				
दत्तमत	3,05,17,84	2,87,00,00	1,45,73,77	24,23,93
31. संसदीय कार्य विभाग				
दत्तमत	9,29,82	0	1,87,07	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
26,88,93,25	5,69,14,65	0	0
73,22,19	37,75,88	0	0
47,39,35	0	0	0
72,84,86	72	0	0
2,11,30,61	87,46,07	0	0
1,17,37,73	0	0	0
7,21,24	*0*	*0*	*0*
18,79,74	0	0	0
1,59,44,07	2,62,76,07	0	0
7,42,75	0	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
32. विधान मंडल				
दत्तमत	2,55,04,13	0	2,14,63,62	0
प्रभारित	*1,46,14*	*0*	*107,48*	*0*
33. सामान्य प्रशासन विभाग				
दत्तमत	13,45,33,57	0	10,68,39,45	0
प्रभारित	*6,42,37*	*0*	*6,19,20*	*0*
34. बिहार लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	*61,64,75*	*0*	*60,45,07*	*0*
35. योजना एवं विकास विभाग				
दत्तमत	9,45,01,04	12,94,16,00	7,25,93,03	11,17,59,98
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग				
दत्तमत	10,20,33,30	14,60,05,01	8,29,84,28	13,13,11,11
37. ग्रामीण कार्य विभाग				
दत्तमत	34,17,69,11	1,05,24,27,00	33,61,74,43	61,17,21,81
38. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग				
दत्तमत	5,31,41,12	0	4,53,85,54	0
39. आपदा प्रबंधन विभाग				
दत्तमत	47,28,43,45	1,25,00,00	31,19,10,44	0
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग				
दत्तमत	13,91,95,42	79,55,02	9,03,25,04	39,51
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	19,98,13,51	71,80,89,00	15,28,76,62	65,97,56,48

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
40,40,51	0	0	0
38,66	*0*	*0*	*0*
2,76,94,12	0	0	0
23,17	*0*	*0*	*0*
1,19,68	*0*	*0*	*0*
2,19,08,01	1,76,56,02	0	0
1,90,49,02	1,46,93,90	0	0
55,94,68	44,07,05,19	0	0
77,55,58	0	0	0
16,09,33,01	1,25,00,00	0	0
4,88,70,38	79,15,51	0	0
4,69,36,89	5,83,32,52	0	0

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)			
42. ग्रामीण विकास विभाग				
दत्तमत	2,16,95,55,58	36,00,00	1,84,11,61,61	1,28,89
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग				
दत्तमत	4,32,89,97	2,34,18,60	3,50,25,85	1,84,45,19
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग				
दत्तमत	21,14,53,32	2,00,00	16,28,08,97	0
45. गन्ना उद्योग विभाग				
दत्तमत	1,21,09,07	0	32,12,98	0
46. पर्यटन विभाग				
दत्तमत	2,15,02,94	1,70,00,00	1,76,00,09	1,10,20,05
47. परिवहन विभाग				
दत्तमत	4,12,17,98	32,00,00	2,29,83,61	7,76,00
48. नगर विकास एवं आवास विभाग				
दत्तमत	99,76,40,64	9,64,00,00	55,82,06,08	9,64,00,00
49. जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	12,43,94,51	34,86,61,50	11,43,93,96	21,92,25,33
50. लघु जल संसाधन विभाग				
दत्तमत	2,31,07,52	9,95,87,00	1,84,13,01	4,60,15,87
51. समाज कल्याण विभाग				
दत्तमत	1,32,83,00,35	2,05,02,75	1,10,06,80,04	1,85,85,48
कुल दत्तमत :	22,09,87,62,04	4,80,66,21,18	17,04,39,38,47	3,35,98,45,32
कुल प्रभारित :	*1,79,62,59,52*	*1,46,70,03,25*	*1,67,87,92,94*	*1,43,51,07,48*
कुल जोड़ :	**23,89,50,21,56**	**6,27,36,24,43**	**18,72,27,31,41**	**4,79,49,52,80**

नोटः– कुल व्यय में पूर्व वर्षों के ओ. बी. सस्पेंस की समाशोधित राशि ₹37,13,42,15 हजार शामिल है तथा इस वर्ष में ओ. बी. सस्पेंस में रखी गई राशि ₹27,25,00,48 हजार शामिल नहीं है।

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपयों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)			
32,83,93,97	34,71,11	0	0
82,64,12	49,73,41	0	0
4,86,44,35	2,00,00	0	0
88,96,09	0	0	0
39,02,85	59,79,95	0	0
1,82,34,37	24,24,00	0	0
43,94,34,56	0	0	0
1,00,00,55	12,94,36,17	0	0
46,94,51	5,35,71,13	0	0
22,76,20,31	19,17,27	0	0
5,05,48,23,57	1,44,67,75,86	0	0
11,74,66,58	*3,18,95,77*	*0*	*0*
5,17,22,90,15	**1,47,86,71,63**	**0**	**0**

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित दत्तमत अनुदान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम	अनुभाग

शून्य

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

अनुदान /विनियोग संख्या	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2022-23 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

(₹ हजार में)

शून्य

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	दत्तमत		प्रभारित	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	17,04,39,38,47	3,35,98,45,32	*1,67,87,92,94*	1,43,51,07,48
घटायें- कुल वसूलियाँ	32,50,61,48	21,86,80	*47,42*	*0*
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे खण्ड-I के विवरण 11 में दिखाया गया है ।	16,71,88,76,99	3,35,76,58,52	*1,67,87,45,52*	1,43,51,07,48

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दिये गये हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

बिहार सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान की गई लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही बिहार सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकार प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे बिहार सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए बिहार के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे सम्बंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखे वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और बिहार सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किए गए हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:

2022-23 के दौरान, कुल प्रावधान ₹3,01,686.46 करोड़ में से केवल 77.95 प्रतिशत व्यय (₹2,35,176.84 करोड़) किया गया था, यद्यपि मूल प्रावधान अर्थात् ₹2,37,691.19 करोड़ के स्तर तक व्यय नहीं पहुँचा था, फिर भी ₹63,995.27 करोड़ के अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया। प्रवृति विश्लेषण से पता चला कि, पिछले पाँच वर्षों में, वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के 65.49 से 77.95 प्रतिशत के बीच था और प्रत्येक वर्ष में अनुपूरक बजट का प्रावधान अनुपयोगी रहा।

(विनियोग लेखे का सारांश)

'मामले का महत्व' खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरा अभिमत संशोधित नहीं हुआ है।

दिनांक: 08 दिसंबर 2023
स्थान : नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुदान संख्या- 1- कृषि विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2402 मृदा तथा जल संरक्षण

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

2435 अन्य कृषि कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**30,54,31,36**	**37,58,29,61**	**20,73,73,03**	**(-)16,84,56,58**
अनुपूरक	**7,03,98,25**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**4,97,72,58**
28 जून 2022	2,76,04,14			
27 सितम्बर 2022	95,00			
21 नवम्बर 2022	31			
16 दिसम्बर 2022	3,08,51			
21 दिसम्बर 2022	1,93,38,82			
2 मार्च 2023	24,25,80			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

6401 फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	**5,30,00,00**	**6,21,32,57**	**4,97,71,13**	**(-)1,23,61,44**
अनुपूरक	**91,32,57**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**30,00,00**
28 जून 2022	30,00,00			

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,68,456.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹33,397.43 लाख), दिसम्बर 2022 (₹34,281.60 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,719.22 लाख) में प्राप्त किया गया ₹70,398.25 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹1,68,456.58 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹16,098.89 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹156.10 लाख के कारण, ₹15,942.79 लाख से कम है।

(ii)अभ्यर्पित प्रावधान (₹49,772.58 लाख), अंतिम बचत (₹1,68,456.58 लाख) से ₹1,18,684.00 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,153.34	2,153.34	1,209.90	(-)943.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-001-0011 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	49,404.62	49,948.14	31,478.56	(-)18,469.58	प्रावधान में ₹71.34 लाख की हुई वृद्धि, ₹459.34 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹388.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹300.00 लाख की वृद्धि संयुक्त कृषि भवन, मीठापुर के रख-रखाव, सुरक्षा, साफ-सफाई एवं अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹23.00 लाख की वृद्धि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹25.00 लाख की वृद्धि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिवहन/चिकित्सा भत्ता मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। ₹111.34 लाख की वृद्धि संयुक्त कृषि भवन, मीठापुर के एवं प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय कृषि भवन के रख-रखाव, सुरक्षा, साफ-सफाई एवं अन्य कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 388.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	472.18				
	पुनर्वि०	71.34				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-001-0214 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	124.50	166.00	0.00	(-)166.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	41.50				
2401-00-001-0314 राष्ट्रीय ई-शासन योजना - कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	49.75	110.67	0.00	(-)110.67	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60.92				
2401-00-102-0201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,826.60	4,913.60	1,727.96	(-)3,185.64	₹913.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)913.00				
2401-00-102-0301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,328.32	1,934.43	850.67	(-)1,083.76	₹393.89 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)393.89				
2401-00-103-0001 बीज गुणन फार्म (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,738.72	2,746.79	2,386.32	(-)360.47	प्रावधान में ₹8.06 लाख की हुई वृद्धि, ₹18.06 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹8.06 लाख की वृद्धि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किराया महसूल एवं कर, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अनुग्रह अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। ₹10.00 लाख की वृद्धि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा परिवहन भत्ता/चिकित्सा भत्ता मद में अतिरिक्त राशि की माँग के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	8.06				
2401-00-103-0109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	9,960.00	14,313.76	14,114.65	(-)199.11	₹2,293.75 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,647.51				
	पुनर्वि०	(-)2,293.75				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-103-0218 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,780.35	1,780.35	0.00	(-)1,780.35	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-103-0318 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	711.43	608.12	0.00	(-)608.12	₹103.31 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)103.31				
2401-00-104-0205 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,490.00	4,876.54	85.48	(-)4,791.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,386.54				
2401-00-104-0305 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	995.00	2,705.14	56.99	(-)2,648.15	₹545.88 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,256.02				
	पुनर्वि०	(-)545.88				
2401-00-105-0001 कम्पोस्ट खाद योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	442.53	442.53	245.82	(-)196.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-105-0207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,482.00	3,472.05	140.56	(-)3,331.49	₹1,009.95 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,009.95				
2401-00-105-0307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,791.01	803.17	47.15	(-)756.02	₹1,101.05 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	113.21				
	पुनर्वि०	(-)1,101.05				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-108-0001 जूट विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	350.02	350.02	172.10	(-)177.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-108-0220 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	498.00	498.00	0.00	(-)498.00	प्रावधान में ₹373.50 लाख की हुई कमी, ₹124.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹124.50 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹373.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	373.50				
	पुनर्वि०	(-)373.50				
2401-00-108-0320 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	199.00	257.85	0.10	(-)257.75	प्रावधान में ₹257.35 लाख की हुई कमी, ₹49.75 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹49.75 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹257.35 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	316.20				
	पुनर्वि०	(-)257.35				
2401-00-109-0103 बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,150.00	18,255.85	10,405.15	(-)7,850.70	₹1,660.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	15,765.85				
	पुनर्वि०	(-)1,660.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-109-0106 इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	18,260.00	16,936.67	16,326.15	(-)610.52	प्रावधान में ₹6,019.64 लाख की हुई कमी, ₹1,061.03 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹111.25 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹6,969.42 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹804.97 लाख की वृद्धि राज्य योजना अंतर्गत 474-ई किसान भवनों के परिचालन एवं क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारियों का संचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। ₹256.06 लाख की वृद्धि फसल सुरक्षा कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,696.31				
	पुनर्वि०	(-)6,019.64				
2401-00-109-0216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,454.00	13,280.00	176.54	(-)13,103.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,826.00				
2401-00-109-0217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,519.80	7,519.80	3,125.70	(-)4,394.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-109-0218 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,482.00	4,482.00	788.50	(-)3,693.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-109-0316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,577.01	5,532.76	136.64	(-)5,396.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	955.75				
2401-00-109-0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,004.92	3,320.00	829.02	(-)2,490.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	315.08				
2401-00-109-0318 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,791.01	2,069.03	525.39	(-)1,543.64	₹2,272.13 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,550.15				
	पुनर्वि०	(-)2,272.13				
2401-00-113-0217 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,474.00	5,466.00	1,159.73	(-)4,306.27	₹1,008.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन का कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,008.00				
2401-00-113-0317 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,587.02	1,600.00	786.30	(-)813.70	₹987.02 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)987.02				
2401-00-119-0001 उद्यान विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,084.05	2,929.00	2,049.75	(-)879.25	प्रावधान में ₹155.07 लाख की हुई कमी, ₹36.71 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹191.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹27.99 लाख की वृद्धि निदेशक, उद्यान द्वारा NICSI द्वारा नियोजित दो प्रोग्रामर के मानदेय भुगतान हेतु व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। ₹4.73 लाख की वृद्धि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं ₹3.99 लाख की वृद्धि अनुग्रह अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.02				
	पुनर्वि०	(-)155.07				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-119-0101 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	11,620.00	12,899.38	11,051.65	(-)1,847.73	₹830.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,109.38				
	पुनर्वि०	(-)830.00				
2401-00-119-0124 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,245.00	817.55	572.54	(-)245.01	₹427.45 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)427.45				
2401-00-119-0224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,482.00	4,482.00	830.00	(-)3,652.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-119-0225 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,972.00	1,008.27	0.00	(-)1,008.27	₹5,963.73 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)5,963.73				
2401-00-119-0324 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,791.01	1,325.73	553.33	(-)772.40	₹465.28 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)465.28				
2401-00-119-0325 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,786.01	0.00	0.00	0.00	₹2,786.01 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,786.01				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0106 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (राज्य स्कीम)	मूल	3,520.00	3,089.21	2,853.81	(-)235.40	प्रावधान में ₹1,231.53 लाख की हुई कमी, ₹204.55 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹21.44 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,414.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹155.18 लाख की वृद्धि राज्य योजना अंतर्गत 474-ई किसान भवनों के परिचालन एवं क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारियों का संचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। ₹49.37 लाख की वृद्धि फसल सुरक्षा कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	800.74				
	पुनर्वि०	(-)1,231.53				
2401-00-789-0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,920.00	2,760.98	2,702.97	(-)58.01	₹442.17 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,283.15				
	पुनर्वि०	(-)442.17				
2401-00-789-0120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,584.89	1,549.09	1,198.63	(-)350.46	₹35.80 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)35.80				
2401-00-789-0125 बाढ़/सुखाड़ की आपतकालीन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	3,519.20	1,924.87	(-)1,594.33	₹320.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,039.20				
	पुनर्वि०	(-)320.00				
2401-00-789-0126 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,440.00	1,439.28	1,002.32	(-)436.96	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 155.18 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹429.91 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	584.37				
	पुनर्वि०	(-)585.09				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0130 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,240.00	2,486.62	2,129.48	(-)357.14	₹160.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	406.62				
	पुनर्वि०	(-)160.00				
2401-00-789-0153 बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	240.00	157.60	110.37	(-)47.23	₹82.40 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)82.40				
2401-00-789-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,208.00	2,560.00	1,805.99	(-)754.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	352.00				
2401-00-789-0234 राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	96.00	96.00	0.00	(-)96.00	प्रावधान में ₹72.00 लाख की हुई कमी, ₹24.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹24.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹72.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कोषांग, बिहार, पटना द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	72.00				
	पुनर्वि०	(-)72.00				
2401-00-789-0235 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	864.00	864.00	160.00	(-)704.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-789-0236 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,449.60	1,449.60	241.84	(-)1,207.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-789-0237 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,123.20	947.20	249.53	(-)697.67	₹176.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)176.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	864.00	669.31	19.29	(-)650.02	₹194.69 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)194.69				
2401-00-789-0239 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	864.00	864.00	152.00	(-)712.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-789-0240 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कृषि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	24.00	32.00	0.00	(-)32.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8.00				
2401-00-789-0241 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	480.00	940.06	15.43	(-)924.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	460.06				
2401-00-789-0245 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,248.00	1,064.00	247.38	(-)816.62	₹184.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)184.00				
2401-00-789-0249 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	343.20	343.20	0.00	(-)343.20	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-789-0250 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,344.00	194.37	0.00	(-)194.37	₹1,149.63 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,149.63				
2401-00-789-0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेभीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	882.34	1,066.58	47.82	(-)1,018.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	184.24				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	448.83	372.96	143.41	(-)229.55	₹75.87 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)75.87				
2401-00-789-0334 राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	38.36	49.71	0.00	(-)49.71	₹49.61 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60.96				
	पुनर्वि०	(-)49.61				
2401-00-789-0335 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	345.25	255.55	106.67	(-)148.88	₹89.70 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)89.70				
2401-00-789-0336 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	579.26	640.00	456.85	(-)183.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60.74				
2401-00-789-0338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	345.25	154.81	14.29	(-)140.52	₹212.26 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	21.82				
	पुनर्वि०	(-)212.26				
2401-00-789-0339 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	345.25	398.85	101.28	(-)297.57	₹438.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	491.60				
	पुनर्वि०	(-)438.00				
2401-00-789-0341 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	191.81	521.48	10.30	(-)511.18	₹105.23 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	434.90				
	पुनर्वि०	(-)105.23				
2401-00-789-0345 कृषि यंत्रीकरण का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	498.70	320.00	164.92	(-)155.08	₹178.70 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)178.70				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-789-0349 बीज और रोपण सामग्री का उप-मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	137.14	117.22	0.00	(-)117.22	₹19.92 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)19.92				
2401-00-789-0350 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	537.06	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)537.06				
2401-00-796-0134 इन्टेंसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	220.00	125.25	85.39	(-)39.86	प्रावधान में ₹134.78 लाख की हुई कमी, ₹12.78 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1.34 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹146.22 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹9.70 लाख की वृद्धि राज्य योजना अंतर्गत 474-ई किसान भवनों के परिचालन एवं क्षेत्रीय प्रसार पदाधिकारियों का संचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। ₹3.08 लाख की वृद्धि फसल सुरक्षा कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	40.03				
	पुनर्वि०	(-)134.78				
2401-00-796-0140 बीज उत्पादन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	120.00	172.65	164.60	(-)8.05	₹27.63 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	80.28				
	पुनर्वि०	(-)27.63				
2401-00-796-0143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन (राज्य स्कीम)	मूल	99.05	96.81	63.86	(-)32.95	₹2.24 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2.24				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0147 बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	219.95	119.95	(-)100.00	₹20.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	189.95				
	पुनर्वि०	(-)20.00				
2401-00-796-0148 जैविक खेती का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	90.00	89.95	53.75	(-)36.20	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.70 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹26.87 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	36.52				
	पुनर्वि०	(-)36.57				
2401-00-796-0152 उद्यान विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	155.42	133.09	(-)22.33	₹10.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	25.42				
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2401-00-796-0169 कृषि नवीनता में प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	75.00	0.00	₹75.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	अनु०	75.00				
	पुनर्वि०	(-)75.00				
2401-00-796-0231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	138.00	160.00	0.53	(-)159.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	22.00				
2401-00-796-0257 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	54.00	54.00	10.00	(-)44.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-796-0258 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	54.00	41.83	1.08	(-)40.75	₹12.17 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)12.17				
2401-00-796-0259 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	70.20	59.20	10.01	(-)49.19	₹11.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)11.00				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0260 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90.60	90.60	19.50	(-)71.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-796-0261 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	54.00	54.00	9.50	(-)44.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-796-0263 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30.00	58.75	0.00	(-)58.75	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	28.75				
2401-00-796-0272 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	84.00	12.15	0.00	(-)12.15	₹71.85 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)71.85				
2401-00-796-0331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	55.14	66.66	0.23	(-)66.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	11.52				
2401-00-796-0360 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	36.20	40.00	13.00	(-)27.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3.80				
2401-00-796-0361 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	21.58	24.92	6.33	(-)18.59	₹27.38 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	30.72				
	पुनर्वि०	(-)27.38				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-796-0363 परम्परागत कृषि विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11.99	32.59	0.00	(-)32.59	₹6.58 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	27.18				
	पुनर्वि०	(-)6.58				
2401-00-796-0372 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएम एफएमई)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	33.57	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)33.57				
2402-00-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	371.15	376.15	330.78	(-)45.37	प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	5.00				
2402-00-101-0001 सर्वे स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	133.95	133.95	72.25	(-)61.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2402-00-102-0004 क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	875.14	875.14	666.29	(-)208.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2402-00-102-0112 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	4,150.00	3,560.95	3,381.90	(-)179.05	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 256.06 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹365.95 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	32.96				
	पुनर्वि०	(-)622.01				
2402-00-102-0213 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,727.00	9,304.18	8,045.19	(-)1,258.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,577.18				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2402-00-102-0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,288.51	6,202.79	5,363.46	(-)839.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,914.28				
2402-00-789-0101 भूमि संरक्षण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	686.44	653.61	(-)32.83	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 49.37 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹70.53 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6.34				
	पुनर्वि०	(-)119.90				
2402-00-789-0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,104.00	1,793.58	1,550.88	(-)242.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	689.58				
2402-00-789-0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयूएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	441.16	1,195.72	1,033.92	(-)161.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	754.56				
2415-01-004-0006 मिट्टी जॉच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	864.22	864.22	661.66	(-)202.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-01-004-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,253.30	993.96	714.25	(-)279.71	प्रावधान में ₹711.35 लाख की हुई कमी, ₹111.25 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹822.60 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना द्वारा वेतन एवं व्ययसायिक/कला/तकनीकी मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	452.01				
	पुनर्वि०	(-)711.35				
2415-01-277-0006 सेवा काल में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	362.80	362.80	212.25	(-)150.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2415-01-277-0008 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,850.00	14,850.00	7,397.81	(-)7,452.19	₹3,596.64 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के फलस्वरूप इन योजनाओं की पूरी राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,596.64				
	पुनर्वि०	(-)3,596.64				
2415-01-277-0108 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	11,620.00	9,262.80	7,826.07	(-)1,436.73	₹2,357.20 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,357.20				
2415-01-277-0112 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	996.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)996.00				
2415-01-789-0103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	2,240.00	1,785.60	1,491.91	(-)293.69	₹454.40 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)454.40				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-01-789-0105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	27.57	(-)52.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2415-01-789-0107 मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	241.60	191.61	116.48	(-)75.13	प्रावधान में ₹137.26 लाख की हुई कमी, ₹21.44 लाख की वृद्धि तथा ₹158.70 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना द्वारा वेतन एवं व्यवसायिक/कला/तकनीकी मद में अतिरिक्त राशि की मांग के कारण था। प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	87.27				
	पुनर्वि०	(-)137.26				
2415-01-789-0108 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	192.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)192.00				
2415-01-796-0104 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर (राज्य स्कीम)	मूल	140.00	111.60	93.57	(-)18.03	₹28.40 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)28.40				
2415-02-004-0201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,009.95	1,009.95	0.00	(-)1,009.95	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2415-02-004-0301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	673.30	673.30	0.00	(-)673.30	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2415-02-789-0201 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	194.69	194.69	0.00	(-)194.69	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2415-02-789-0301 राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	129.80	129.80	0.00	(-)129.80	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2435-01-102-0003 बीज परीक्षण प्रयोगशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	705.04	705.04	327.25	(-)377.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2435-60-101-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,490.00	1,784.50	0.00	(-)1,784.50	₹705.50 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)705.50				
2435-60-789-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	480.00	344.00	0.00	(-)344.00	₹136.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)136.00				
2435-60-796-0101 कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	30.00	21.50	0.00	(-)21.50	₹8.50 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)8.50				
3451-00-090-0007 कृषि विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	881.63	921.63	546.46	(-)375.17	प्रावधान में ₹ 40.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय मद में अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	40.00				
3475-00-106-0001 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,515.14	1,545.82	1,174.59	(-)371.23	प्रावधान में ₹ 30.67 लाख की वृद्धि मशीनें एवं उपस्कर मद में अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	30.67				
3475-00-106-0101 माप एवं तौल के मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	422.02	422.02	239.85	(-)182.17	₹167.43 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	167.43				
	पुनर्वि०	(-)167.43				

अनुदान संख्या- 1- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3475-00-789-0103 माप एवं तौल के मानकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	81.35	81.85	31.64	(-)50.21	₹31.77 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	32.27				
	पुनर्वि०	(-)31.77				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-109-0001 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	53.66	(+)53.66	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 53.66 लाख से अधिक है।
2415-01-789-0106 कृषि महाविद्यालय, किशनगंज (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	1,537.90	(+)1,537.90	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,537.90 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹12,361.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 में प्राप्त किया गया ₹9,132.57 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹12,361.44 लाख) से ₹9,361.44 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4401-00-051-0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना (राज्य स्कीम)	अनु०	6,129.77	6,129.77	4,603.59	(-)1,526.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4401-00-051-0103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	43,990.00	41,500.00	35,256.19	(-)6,243.81	₹2,490.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,490.00				
4401-00-789-0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना (राज्य स्कीम)	अनु०	1,181.64	1,181.64	887.44	(-)294.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 1- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4401-00-789-0105 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	8,480.00	8,000.00	6,796.37	(-)1,203.63	₹480.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)480.00				
4401-00-796-0103 कृषि बाजार का विकास (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	530.00	500.00	424.77	(-)75.23	₹30.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2403 पशु-पालन

2404 डेरी विकास

2405 मछली-पालन

2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**15,89,68,82**	**18,67,92,60**	**8,25,78,12**	**(-)10,42,14,48**
अनुपूरक	**2,78,23,78**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,09,59,06**
28 जून 2022	1,53,69,52			
16 दिसम्बर 2022	46,78,49			
2 मार्च 2023	9,11,05			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,04,214.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹16,176.11 लाख), दिसम्बर 2022 (₹10,696.91 लाख) तथा मार्च 2023 (₹950.76 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 27,823.78 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹1,04,214.48 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹68.96 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹1.20 लाख के कारण, ₹67.76 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹20,959.06 लाख), अंतिम बचत (₹1,04,214.48 लाख) से ₹83,255.42 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	813.59	842.59	719.44	(-)123.15	प्रावधान में ₹19.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10.00				
	पुनर्वि०	19.00				
2403-00-101-0003 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,234.38	17,276.89	14,952.07	(-)2,324.82	प्रावधान में ₹15.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹39.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹24.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	27.51				
	पुनर्वि०	15.00				
2403-00-101-0101 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	9,714.40	10,744.90	8,536.99	(-)2,207.91	₹1,153.08 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,183.58				
	पुनर्वि०	(-)1,153.08				
2403-00-101-0108 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	8,300.00	11,850.00	545.05	(-)11,304.95	₹109.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,659.97				
	पुनर्वि०	(-)109.97				
2403-00-101-0201 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	9,794.00	9,794.00	669.95	(-)9,124.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-101-0301 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	830.00	830.00	618.86	(-)211.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-102-0006 पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,346.34	4,901.32	4,177.91	(-)723.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹445.02 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)445.02				
2403-00-102-0101 फ्रोजन सीमेन बैंक (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	1,949.89	1,024.72	(-)925.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,249.89				
2403-00-103-0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	707.19	707.19	616.68	(-)90.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-103-0106 मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	250.30	208.41	(-)41.89	₹149.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)149.70				
2403-00-105-0102 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	0.11	0.00	(-)0.11	₹199.89 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)199.89				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-106-0111 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	0.00	(-)75.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-106-0212 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,300.00	8,025.19	0.00	(-)8,025.19	₹274.81 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)274.81				
2403-00-106-0214 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (वेतन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	92.72	92.72	0.00	(-)92.72	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-106-0312 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	830.00	734.93	0.00	(-)734.93	₹95.07 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)95.07				
2403-00-106-0314 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (वेतन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	92.72	92.72	0.00	(-)92.72	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-106-0411 एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-113-0001 राज्य पशुधन अनुसंधान व अधिष्ठान की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,120.51	1,127.24	924.96	(-)202.28	प्रावधान में ₹6.73 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	6.73				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-789-0109 पशुधन विकास की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	682.70	207.60	(-)475.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	282.70				
2403-00-789-0110 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	282.74	0.04	0.00	(-)0.04	₹282.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)282.70				
2403-00-789-0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्य स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	875.26	875.26	683.52	(-)191.74	₹32.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	32.02				
	पुनर्वि०	(-)32.02				
2403-00-789-0112 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,600.00	0.00	(-)1,600.00	₹21.19 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	21.19				
	पुनर्वि०	(-)21.19				
2403-00-789-0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,888.00	1,888.00	148.68	(-)1,739.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-789-0207 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,600.00	1,600.00	0.00	(-)1,600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-789-0306 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	160.00	160.00	99.14	(-)60.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2403-00-789-0307 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	160.00	160.00	0.00	(-)160.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-796-0129 सुअरों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-796-0131 पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹1.31 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1.31				
	पुनर्वि०	(-)1.31				
2403-00-796-0228 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	118.00	118.00	10.24	(-)107.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2403-00-796-0230 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2404-00-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	475.58	465.13	427.16	(-)37.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.45 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)10.45				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2404-00-102-0116 आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनायें - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	6,225.00	6,225.00	2,551.84	(-)3,673.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2404-00-789-0101 ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	1,280.00	1,280.00	1,278.45	(-)1.55	₹961.20 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	961.20				
	पुनर्वि०	(-)961.20				
2404-00-789-0103 आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनायें - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	491.92	(-)708.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2404-00-796-0101 प्रशिक्षण एवं विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	79.82	(-)0.18	₹60.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60.00				
	पुनर्वि०	(-)60.00				
2404-00-796-0102 आधुनिक तकनीकों द्वारा दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण परियोजनायें - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	30.75	(-)44.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2405-00-001-0001 मत्स्य विकास योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,233.05	3,384.97	2,699.53	(-)685.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,151.92				
2405-00-001-0101 मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन (राज्य स्कीम)	मूल	565.97	665.97	483.24	(-)182.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	100.00				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-101-0001 मत्स्य पालक विकास अभिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,005.80	1,147.44	932.62	(-)214.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	141.64				
2405-00-101-0102 मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.10	(-)99.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2405-00-101-0104 तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	7,700.16	7,600.16	4,819.28	(-)2,780.88	₹7,537.11 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7,437.11				
	पुनर्वि०	(-)7,537.11				
2405-00-101-0117 मत्स्य सम्पदा - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	6,225.00	6,225.00	4,167.98	(-)2,057.02	₹4,501.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,501.97				
	पुनर्वि०	(-)4,501.97				
2405-00-101-0219 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	24,935.71	24,935.71	2,709.43	(-)22,226.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2405-00-101-0319 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,323.96	2,323.96	2,116.80	(-)207.16	₹161.71 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	161.71				
	पुनर्वि०	(-)161.71				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-109-0102 मत्स्य प्रसार (राज्य स्कीम)	मूल	1,620.05	1,593.82	1,089.01	(-)504.81	₹26.23 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)26.23				
2405-00-789-0101 मछुआरों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	1,928.16	1,928.16	1,863.85	(-)64.31	₹1,928.14 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,928.14				
	पुनर्वि०	(-)1,928.14				
2405-00-789-0102 मत्स्य सम्पदा - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	842.12	(-)357.88	₹1,199.98 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,199.98				
	पुनर्वि०	(-)1,199.98				
2405-00-789-0201 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,806.84	4,806.84	88.00	(-)4,718.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2405-00-789-0301 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई)(केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	448.00	448.00	58.67	(-)389.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2405-00-796-0109 मछुआरों को सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	120.51	120.51	120.01	(-)0.50	₹120.49 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	120.49				
	पुनर्वि०	(-)120.49				

अनुदान संख्या- 2- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2405-00-796-0110 मत्स्य सम्पदा - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	75.00	75.00	42.86	(-)32.14	₹74.98 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	74.98				
	पुनर्वि०	(-)74.98				
2405-00-796-0201 नीली क्रांति - समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना) (पीएमएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.45	300.45	32.00	(-)268.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0008 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	313.80	313.80	241.41	(-)72.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-01-001-0003 पशु गणना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	39.69	39.69	11.66	(-)28.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-01-001-0405 पशुधन गणना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	545.03	545.03	0.00	(-)545.03	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-01-789-0401 पशुधन गणना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	105.10	105.10	0.00	(-)105.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 2- क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2404-00-102-0115 गव्य प्रक्षेप की योजनाएं (राज्य स्कीम)	मूल	6,387.00	6,387.00	6,421.86	(+)34.86	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹34.86 लाख से अधिक है। ₹ 2,038.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,038.00				
	पुनर्वि०	(-)2,038.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 3- भवन निर्माण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2059 लोक निर्माण कार्य

2216 आवास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3053 नागर विमानन

3055 सड़क परिवहन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**8,59,12,74**	**9,05,76,38**	**7,30,02,26**	**(-)1,75,74,12**
अनुपूरक	**46,63,64**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**8,00,00**
3 मार्च 2023	8,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4406 वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

4408 खाद्य भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**41,01,99,34**	**56,20,88,41**	**29,15,96,01**	**(-)27,04,92,40**
अनुपूरक	**15,18,89,07**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,24,28,86**
14 जूलाई 2022	43,93,85			
21 दिसम्बर 2022	30,35,00			
3 मार्च 2023	1			
24 मार्च 2023	1,50,00,00			

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹17,574.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹100.01 लाख), दिसम्बर 2022 (₹3,713.63 लाख) तथा मार्च 2023 (₹850.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,663.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹17,574.12 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹6,284.16 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹ 8,574.99 लाख के कारण, ₹2,290.83 लाख से अधिक है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹800.00 लाख), अंतिम बचत (₹17,574.12 लाख) से ₹16,774.12 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0025 वर्तमान न्यायालय का पुनर्रूपांकण (वित्त आयोग की अनुशंसा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	225.00	189.50	48.39	(-)141.11	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 35.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)35.50				
2059-01-053-0026 कोर्ट भवन, जिला कोर्ट आदि का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,200.00	1,800.00	1,680.03	(-)119.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)400.00				
2059-01-053-0027 खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-01-053-0029 स्वास्थ्य विभाग के भवनों का जीर्णोद्धार(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	150.00	99.76	(-)50.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	50.00				
2059-01-053-0103 गृह विभाग (कारा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	36.00	136.00	1.89	(-)134.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	100.00				
2059-01-053-0104 गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	82.54	(-)117.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-01-053-0105 गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-01-053-0128 अभियोजन निदेशालय के कार्यालय कक्ष का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0129 सैनिक कल्याण निदेशालय के कार्यालय कक्ष का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-01-053-0130 सहकारिता विभाग के भवन का अनुरक्षण एवं मरम्मत (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-01-103-0001 सचिवालय भवनों का साज-सामान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	212.83	(-)37.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-60-053-0001 शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	85.00	59.92	(-)25.08	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)15.00				
2059-60-053-0002 शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	41.61	17.41	(-)24.20	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8.39 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)8.39				
2059-60-053-0016 उपभोक्ता फोरमों के भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	67.01	16.18	(-)50.83	प्रावधान में ₹ 17.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	50.00				
	पुनर्वि०	17.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-001-0004 निष्पादन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	21,580.22	21,665.22	15,305.73	(-)6,359.49	प्रावधान में ₹ 85.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	85.00				
2059-80-001-0011 उद्यान स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	992.66	992.66	780.12	(-)212.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-80-051-0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	303.00	237.24	(-)65.76	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 97.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)97.00				
2059-80-052-0001 नई पूर्ति एवं मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	103.62	(-)146.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-80-053-0001 अनुरक्षण और मरम्मत-मतदेय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,500.00	33,312.00	30,035.82	(-)3,276.18	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 688.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,500.00				
	पुनर्वि०	(-)688.00				
2059-80-053-0006 नगर निगम एवं नगरपालिका कर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	235.00	227.01	(-)7.99	प्रावधान में ₹ 135.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	135.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-80-053-0010 मरम्मत-राज भवन के लिए (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	250.00	223.00	(-)27.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2059-80-053-0013 आवासीय एवं गैर-आवासीय उद्यानों/पार्कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	940.99	602.66	(-)338.33	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 59.01 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)59.01				
2059-80-053-0017 माननीय उच्च न्यायालय पटना के आवासीय एवं गैर-आवासीय उद्यानों/ पार्कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	150.00	107.27	(-)42.73	प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	100.00				
2059-80-053-0018 इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	1,875.00	139.91	(-)1,735.09	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 625.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)625.00				
2216-07-052-0001 विधायकों, राज्य मंत्रियों, मंत्रियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आवास का साज-सामान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	350.00	350.00	124.45	(-)225.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-07-053-0001 अन्य रख-रखाव व्यय-प्रखंड के भवनों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	280.00	12.75	(-)267.25	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)20.00				
2216-07-053-0003 निबंधन विभाग के आवसीय भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	200.00	189.92	(-)10.08	प्रावधान में ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	100.00				
2216-07-053-0005 न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,200.00	2,300.00	1,560.64	(-)739.36	प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	800.00				
	पुनर्वि०	300.00				
2235-02-101-0224 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3055-00-190-0103 बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (राज्य स्कीम)	मूल	8,800.00	8,800.00	6,733.84	(-)2,066.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-60-053-0013 कारा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	659.93	(+)159.93	₹159.93 लाख की अंतिम अधिक व्यय पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अधिक है।
2059-80-053-0004 विद्युत कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	7,075.00	7,307.57	(+)232.57	₹232.57 लाख की अंतिम अधिक व्यय पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अधिक है। प्रावधान में ₹875.00 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,200.00				
	पुनर्वि०	875.00				
2216-01-053-0005 न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (राज्य स्कीम)	अनु०	800.00	0.00	99.00	(+)99.00	₹99.00 लाख की अंतिम अधिक व्यय पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अधिक है। ₹800.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)800.00				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹2,70,492.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹13,609.37 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,06,852.23 लाख) तथा मार्च 2023 (₹31,427.47 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,51,889.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹2,70,492.40 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹12,238.05 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹80,751.59 लाख के कारण, ₹68,513.54 लाख से अधिक है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹22,428.86 लाख), अंतिम बचत (₹2,70,492.40 लाख) से ₹2,48,063.54 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4047-00-051-0101 वाणिज्यकर विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	2,700.00	1,625.28	(-)1,074.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,100.00				
4055-00-051-0103 नया पुलिस मुख्यालय भवन का निर्माण-गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	338.59	(-)161.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4055-00-051-0105 पुलिस तथा अन्य भवनों का निर्माण-गृह (आरक्षी) विभाग (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	313.08	(-)586.92	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0101 भवन (राज्य स्कीम)	मूल	16,900.00	16,900.00	9,296.56	(-)7,603.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0105 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	400.01	194.40	(-)205.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	400.00				
4059-01-051-0106 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ-सह-कार्यालय भवन का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	544.00	544.00	48.37	(-)495.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0107 वित्त विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1.00	1,101.00	259.00	(-)842.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,100.00				
4059-01-051-0110 निबंधन विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	1,600.00	522.81	(-)1,077.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,000.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0111 उत्पाद विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,300.00	3,300.00	2,922.73	(-)377.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,000.00				
4059-01-051-0113 सहकारिता विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	683.57	(-)216.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0116 संयुक्त श्रम भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	194.16	(-)605.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0118 पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण (पंचायती राज विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	130.99	130.99	28.91	(-)102.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0119 कृषि कार्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	2,905.00	405.00	293.71	(-)111.29	सचिव, कृषि विभाग के पत्रांक - 6042, दिनांक - 18.12.2022 के आलोक में ₹ 2,500.00 लाख का प्रत्यर्पण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
4059-01-051-0122 अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	45.61	(-)154.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0123 निर्वाचन भवन (राज्य स्कीम)	मूल	41.00	41.00	0.00	(-)41.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0127 प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण (नाबार्ड सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	3,600.00	2,738.41	(-)861.59	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-051-0130 नगर विकास भवन (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-789-0101 अनुसूचित जातियों के लिए भवन (राज्य स्कीम)	मूल	18,000.00	23,000.00	18,655.76	(-)4,344.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,000.00				
4059-01-789-0102 कृषि कार्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	560.00	45.00	25.55	(-)19.45	सचिव, कृषि विभाग के पत्रांक - 6042, दिनांक - 18.12.2022 के आलोक में ₹ 515.00 लाख का प्रत्यर्पण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)515.00				
4059-01-796-0104 अनुसूचित जनजाति के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	30,000.00	14,563.86	(-)15,436.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-01-796-0105 कृषि कार्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	15.00	1.56	(-)13.44	सचिव, कृषि विभाग के पत्रांक - 6042, दिनांक - 18.12.2022 के आलोक में ₹ 20.00 लाख का प्रत्यर्पण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)20.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0015 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई०वी०एम०) गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	5,000.00	1,669.78	(-)3,330.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0017 वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए0डी0आर0 केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	130.00	(-)70.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0101 सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	493.99	28.41	(-)465.58	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.00 लाख की कमी एवं ₹ 0.01 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6.01				
4059-60-051-0104 परिसदन का निर्माण एवं संधारण (राज्य स्कीम)	मूल	3,115.00	2,815.00	714.03	(-)2,100.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				
4059-60-051-0105 केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	10,200.00	4,229.37	(-)5,970.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,200.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0106 स्टेडियम एवं खेल संरचना (राज्य स्कीम)	मूल	32,500.00	17,500.00	7,007.24	(-)10,492.76	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पत्रांक - 156, दिनांक - 03.03.2023 के आलोक में ₹ 15,000.00 लाख का प्रत्यर्पण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)15,000.00				
4059-60-051-0107 सांस्कृतिक संचरना (राज्य स्कीम)	मूल	13,600.00	13,600.00	9,252.98	(-)4,347.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	12,923.00	30,143.00	18,803.64	(-)11,339.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	17,220.00				
4059-60-051-0114 अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	795.50	57.46	(-)738.04	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4.50				
4059-60-051-0116 जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	186.95	(-)313.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0120 व्यवहार न्यायालय पटना में जी+7 न्यायालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	310.00	310.00	201.50	(-)108.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0121 पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	12,000.00	1,281.25	(-)10,718.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9,000.00				
4059-60-051-0123 मुख्यमंत्री निश्यच स्वयं सहायता योजना भवन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	52.68	(-)947.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0124 बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	1,005.00	6,405.00	1,557.84	(-)4,847.16	प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,400.00				
	पुनर्वि०	1,000.00				
4059-60-051-0126 विकास प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) (राज्य स्कीम)	मूल	9,000.00	9,000.00	723.70	(-)8,276.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0218 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	425.00	425.00	0.00	(-)425.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0222 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,000.00	12,000.00	0.52	(-)11,999.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0318 अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	145.00	145.00	0.00	(-)145.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-051-0322 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-051-0420 स्ट्रेन्थनिंग कंज्यूमर फोरम फेज-II (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	229.90	229.90	0.00	(-)229.90	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-789-0106 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,080.00	11,870.01	4,797.22	(-)7,072.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,790.01				
4059-60-789-0305 कौशल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-60-796-0103 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	305.00	547.53	361.53	(-)186.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	242.53				
4059-80-051-0004 सरकारी भवनों में परिवर्धन/परिवर्त्तन संबंधी मुख्य निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	38.32	(-)461.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-80-051-0109 बिहार राज्य न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान हेतु छात्रावास निर्माण (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	2,000.00	54.99	(-)1,945.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,900.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0110 न्यायिक भवनें (भवन निर्माण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-80-051-0117 इंजिनियरिंग/तकनीकि महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	14,000.00	37,477.00	17,597.42	(-)19,879.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	23,477.00				
4059-80-051-0119 सरकारी भूमि की घेराबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-80-051-0122 आई0 टी0 भवन (राज्य स्कीम)	मूल	4,600.00	206.15	149.94	(-)56.21	सूचना प्रावैधिकी विभाग बिहार, पटना के पत्रांक - 578, दिनांक - 20.06.2022 के आलोक में ₹4,393.85 लाख का प्रत्यर्पण हुआ। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4,393.85				
4059-80-051-0123 डॉ0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी (राज्य स्कीम)	मूल	8,000.00	8,000.00	3,415.22	(-)4,584.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-80-051-0124 जल संसाधन विभाग के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	अनु०	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0220 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	10,900.00	3,484.22	(-)7,415.78	प्रावधान में ₹ 900.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	900.00				
4059-80-051-0221 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,400.00	4,400.00	241.25	(-)4,158.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-80-051-0321 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	181.36	(-)1,318.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4059-80-051-0324 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम - विशेष राज्यांश (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-02-051-0101 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (राज्य स्कीम)	अनु०	10,000.00	10,000.00	152.23	(-)9,847.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-02-104-0108 पॉलीटेक्निक भवन (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	7,000.00	7,000.00	5,730.13	(-)1,269.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-104-0111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन -सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	10,700.00	17,267.37	14,936.71	(-)2,330.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,567.37				
4202-02-105-0105 अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	40,000.00	40,000.00	24,543.02	(-)15,456.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-02-789-0102 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन -सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	5,630.46	4,895.15	(-)735.31	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,130.46				
4202-02-796-0102 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन -सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	477.00	393.40	(-)83.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	177.00				
4210-01-110-0116 शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	275.00	10.90	(-)264.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	265.00				
4210-03-105-0114 इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4216-01-051-0102 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,415.00	2,715.00	579.09	(-)2,135.91	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 700.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)700.00				
4216-01-700-0003 लोक निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.01	1,000.01	557.83	(-)442.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4216-01-700-0101 अन्य आवास (राज्य स्कीम)	मूल	44,000.00	44,000.00	22,368.35	(-)21,631.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4216-01-700-0102 न्यायिक आवासीय भवनें (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4216-01-700-0105 न्यायाधीशों के लिए आवास (विधि विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	4,642.00	18,142.00	3,029.98	(-)15,112.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	13,500.00				
4216-01-700-0206 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,904.00	5,004.00	2,125.28	(-)2,878.72	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 900.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)900.00				
4216-80-051-0103 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	55.91	(-)144.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-04-051-0103 अल्पसंख्यक आवसीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	9,000.00	8,400.00	5,202.73	(-)3,197.27	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 600.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
4225-04-051-0104 बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	24.83	(-)475.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4225-80-051-0104 अल्पसंख्यक समुदाय के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	47.50	(-)152.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4235-02-104-0101 वृद्धाश्रम (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	430.00	374.35	(-)55.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	230.00				
4406-01-051-0102 डॉल्फिन रिसर्च सेंटर (राज्य स्कीम)	मूल	3,052.00	3,052.00	177.45	(-)2,874.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4408-02-051-0101 जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र की स्थापना के निमित भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	252.21	(-)747.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4408-02-101-0101 लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	1.85	(-)998.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4408-02-101-0102 खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5452-01-101-0103 पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	8,000.00	16,827.00	9,350.95	(-)7,476.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8,827.00				
4225-80-051-0103 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,800.00	1,468.58	(-)331.42	प्रावधान में ₹ 600.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	600.00				

अनुदान संख्या- 3- क्रमशः

(viii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-60-789-0207 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (पशु एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	723.36	(+)723.36	₹723.36 लाख की अंतिम अधिक व्यय पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अधिक है।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

(ix)(क) **उचन्त लेन-देन :-** इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देन में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं । लघु शीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचन्त।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है:-

(i) **स्टॉक** - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है।

(ii) **क्रय** - जब माह के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट ''कार्य'' शीर्ष में या ''स्टॉक'' उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर ''क्रय'' में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को ''क्रय'' शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के ऋण अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है । वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष ''8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उचन्त लेखा'' के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम**- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) **कार्यशाला उचन्त**- लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2022-23 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 को अंतशेष
		(₹ लाख में)			
लोक निर्माण कार्य एवं आवास					
क्रय	(-)2,777.22	0.00	0.00	0.00	(-)2,777.22
स्टॉक	1,349.82	0.00	0.00	0.00	1,349.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	19,503.64	0.00	0.00	0.00	19,503.64
कुल	**18,076.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,076.24**

(x) **भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा**- लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती हैं तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2020-21 से 2022-23 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षो के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
			(₹ लाख में)		
2020-21	1,15,136.98	41,871.61	36.37	139.05	0.12
2021-22	2,43,894.46	64,887.54	26.60	166.10	0.07
2022-23	2,60,070.78	64,539.76	0.29	124.45	0.05

अनुदान संख्या- 4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2013 मंत्रिपरिषद

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

3053 नागर विमानन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,18,50,44**	**4,21,19,25**	**2,41,51,07**	**(-)1,79,68,18**
अनुपूरक	**1,02,68,81**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5053 नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,96,16,00**	**3,71,16,00**	**0**	**(-)3,71,16,00**
अनुपूरक	**1,75,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹17,968.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹10,268.80 लाख) तथा मार्च 2023 (₹0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹10,268.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण ₹17,968.18 लाख की अंतिम बचत ₹61.96 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2013-00-101-0001 मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,107.10	3,144.10	2,635.14	(-)508.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	37.00				
2013-00-104-0001 आतिथ्य व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	80.00	25.93	(-)54.07	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹20.00 लाख की कमी राजकीय अतिथिशाला, पटना में कार्यरत एजेन्सी में एम. एन. कुमार एसोसिएटस इन्टरनेशनल, मुम्बई का बकाया विपत्रों के भुगतान एवं अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना का बकाया अन्तर मानदेय भुगतान के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)20.00				
2013-00-800-0001 मंत्रिगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	225.00	215.00	111.87	(-)103.13	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधुत प्रभार विषय शीर्ष में बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2052-00-090-0016 राजभाषा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	502.88	502.88	374.85	(-)128.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0065 ''जनता के दरबार में मुख्यमंत्री'' कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	190.00	61.02	(-)128.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	90.00				
2052-00-090-0101 राजभाषा (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	15.61	(-)234.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-090-0147 सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.97	(-)49.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-092-0023 उर्दू निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	237.64	237.64	148.73	(-)88.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-092-0103 20 सूत्री कार्यक्रम-कार्यकारी उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-092-0123 उर्दू निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	250.00	128.87	(-)121.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2053-00-093-0106 20-सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यालय हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.09	(-)199.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-094-0008 राजभाषा स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	73.30	84.31	56.71	(-)27.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	11.01				
2053-00-094-0011 द्वितीय राजभाषा (उर्दू) स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,036.77	7,036.77	4,312.12	(-)2,724.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-001-0108 बिहार विकास मिशन - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	9,300.00	9,300.00	8,063.50	(-)1,236.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-114-0001 सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,665.32	13,762.32	3,003.08	(-)10,759.24	प्रावधान में ₹97.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 847.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 750.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,000.00				
	पुनर्वि०	97.00				
2070-00-115-0002 बिहार भवन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,063.98	2,063.98	1,469.87	(-)594.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2205-00-104-0001 अभिलेखागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	488.77	488.77	424.10	(-)64.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 4- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2205-00-104-0102 अभिलेखागार के संरक्षण एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	48.68	(-)31.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3053-80-003-0001 प्रशिक्षण तथा शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,011.16	864.16	352.41	(-)511.75	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹147.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)147.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹37,116.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 में प्राप्त किया गया ₹17,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-051-0119 बिहार भवन, मुम्बई (राज्य स्कीम)	अनु०	17,500.00	17,500.00	0.00	(-)17,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5053-02-102-0101 हवाई अड्डे (राज्य स्कीम)	मूल	19,616.00	19,616.00	0.00	(-)19,616.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

विनियोग संख्या- 5- राज्यपाल सचिवालय

(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	***36,63,56***	***36,83,32***	***22,95,00***	***(-)13,88,32***
अनुपूरक	***19,76***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹1,388.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 19.76 लाख की अनुपूरक विनियोग पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण ₹1,388.32 लाख की अंतिम बचत, ₹165.70 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

विनियोग संख्या- 5- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-101-0001 राज्यपाल की परिलब्धियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*42.00*	*42.00*	*7.00*	*(-)35.00*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-102-0001 वैवेकिक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*80.00*	*80.00*	*1.08*	*(-)78.92*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-103-0001 राज्यपाल की परिलब्धियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*361.50*	*361.50*	*12.96*	*(-)348.54*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-103-0002 सरकारी आवासों के उपस्करों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*49.59*	*49.59*	*1.82*	*(-)47.77*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-103-0004 राज्यपाल का सज्जा भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*20.00*	*20.00*	*0.00*	*(-)20.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-103-0008 मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*47.10*	*47.10*	*0.00*	*(-)47.10*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-103-0009 बाग की मरम्मती एवं अनुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*219.98*	*219.98*	*11.76*	*(-)208.22*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

विनियोग संख्या- 5- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2012-03-104-0001 सत्कार भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*60.00*	*60.00*	*0.09*	*(-)59.91*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-104-0002 दरबार व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*80.00*	*80.00*	*1.35*	*(-)78.65*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-105-0001 अन्य शुल्क- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*153.49*	*153.49*	*15.08*	*(-)138.41*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-107-0001 गृह संबंधी खर्च (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*230.76*	*230.76*	*10.56*	*(-)220.20*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2012-03-108-0002 विविध दौरा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*197.46*	*197.46*	*10.07*	*(-)187.39*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2014	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

अनुदान संख्या- 6- निर्वाचन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,11,06,26**	**3,19,96,26**	**1,71,52,23**	**(-)1,48,44,03**
अनुपूरक	**8,90,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**8,90,00**
28 जून 2022	6,50,00			
16 दिसम्बर 2022	28,00			
2 मार्च 2023	2,12,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹14,844.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹650.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹28.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹212.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹890.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹14,844.03 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹1,561.33 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹8.44 लाख के कारण, ₹1,552.89 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹890.00 लाख), अंतिम बचत (₹14,844.03 लाख) से ₹13,954.03 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-102-0001 मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,354.15	5,319.15	4,516.48	(-)802.67	प्रावधान में ₹75.00 लाख की वृद्धि बिहार निर्वाचन सेवा के नवनियुक्त अवर-निर्वाचन पदाधिकारियों का बिपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ में तीन माह का सांस्थिक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है। (अगस्त 2023)।
	अनु०	890.00				
	पुनर्वि०	75.00				
2015-00-103-0002 विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	403.00	403.00	10.92	(-)392.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2015-00-105-0001 लोकसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,502.01	2,427.01	199.24	(-)2,227.77	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹75.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)75.00				
2015-00-105-0005 निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	810.00	810.00	14.73	(-)795.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 6- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-106-0001 राज्य विधानसभा निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,004.01	6,354.01	3,268.00	(-)3,086.01	₹650.00 लाख का प्रत्यर्पण निर्वाचन विभाग के अंतर्गत 44 नये अवर निर्वाचन पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदस्थापन एवं प्रशिक्षण तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा पूर्व के विपत्रों के बकाया राशि की मांग के आलोक में इस इकाई में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)650.00				
2015-00-106-0002 राज्य विधान परिषद निर्वाचन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.05	1,972.05	113.32	(-)1,858.73	₹28.00 लाख का प्रत्यर्पण विभागीय पदाधिकारियों के यात्रा व्यय में भुगतान तथा कार्यालय में कार्यरत राज्य स्तरीय एजेंसी का नये टेंडर के अनुसार व्यय के आलोक में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)28.00				
2015-00-106-0005 निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,010.00	3,798.00	730.88	(-)3,067.12	₹212.00 लाख का प्रत्यर्पण विभागीय पदाधिकारियों के यात्रा व्यय में भुगतान तथा विभाग/जिलों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के मानदेय भुगतान पर व्यय हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)212.00				

अनुदान संख्या- 6- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-108-0001 मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,002.01	2,002.01	930.20	(-)1,071.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या -7- निगरानी विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**45,54,95**	**47,16,45**	**37,58,09**	**(-)9,58,36**
अनुपूरक	**1,61,50**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹958.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹128.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹33.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹161.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 7- क्रमांत

(iii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0005 मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	562.64	582.64	492.84	(-)89.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20.00				
2070-00-001-0006 तकनीकी परीक्षक कोषांग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	549.24	554.24	360.09	(-)194.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5.00				
2070-00-001-0007 अनुसंधान ब्यूरो (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,860.65	2,990.15	2,495.28	(-)494.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	129.50				
2070-00-001-0009 घूस की राशि की प्रतिपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	14.20	(-)25.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-001-0010 विशेष निगरानी इकाई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	542.42	549.42	395.68	(-)153.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,76,52,64**	**2,01,78,67**	**1,38,27,14**	**(-)63,51,53**
अनुपूरक	**25,26,03**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**6,00,01**
10 जनवरी 2023	1			
9 फरवरी 2023	6,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹6,351.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹50.02 लाख), दिसम्बर 2022 (₹76.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,400.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,526.03 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹6,351.53 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹20.02 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹6.79 लाख के कारण, ₹13.23 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹600.01 लाख), अंतिम बचत (₹6,351.53 लाख) से ₹5,751.52 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2204-00-001-0001 युवक कल्याण निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	143.32	143.32	122.16	(-)21.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2204-00-101-0001 शारीरिक शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	525.38	530.38	341.58	(-)188.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5.00				
2204-00-102-0001 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)-प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,510.05	1,628.65	1,168.64	(-)460.01	प्रावधान में ₹ 118.60 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	118.60				
2204-00-102-0002 राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,187.48	2,138.88	1,617.21	(-)521.67	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹48.60 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)48.60				
2204-00-102-0003 राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,723.98	1,653.98	1,333.30	(-)320.68	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹70.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)70.00				

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2204-00-104-0001 खेल-कूद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,386.60	1,391.60	1,093.28	(-)298.32	प्रावधान में ₹ 0.01 लाख की हुई कमी, ₹ 40.21 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40.21 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5.01				
	पुनर्वि०	(-)0.01				
2204-00-104-0102 खेल-कूद (राज्य स्कीम)	मूल	3,120.00	4,120.00	2,162.22	(-)1,957.78	प्रावधान में ₹ 600.00 लाख की हुई कमी, ₹250.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹250.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹600.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,600.00				
	पुनर्वि०	(-)600.00				
2205-00-001-0001 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	198.49	221.29	148.01	(-)73.28	प्रावधान में ₹ 22.79 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 32.32 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.53 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	22.79				

अनुदान संख्या- 8- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2205-00-102-0101 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (राज्य स्कीम)	मूल	1,740.00	1,740.00	1,202.80	(-)537.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2205-00-103-0001 पुरातत्व निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	542.24	498.25	307.72	(-)190.53	प्रावधान में ₹43.99 लाख की हुई कमी, ₹ 6.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 49.99 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)43.99				
2205-00-103-0101 पुरातत्व निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	325.00	391.00	192.75	(-)198.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	66.00				
2205-00-107-0001 संग्रहालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,946.45	3,738.12	3,179.03	(-)559.09	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹8.33 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	800.00				
	पुनर्वि०	(-)8.33				
2205-00-107-0101 संग्रहालय (राज्य स्कीम)	मूल	615.00	615.00	284.23	(-)330.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0003 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	413.65	443.19	364.21	(-)78.98	प्रावधान में ₹29.53 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	29.53				

अनुदान संख्या- 8- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 9- सहकारिता विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2408 खाद्य भंडारण तथा भंडागार

2425 सहकारिता

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**12,20,19,47**	**12,86,61,89**	**10,05,12,23**	**(-)2,81,49,66**
अनुपूरक	**66,42,42**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,79,10,83**
6 मार्च 2023	1,18,64,12			
20 मार्च 2023	60,46,71			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	**66,11,79**	**66,11,79**	**9,88,70**	**(-)56,23,09**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**56,23,09**
6 मार्च 2023	16,58,50			
20 मार्च 2023	39,64,59			

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹28,149.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹11.50 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 6,300.77 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 330.15 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,642.42 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹28,149.66 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 13,442.91 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹ 182.05 लाख के कारण, ₹13,260.86 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹17,910.83 लाख), अंतिम बचत (₹28,149.66 लाख) से ₹10,238.83 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-110-0112 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	37,489.00	37,583.70	25,181.34	(-)12,402.36	प्रावधान में ₹ 94.70 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	94.70				
2401-00-789-0151 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,718.00	15,718.00	10,406.43	(-)5,311.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-796-0173 बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,083.75	1,083.75	730.89	(-)352.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2425-00-001-0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	185.00	148.53	(-)36.47	प्रावधान में ₹ 85.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	85.00				
2425-00-107-0106 अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्रबंधकीय अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	11,423.25	15,129.63	14,876.62	(-)253.01	प्रावधान में ₹ 3,706.38 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	3,706.38				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-108-0107 समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	31.10	31.10	0.00	₹168.90 लाख का प्रत्यर्पण योजना बंद किये जाने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)168.90				
2425-00-108-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	15,062.50	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,706.38 लाख की कमी तथा ₹ 11,356.12 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)15,062.50				
2425-00-108-0201 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	3,710.00	3,710.00	1,031.00	(-)2,679.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2425-00-108-0301 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,490.00	2,490.00	688.00	(-)1,802.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2425-00-108-0415 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	5,295.62	1,019.80	1,019.80	0.00	₹4,275.82 लाख का प्रत्यर्पण योजना बंद किये जाने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,275.82				

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-110-0101 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	297.23	(+)297.23	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 297.23 लाख से अधिक है।
2401-00-789-0110 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत किसानों के बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	9,900.00	(+)9,900.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 9,900.00 लाख से अधिक है।
2401-00-796-0127 राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	992.40	(+)992.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 992.40 लाख से अधिक है।
2425-00-108-0114 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	12,047.00	12,047.00	14,113.28	(+)2,066.28	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 2,066.28 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2425-00-108-0118 पैक्सों/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,800.00	0.00	90.00	(+)90.00	₹1,590.20 लाख का प्रत्यर्पण योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 90.00 लाख से अधिक है। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹209.80 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,800.00				
2425-00-108-0120 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.00	40.90	(+)40.90	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 40.90 लाख से अधिक है। ₹ 500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				

पूँजीगत (दत्तमत)

(v) ₹5,623.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹6,611.79 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) ₹5,623.09 लाख की बचत को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या- 9- क्रमशः

(vii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4425-00-051-0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (एसीए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में बचत की सम्भावना के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
4425-00-051-0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	620.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में बचत की सम्भावना के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)620.00				
4425-00-108-0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	37.50	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि में बचत की सम्भावना के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)37.50				
4425-00-108-0465 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	4,952.29	988.70	988.70	0.00	₹3,963.59 लाख का प्रत्यर्पण योजना बंद किये जाने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)3,963.59				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 10- ऊर्जा विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क

2059 लोक निर्माण कार्य

2801 विद्युत

2810 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	98,62,94,04	1,30,46,22,60	1,30,38,24,37	(-)7,98,23
अनुपूरक	31,83,28,56			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	16,13,03,00	35,02,89,37	31,69,73,95	(-)3,33,15,42
अनुपूरक	18,89,86,37			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹798.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹3,18,304.54 लाख), दिसम्बर 2022 (₹12.02 लाख) तथा मार्च 2023 (₹12.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹3,18,328.56 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण ₹798.23 लाख की अंतिम बचत, ₹11.25 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 10- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2810-00-104-0101 अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	4,250.00	(-)750.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0017 ऊर्जा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	225.18	244.18	202.51	(-)41.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	19.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹33,315.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹49,916.77 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹1,39,069.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,88,986.37 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4801-05-190-0208 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (राज्य घटक बीएसपीटीसीएल के लिए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	48,993.00	48,993.00	25,000.00	(-)23,993.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4801-05-796-0101 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 (राज्य स्कीम)	मूल	1,587.00	1,587.00	82.50	(-)1,504.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 10- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6801-00-201-0101 बिहार राज्य जल विधुत निगम को ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
6801-00-201-0105 बिहार राज्य जल विधुत निगम को ऋण (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	650.00	(-)350.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2045	153.10	135.30	17.80
2801	12,98,063.01	12,98,063.00	0.01
2810	6,162.31	5,412.31	750.00
3451	244.18	202.56	41.62
4801	3,39,714.60	3,07,871.31	31,843.29
6801	10,574.77	9,102.64	1,472.13
कुल	**16,54,911.97**	**16,20,787.12**	**34,124.85**

अनुदान संख्या -11 - पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2225 **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण**

2251 **सचिवालय- सामाजिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**18,40,36,05**	**19,70,84,09**	**16,34,54,15**	**(-)3,36,29,94**
अनुपूरक	**1,30,48,04**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**2,96,20,00**
28 मार्च 2023	2,96,20,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4225 **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**33,50,00**	**33,50,00**	**0**	**(-)33,50,00**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**33,50,00**
28 मार्च 2023	33,50,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹33,629.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹12,723.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹21.04 लाख) तथा मार्च 2023 (₹304.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹13,048.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹33,629.94 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹695.29 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹0.70 लाख के कारण, ₹694.59 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹29,620.00 लाख), अंतिम बचत (₹33,629.94 लाख) से ₹4,009.94 लाख कम था।

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-001-0002 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग का कल्याण - निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	126.72	96.72	20.16	(-)76.56	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 30.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)30.00				
2225-03-001-0003 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग का कल्याण-क्षेत्रीय कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,207.43	2,493.76	41.21	(-)2,452.55	प्रावधान में ₹ 713.67 लाख की हुई कमी, ₹8.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 721.67 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)713.67				
2225-03-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	82.09	1,414.80	1,062.11	(-)352.69	प्रावधान में ₹ 668.67 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	664.04				
	पुनर्वि०	668.67				
2225-03-277-0010 पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,574.00	1,883.00	1,602.46	(-)280.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	309.00				

अनुदान संख्या -11- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-03-277-0214 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,135.00	2,750.00	2,750.00	0.00	₹ 4,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,615.00				
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				
2225-03-277-0215 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	27,463.00	10,163.00	9,171.00	(-)992.00	₹ 17,300.00 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)17,300.00				
2225-03-277-0314 प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,135.00	3,581.00	3,581.00	0.00	₹ 4,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,446.00				
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹3,350.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस वर्ष के दौरान मूल प्रावधान का खर्च नहीं किया गया है।

(v) सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण वर्ष के दौरान किया गया है।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-03-277-0101 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	650.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)650.00				
4225-03-277-0202 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,340.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,340.00				

अनुदान संख्या -11- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-03-277-0302 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	360.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)360.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 12- वित्त विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन

2058 लेखन-सामग्री तथा मुद्रण

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,27,15,23**	**3,29,45,24**	**1,81,34,50**	**(-)1,48,10,74**
अनुपूरक	**2,30,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,83,00**
28 जून 2022	1,83,00			

प्रभारित :

मूल	***13,11,02,80***	***13,11,02,80***	***12,88,00,00***	***(-)23,02,80***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

6202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज

7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

7999 आकस्मिकता निधि को विनियोजन

दत्तमत :

मूल	**7,83,06,00**	**17,88,06,00**	**16,26,61,28**	**(-)1,61,44,72**
अनुपूरक	**10,05,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹14,810.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जून 2022 (₹183.00 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹47.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹230.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण ₹14,810.74 लाख की अंतिम बचत ₹12.34 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹183.00 लाख), अंतिम बचत (₹14,810.74 लाख) से ₹14,627.74 लाख कम था।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0008 वित्त विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,060.07	9,060.07	5,256.74	(-)3,803.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-090-0015 भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	210.35	210.35	138.60	(-)71.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2054-00-095-0103 बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	810.52	(-)4,189.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2054-00-097-0001 कोषागार तथा अन्य उप-कोषागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,970.50	6,970.51	5,437.86	(-)1,532.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
2054-00-098-0001 स्थानीय निधि अंकेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,227.39	3,227.39	0.00	(-)3,227.39	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2058-00-102-0001 फार्म प्रेस, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	359.93	359.93	224.56	(-)135.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2058-00-103-0001 राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,111.91	1,111.91	793.88	(-)318.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-004-0001 लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	913.25	913.25	167.21	(-)746.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-800-0008 विविध तथा आकस्मिक व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.15	(-)99.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-03-190-0101 बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	700.00	(-)200.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2204-00-104-0006 सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	176.00	0.00	0.00	0.00	सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब के नाम परिवर्तन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण किया गया है।
	पुनर्वि०	(-)176.00				

राजस्व (प्रभारित)

(iv) ₹2,302.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,31,102.80 लाख का मूल विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

पूँजी (दत्तमत)

(vi) ₹16,144.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹20,278.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹40,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹40,222.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,00,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 12- क्रमशः

(viii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4058-00-103-0101 मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-051-0118 वित्तीय प्रशासनिक सुधार एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,700.00	1,700.00	0.00	(-)1,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5475-00-800-0101 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को शेयर पूंजी में राज्य सरकार का योगदान-निवेश (राज्य स्कीम)	मूल	1,206.00	31,706.00	20,278.00	(-)11,428.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	30,500.00				
7610-00-201-0002 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.25	(-)99.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
7610-00-202-0003 मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	600.00	59.99	(-)540.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 12- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
7610-00-202-0004 विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,600.00	1,200.00	741.09	(-)458.91	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधानमंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम के अन्तर्गत संभावित बचत के कारण है। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)400.00				
7610-00-204-0001 पदाधिकारियों को कम्पयूटर खरीदने के लिए अग्रिम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	7.17	(-)92.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2052	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

विनियोग संख्या- 13- सूद भुगतान

(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2049 ब्याज अदायगियाँ

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*1,63,05,03,46*	*1,63,05,03,46*	*1,51,83,53,53*	*(-)11,21,49,93*
अनुपूरक	*0*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹1,12,149.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹16,30,503.46 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-01-200-0001 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिये गये कर्जे पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*44,000.00*	*44,000.00*	*34,942.05*	*(-)9,057.95*	अंतिम बचत, बजट अनुमान से कम बाजार ऋण उगाही के कारण था।
2049-03-117-0001 सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,000.00*	*1,000.00*	*0.00*	*(-)1,000.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज का दावा न होने के कारण था।
2049-04-112-0001 वाह्य संपोषित स्कीमों पर लिए गए कर्ज पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50,338.49*	*50,338.49*	*34,426.54*	*(-)15,911.95*	अंतिम बचत मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण था।
2049-60-701-0002 जमींदारों को दिये गये मुआवजा-बंध-पत्रों पर ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50.00*	*50.00*	*0.00*	*(-)50.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता बिहार जमींदारी बॉण्ड मद में परिपक्वता की राशि की वापसी का दावा प्रस्तुत नहीं होने के कारण था।
2049-60-701-0003 विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,000.00*	*1,000.00*	*496.61*	*(-)503.39*	अंतिम बचत माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा माँगी गयी जयघोष सूद मद में कम व्यय के कारण था।

विनियोग संख्या- 13- क्रमशः

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-60-701-0004 बिक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50.00*	*50.00*	*0.00*	*(-)50.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2049-60-701-0005 विलंबित भुगतान पर सभी तरह के पेंशन (पारिवारिक पेंशन समेत) और मृत्यु-सह-निवृति उपादान के बकाये राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*100.00*	*100.00*	*21.68*	*(-)78.32*	अंतिम बचत माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित विभागों द्वारा माँगी गयी जयघोष सूद में कम व्यय के कारण था।
2049-60-701-0008 भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*50.00*	*50.00*	*0.00*	*(-)50.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2049-01-305-0002 नये कर्ज से संबंधित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*500.00*	*560.00*	*564.51*	*(+)4.51*	प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की वृद्धि नवीन ऋणों के सूद की अदायगी के कारण था। अंतिम अधिक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में फ्लोटेशन चार्ज पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. अधिरोपित होने के कारण था।
	पुनर्वि०	*60.00*				

विनियोग संख्या- 13- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2049	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

विनियोग संख्या- 14- ऋण अदायगियाँ

(सभी प्रभारित)

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*1,46,70,03,25*	*1,46,70,03,25*	*1,43,51,07,48*	*(-)3,18,95,77*
अनुपूरक	*0*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

पूँजीगत (प्रभारित)

(i) ₹31,895.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹14,67,003.25 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

विनियोग संख्या- 14- क्रमांत

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
6003-00-106-0002 जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*100.00*	*100.00*	*0.00*	*(-)100.00*	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता, दावा नहीं प्रस्तुत किये जाने के कारण था।
6003-00-108-0001 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से उधार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*9,019.89*	*9,019.89*	*5,019.89*	*(-)4,000.00*	अंतिम बचत सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को 05.01.2023 को राशि भुगतान किये जाने के कारण था।
6004-09-101-0001 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,35,436.29*	*1,35,436.29*	*1,07,661.94*	*(-)27,774.35*	अंतिम बचत मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण था।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
6003	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

अनुदान संख्या- 15- पेंशन

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,42,33,85,14**	**2,54,49,49,11**	**2,31,32,47,68**	**(-)23,17,01,43**
अनुपूरक	**12,15,63,97**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

प्रभारित :

मूल	***18,44,00***	***18,44,00***	***11,21,22***	***(-)7,22,78***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹2,31,701.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹7,963.97 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹1,13,600.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,21,563.97 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹2,31,701.43 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹4,714.00 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹79.60 लाख के कारण, ₹4,634.40 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-101-0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,64,190.85	1,46,575.85	1,16,655.06	(-)29,920.79	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹17,615.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)17,615.00				
2071-01-101-0002 उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवा निवृत होने वाले कर्मियों को पेंशन भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,22,919.74	13,56,057.92	12,63,269.83	(-)92,788.09	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹66,861.82 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत बजट, प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)66,861.82				
2071-01-101-0009 राज्य के न्यायिक सेवा के सेवा निवृत पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों पर हुए चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	34.09	272.09	105.88	(-)166.21	प्रावधान में ₹ 238.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूत्ति के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	238.00				
2071-01-102-0001 उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,09,539.92	1,35,171.92	1,23,883.56	(-)11,288.36	प्रावधान में ₹25,632.00 लाख की वृद्धि पेंशन रूपांतरण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	25,632.00				

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-104-0001 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को अन्य उपदान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	856.01	856.01	338.81	(-)517.20	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-105-0001 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को पारिवारिक पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	56,038.16	73,060.16	63,052.48	(-)10,007.68	प्रावधान में ₹17,022.00 लाख की वृद्धि पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	17,022.00				
2071-01-105-0002 उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,35,249.75	2,96,549.75	2,55,305.20	(-)41,244.55	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	अनु०	61,300.00				
2071-01-111-0001 बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,335.00	6,235.00	1,892.88	(-)4,342.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹100.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2071-01-111-0002 बिहार विधानपरिषद् के पूर्व सदस्यगण को पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,100.00	1,100.00	260.16	(-)839.84	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-111-0003 विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को चिकित्सा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	250.00	325.00	292.37	(-)32.63	प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की वृद्धि भूतपूर्व विधायकों के चिकित्सा व्यय के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	75.00				
2071-01-115-0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी एवं पदाधिकारी को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,08,063.77	1,27,863.77	1,24,064.96	(-)3,798.81	प्रावधान में ₹19,800.00 लाख की वृद्धि अर्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	19,800.00				
2071-01-191-0001 शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	77.09	77.09	0.00	(-)77.09	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2071-01-191-0002 नगर निगम माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-192-0001 शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	42.63	42.63	0.00	(-)42.63	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2071-01-193-0001 शिक्षको को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	105.70	105.70	0.00	(-)105.70	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2071-01-196-0001 जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अंतर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	170.00	170.00	0.00	(-)170.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2071-01-197-0001 शिक्षकों को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	3,753.48	3,753.48	0.00	(-)3,753.48	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2071-01-198-0001 शिक्षको को रिटायर्ड बेनिफिट पेंशन स्कीम के अन्तर्गत अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	3,765.07	3,765.07	0.00	(-)3,765.07	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -15- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-800-0002 सेवानिवृत राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	27.75	27.75	0.00	(-)27.75	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-102-0002 15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	49.67	303.67	315.06	(+)11.39	प्रावधान में ₹ 254.00 लाख की वृद्धि पेंशन रूपांतरण के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	254.00				

राजस्व (प्रभारित)

(v) ₹722.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹1,844.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या -15- क्रमांत

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2071-01-106-0001 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायाधीशों को देय, अंशदान-प्रभृत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*1,340.94*	*1,286.83*	*769.55*	*(-)517.28*	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 54.11 लाख की कमी उपादान से संबंधित बजट में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	*(-)54.11*				
2071-01-106-0002 सेवानिवृत माननीय न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए चिक्त्सिा व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*433.46*	*433.46*	*242.21*	*(-)191.25*	अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
2071-01-106-0003 सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*69.60*	*123.71*	*109.47*	*(-)14.24*	प्रावधान में ₹ 54.11 लाख की वृद्धि पेंशन के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत, बजट प्राक्कलन से कम व्यय के कारण था।
	पुनर्वि०	*54.11*				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-22 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2071	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 16- पंचायती राज विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	94,71,41,19	1,32,41,64,88	85,99,71,84	(-)46,41,93,04
अनुपूरक	37,70,23,69			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	3,30,00,00	3,30,00,00	61,45,89	(-)2,68,54,11
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹4,64,193.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹3,61,301.69 लाख), दिसम्बर 2022 (₹10,722.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹5,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,77,023.69 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹4,64,193.04 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹10,455.65 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹4,202.70 लाख के कारण, ₹6,252.95 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-101-0001 राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	711.86	753.90	577.13	(-)176.77	प्रावधान में ₹ 42.04 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	42.04				
2015-00-109-0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,450.00	16,708.35	14,361.36	(-)2,346.99	प्रावधान में ₹ 613.65 लाख की हुई कमी, ₹180.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹793.65 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोग द्वारा ₹186.11 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹607.54 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9,872.00				
	पुनर्वि०	(-)613.65				
2515-00-001-0003 जिला पंचायत की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	31,384.60	37,184.60	23,788.30	(-)13,396.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,800.00				
2515-00-001-0101 मुख्यालय पंचायत स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,400.00	1,400.00	842.01	(-)557.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-001-0102 जिला पंचायत की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	17,000.00	12,750.00	2,436.37	(-)10,313.63	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,250.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4,250.00				
2515-00-003-0001 पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	286.42	286.42	97.76	(-)188.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-196-0007 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	47,130.00	1,12,050.98	55,347.96	(-)56,703.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	64,920.98				
2515-00-196-0008 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेप कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	90,446.98	90,446.98	0.00	(-)90,446.98	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-197-0004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	47,130.00	95,310.11	53,166.15	(-)42,143.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	48,180.11				

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-198-0009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,19,939.99	4,68,140.59	2,69,230.18	(-)1,98,910.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,48,200.60				
2515-00-198-0010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20,100.01	20,100.01	13,230.30	(-)6,869.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-198-0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,350.00	14,600.00	7,920.56	(-)6,679.44	प्रावधान में ₹ 4,250.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	4,250.00				
2515-00-198-0115 स्वच्छ गाँव - निश्चय-2 कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	10,132.06	10,132.06	203.11	(-)9,928.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-198-0215 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,329.82	12,329.82	3,130.00	(-)9,199.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-198-0315 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,092.12	4,092.12	2,086.67	(-)2,005.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-789-0112 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,500.00	4,500.00	3,306.55	(-)1,193.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-789-0115 स्वच्छ गाँव - निश्चय-2 कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	9,116.42	9,116.42	18.21	(-)9,098.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-789-0214 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,587.74	2,587.74	207.00	(-)2,380.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-789-0314 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	858.84	858.84	138.00	(-)720.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-796-0119 मुख्यमंत्री निश्चय योजना (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	103.97	(-)46.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-796-0120 स्वच्छ गाँव - निश्चय-2 कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	751.52	751.52	0.73	(-)750.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 16- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-796-0220 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	304.44	304.44	0.00	(-)304.44	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-796-0320 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	101.04	101.04	0.00	(-)101.04	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-800-0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	463.48	(-)336.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0028 पंचायती राज विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	212.12	283.12	175.37	(-)107.75	प्रावधान में ₹ 71.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	71.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-198-0014 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम कचहरी को अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.01	0.01	444.50	(+)444.49	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹444.49 लाख अधिक है।

अनुदान संख्या- 16- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-198-0106 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	8,300.00	8,300.00	9,369.35	(+)1,069.35	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹1,069.35 लाख अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹26,854.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹33,000.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹26,854.11 लाख की अंतिम बचत ₹141.76 लाख से कम है।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-101-0108 पंचायत सरकार भवन (राज्य स्कीम)	मूल	33,000.00	33,000.00	6,145.89	(-)26,854.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 17- वाणिज्य-कर विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर अंतर्गत संग्रहन प्रभार

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	1,75,97,04	1,77,47,06	1,41,92,90	(-)35,54,16
अनुपूरक	1,50,02			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹3,554.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹0.01 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹150.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹150.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। था। ₹3,554.16 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹14.64 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹7.13 लाख के कारण, ₹7.51 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2043-00-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,095.96	6,045.98	4,050.22	(-)1,995.76	प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की हुई कमी, ₹1,285.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,485.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	150.02				
	पुनर्वि०	(-)200.00				
2043-00-001-0002 वाणिज्य कर अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	193.39	193.39	138.48	(-)54.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2043-00-101-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,306.69	11,506.69	9,996.18	(-)1,510.51	प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹467.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹267.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	200.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2043	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2408 **खाद्य, भंडारण तथा भंडागार**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

3456 **सिविल पूर्ति**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**10,09,95,10**	**22,40,52,36**	**12,56,98,13**	**(-)9,83,54,23**
अनुपूरक	**12,30,57,26**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**10,00,03**
22 दिसम्बर 2022	10,00,03			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4408 **खाद्य, भंडारण तथा भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय**

5475 **अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

6408 **खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज**

दत्तमत :

मूल	**1,75,00,18**	**1,85,00,18**	**1,27,49,15**	**(-)57,51,03**
अनुपूरक	**10,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹98,354.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹1,21,657.03 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,293.03 लाख) तथा मार्च 2023 (₹107.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,23,057.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹98,354.23 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹56.99 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹29.77 लाख के कारण, ₹27.22 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,000.03 लाख), अंतिम बचत (₹98,354.23 लाख) से ₹97,354.20 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2408-01-101-0104 दाल अधिप्राप्ति-सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	750.00	0.00	(-)750.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2408-01-101-0201 एनएफएसए अन्तर्गत खाद्यानों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30,000.00	50,020.23	43,414.31	(-)6,605.92	₹ 0.03 लाख के प्रत्यर्पण एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) योजना अन्तर्गत नये खोले गये शीर्ष (केन्द्रांश) के लिए राशि का प्रावधान कराये जाने के कारण किया गया है। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20,020.26				
	पुनर्वि०	(-)0.03				
2408-01-101-0202 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्म निर्भर भारत योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	45,000.00	45,000.00	0.00	(-)45,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2408-01-101-0301 प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्म निर्भर भारत योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,232.80	25,232.80	0.00	(-)25,232.80	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20,000.00				
3451-00-090-0011 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	871.25	925.26	807.90	(-)117.36	प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	36.01				
	पुनर्वि०	18.00				

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,290.04	8,315.04	6,233.55	(-)2,081.49	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	43.00				
	पुनर्वि०	(-)18.00				
3456-00-001-0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,152.36	3,229.56	2,140.48	(-)1,089.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	77.20				
3456-00-001-0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	371.52	380.52	225.10	(-)155.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9.00				
3456-00-102-0004 जन-वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,439.09	2,239.09	1,995.42	(-)243.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	800.00				
3456-00-102-0015 गोदामों के अनुरक्षण तथा तथा मरम्मती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	944.00	642.47	(-)301.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	444.00				
3456-00-102-0016 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन गोदामों के पहुँच पथ के अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-102-0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	7,235.51	(-)2,764.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3456-00-102-0106 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (खाद्य सुरक्षा भत्ता) (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3456-00-102-0306 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,000.00	56,434.22	49,918.95	(-)6,515.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	36,434.22				
3456-00-102-0411 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	27.19	27.19	0.00	(-)27.19	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3456-00-191-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 18- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-192-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	255.00	255.00	0.35	(-)254.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3456-00-193-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	450.00	450.00	2.35	(-)447.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3456-00-198-0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	750.00	4.36	(-)745.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3456-00-789-0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	17,019.00	16,019.00	12,009.65	(-)4,009.35	₹1,000.00 लाख का प्रत्यर्पण खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्राणाधीन निर्मित गोदामों के पहुँच पथ के निर्माण हेतु राशि का प्रावधान कम रहने के कारण किया गया है। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

अनुदान संख्या- 18- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3456-00-796-0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,064.00	1,227.38	1,064.58	(-)162.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	163.38				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹5,751.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4408-02-101-0103 खाद्यान्न भंडार गोंदामों का निर्माण (नार्बाड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	15,000.00	9,515.74	(-)5,484.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5475-00-051-0102 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	33.25	(-)266.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या 19- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2406 **वानिकी तथा वन्य प्राणी**

2852 **उद्योग**

3435 **पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**6,22,84,76**	**7,68,73,45**	**5,73,80,67**	**(-)1,94,92,78**
अनुपूरक	**1,45,88,69**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**37,00**
20 जनवरी 2023	30,00			
2 मार्च 2023	7,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4406 **वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय**

6406 **वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए कर्ज**

दत्तमत :

मूल	**40,00,00**	**40,10,27**	**24,93,78**	**(-)15,16,49**
अनुपूरक	**10,27**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹19,492.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹6,283.95 लाख), दिसम्बर 2022 (₹8,267.74 लाख) तथा मार्च 2023 (₹37.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 14,588.69 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹19,492.78 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹1,573.59 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹853.42 लाख के कारण, ₹720.17 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹37.00 लाख), अंतिम बचत (₹19,492.78 लाख) से ₹19,455.78 लाख कम था।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,154.03	2,154.03	1,903.32	(-)250.71	प्रावधान में ₹70.00 लाख की हुई कमी, ₹10.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹80.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 10.00 लाख की वृद्धि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा पर हुये व्यय के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹80.00 लाख की कमी वेतन एवं जीवन यापन भत्ता में आवश्यकता से अधिक राशि होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	70.00				
	पुनर्वि०	(-)70.00				
2406-01-003-0001 प्रशिक्षण, जन सम्पर्क एवं शोध हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	593.31	761.71	711.23	(-)50.48	प्रावधान में ₹161.00 लाख की वृद्धि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर हुए व्यय एवं वनरक्षी के प्रशिक्षण शुल्क के आंशिक भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7.40				
	पुनर्वि०	161.00				
2406-01-101-0111 जल जीवन हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	8,000.00	8,000.00	7,076.68	(-)923.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-102-0109 प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी (राज्य स्कीम)	मूल	4,593.00	4,593.00	3,676.32	(-)916.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-01-105-0104 प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	773.22	(-)426.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-01-105-0105 प्लांट टिशु कल्चर लैब (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-01-789-0101 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	1,200.00	1,200.00	712.43	(-)487.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-01-789-0102 नहर तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	650.00	650.00	423.03	(-)226.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-01-789-0103 पथ तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	853.00	853.00	415.75	(-)437.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0121 वन्य प्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	700.00	624.96	(-)75.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,309.40	1,309.40	0.00	(-)1,309.40	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0224 व्याघ्र परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,751.00	1,751.00	238.01	(-)1,512.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-02-110-0226 गज परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	516.65	516.65	15.70	(-)500.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0227 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	496.00	496.00	0.00	(-)496.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	591.80	591.80	0.00	(-)591.80	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0324 व्याघ्र परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	604.70	604.70	199.55	(-)405.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0326 गज परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	63.03	63.03	10.47	(-)52.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-110-0327 राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	49.50	49.50	0.00	(-)49.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-02-111-0001 अन्य उद्यान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,793.40	2,356.60	1,954.78	(-)401.82	प्रावधान में ₹80.00 लाख की वृद्धि निदेशक, राजगीर जू सफारी, नालंदा के कर्मचारियों यथा नव पदस्थापित वनरक्षी, वनपाल एवं निम्नवर्गीय लिपिक के वेतनादि हेतु भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹60.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	423.20				
	पुनर्वि०	140.00				
2406-02-112-0101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	8,012.30	8,012.30	5,621.14	(-)2,391.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-02-789-0102 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,982.00	1,982.00	1,614.99	(-)367.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-101-0201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	678.20	678.20	0.00	(-)678.20	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-101-0204 समेकित वन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	721.75	721.75	39.62	(-)682.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-04-101-0205 राष्ट्रीय बांस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	474.00	474.00	0.00	(-)474.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-101-0301 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	170.97	170.97	0.00	(-)170.97	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-101-0304 समेकित वन प्रबंधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	95.23	(-)104.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-101-0305 राष्ट्रीय बांस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	35.00	35.00	5.07	(-)29.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-103-0101 प्रतिपूरक वनीकरण (राज्य स्कीम)	अनु०	3,174.00	3,174.00	2,040.35	(-)1,133.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-103-0104 वनभूमि का निवल वर्तमान मूल्य (राज्य स्कीम)	अनु०	7,040.72	7,040.72	5,383.56	(-)1,657.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-103-0105 ब्याज (राज्य स्कीम)	अनु०	1,344.01	1,344.01	863.39	(-)480.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-789-0201 राष्ट्रीय बांस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	459.00	459.00	0.00	(-)459.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-04-789-0301 राष्ट्रीय बांस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2406-04-796-0201 राष्ट्रीय बांस मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	444.00	444.00	0.00	(-)444.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3435-03-102-0001 बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	456.75	456.75	151.09	(-)305.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0006 पर्यावरण एवं वन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	831.70	851.70	574.23	(-)277.47	प्रावधान में ₹ 37.00 लाख की हुई कमी, ₹5.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹5.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 37.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पदाधिकारियों / कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा कमी संविदा सेवायें में आवश्यकता से अधिक राशि रहने के कारण था। प्रत्यर्पण वाहन के रख-रखाव, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा प्रतिपूति में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	57.00				
	पुनर्वि०	(-)37.00				

अनुदान संख्या 19- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2406-01-101-0109 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	151.19	(+)151.19	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 151.19 लाख से अधिक है।
2406-01-796-0103 अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	101.04	(+)101.04	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 101.04 लाख से अधिक है।
2406-01-800-0105 पथ तट फार्म (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	345.62	(+)345.62	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 345.62 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹1,516.49 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹10.27 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4406-01-070-0101 सड़क और पुल (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	63.24	(-)436.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4406-01-070-0102 भवन (राज्य स्कीम)	मूल	3,500.00	3,500.00	2,420.27	(-)1,079.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 19- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 20- स्वास्थ्य विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2211 परिवार कल्याण

2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,43,72,55,71**	**1,67,78,81,23**	**95,87,57,67**	**(-)71,91,23,56**
अनुपूरक	**24,06,25,52**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,45,00,00**
19 दिसम्बर 2022	60,00,00			
2 मार्च 2023	85,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**17,61,82,97**	**37,78,45,97**	**24,26,37,57**	**(-)13,52,08,40**
अनुपूरक	**20,16,63,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**7,66,40,00**
2 मार्च 2023	7,66,40,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,19,123.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹2,20,524.86 लाख), दिसम्बर 2022 (₹15,651.48 लाख) तथा मार्च 2023 (₹4,449.18 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,40,625.52 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹7,19,123.56 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹941.84 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹19.60 लाख के कारण, ₹922.24 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹14,500.00 लाख), अंतिम बचत (₹7,19,123.56 लाख) से ₹7,04,623.56 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0029 बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	825.01	830.01	276.53	(-)553.48	प्रावधान में ₹5.00 लाख की वृद्धि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के सहायक अनुदान-गैर वेतन में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	5.00				
2210-01-001-0001 स्वास्थ्य निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,868.73	4,393.73	2,554.87	(-)1,838.86	प्रावधान में ₹375.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹395.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹20.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि स्वास्थ्य निदेशालय, पटना के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	150.00				
	पुनर्वि०	375.00				
2210-01-001-0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,012.99	10,144.08	8,129.39	(-)2,014.69	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹62.61 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,193.70				
	पुनर्वि०	(-)62.61				
2210-01-001-0004 अंधेपन की रोकथाम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,736.91	1,746.91	1,138.93	(-)607.98	प्रावधान में ₹10.00 लाख की वृद्धि अंधेपन की रोकथाम अन्तर्गत यात्रा व्यय मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	10.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-001-0108 संजीवनी क्रार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	375.00	0.00	(-)375.00	₹2,500.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक आगणन के द्वारा अन्तर सामंजन के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 125.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,625.00				
2210-01-103-0301 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा (पीएमएसएसवाई) फेज-5 (बी) अन्तर्गत आई जी आई एम एस का उन्नयन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	1,000.00	500.00	(-)500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	500.00				
2210-01-110-0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	31,330.69	32,137.26	26,724.77	(-)5,412.49	प्रावधान में ₹823.00 लाख की हुई कमी, ₹120.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹943.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,629.57				
	पुनर्वि०	(-)823.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0006 मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,224.15	9,059.74	8,087.65	(-)972.09	प्रावधान में ₹164.41 लाख की हुई कमी, ₹660.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹824.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)164.41				
2210-01-110-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,686.56	21,156.62	16,397.78	(-)4,758.84	प्रावधान में ₹500.00 लाख की वृद्धि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹300.00 लाख की वृद्धि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर के दवा भंडार मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,670.06				
	पुनर्वि०	800.00				
2210-01-110-0009 भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,401.54	14,416.54	13,849.92	(-)566.62	प्रावधान में ₹2,015.00 लाख की वृद्धि भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, भागलपुर के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	2,015.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0010 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,117.72	7,775.10	6,625.33	(-)1,149.77	प्रावधान में ₹342.62 लाख की हुई कमी, ₹80.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹422.62 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना के लिए विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)342.62				
2210-01-110-0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	428.65	428.65	245.28	(-)183.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-110-0012 राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	831.40	839.75	287.31	(-)552.44	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	23.35				
	पुनर्वि०	(-)15.00				
2210-01-110-0013 सदर एवं अनुमंडल अस्पताल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,37,926.44	1,40,913.47	93,944.03	(-)46,969.44	प्रावधान में ₹2,187.03 लाख की हुई वृद्धि, ₹2,204.03 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 17.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सदर अस्पताल स्थापना में विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	800.00				
	पुनर्वि०	2,187.03				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0016 मानसिक आरोग्यशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	500.00	(-)500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-110-0020 राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,065.66	1,065.66	0.00	(-)1,065.66	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-110-0021 वर्द्धमान इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज अस्पताल, पावापुरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,735.06	5,299.28	4,140.54	(-)1,158.74	प्रावधान में ₹493.72 लाख की हुई वृद्धि, ₹800.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹306.28 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा के व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	70.50				
	पुनर्वि०	493.72				
2210-01-110-0025 राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,781.24	4,965.08	4,105.02	(-)860.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	183.84				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0026 जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,523.75	6,903.95	3,272.20	(-)3,631.75	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,619.80 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,619.80				
2210-01-110-0028 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,494.47	5,194.47	2,057.78	(-)3,136.69	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹300.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				
2210-01-110-0039 अस्पतालों एवं औषधालयों का अनुरक्षन एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	4,000.00	2,975.17	(-)1,024.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-110-0127 ममता कार्यकर्त्ता (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	956.43	(-)4,043.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-110-0128 स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	6,500.00	0.00	(-)6,500.00	₹ 3,500 लाख के प्रत्यर्पण तृतीय अनुपूरक द्वारा अन्तर के सामंजन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,500.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-110-0225 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,500.00	3,500.00	0.00	(-)3,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-110-0325 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	2,333.00	0.00	(-)2,333.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,333.00				
2210-01-200-0001 यक्ष्मा निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,633.15	7,681.15	5,613.28	(-)2,067.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	48.00				
2210-01-200-0002 कुष्ठ निरोध कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,233.73	7,240.73	4,068.39	(-)3,172.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7.00				
2210-01-200-0005 अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,158.09	6,544.49	4,956.86	(-)1,587.63	प्रावधान में ₹386.40 लाख की वृद्धि, अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय के अंतर्गत वेतनादि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा संविदा सेवाएँ मद में भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	386.40				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-200-0006 विधायक अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	299.01	299.01	183.32	(-)115.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-200-0008 रक्त भंडार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	727.30	727.30	636.01	(-)91.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-200-0009 राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	256.91	256.91	220.58	(-)36.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-200-0111 एम्बुलेंस परिचालन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	1,500.00	1,000.00	(-)500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,000.00				
2210-01-200-0309 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,000.00	38,817.00	19,026.50	(-)19,790.50	प्रावधान में ₹1,150.00 लाख की वृद्धि एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए अनुग्रह अनुदान मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	25,667.00				
	पुनर्वि०	1,150.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-789-0201 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	45,100.00	45,100.00	7,094.00	(-)38,006.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-789-0202 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयुएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	1,800.00	0.00	(-)1,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-789-0301 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,300.00	30,067.00	13,955.17	(-)16,111.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	26,767.00				
2210-01-789-0303 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयुएचएम) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	1,200.00	0.00	(-)1,200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	700.00				
2210-01-796-0219 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,200.00	2,200.00	1,068.00	(-)1,132.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-01-796-0220 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयुएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-01-796-0319 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	1,467.00	1,233.71	(-)233.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	967.00				
2210-01-796-0321 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयुएचएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	333.00	0.00	(-)333.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	133.00				
2210-02-101-0001 देशी आयुर्वेद विज्ञान, निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,917.24	11,625.24	3,138.72	(-)8,486.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,708.00				
2210-02-101-0002 आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माणशाला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	314.75	314.75	188.03	(-)126.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-02-103-0006 राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,024.35	987.22	497.01	(-)490.21	प्रावधान में ₹37.13 लाख की हुई कमी, ₹70.98 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹108.11 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)37.13				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-02-200-0103 प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	1,100.00	1,100.00	0.00	(-)1,100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-02-200-0202 औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,850.00	10,850.00	0.00	(-)10,850.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-02-200-0302 औषधीय पौधें संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	3,033.00	0.00	(-)3,033.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,033.00				
2210-03-001-0101 संजीवनी कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक आगणन के द्वारा अन्तर समायोजन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,500.00				
2210-03-101-0003 स्वास्थ्य उप-केंद्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,920.82	12,761.08	4,643.56	(-)8,117.52	प्रावधान में ₹840.26 लाख की वृद्धि स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापना में विद्युत विपत्रों भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	840.26				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-03-103-0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,04,522.14	2,01,328.41	1,25,109.64	(-)76,218.77	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,253.73 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60.00				
	पुनर्वि०	(-)3,253.73				
2210-03-103-0103 स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	25,000.00	20,000.00	10,000.00	(-)10,000.00	₹5,000.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2210-03-110-0001 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	67,813.88	70,681.08	40,635.39	(-)30,045.69	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,632.80 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,500.00				
	पुनर्वि०	(-)1,632.80				
2210-03-110-0006 अस्पतालों एवं औषधालयों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	4,000.00	3,129.53	(-)870.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-03-110-0203 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,20,000.00	1,20,000.00	74,018.00	(-)45,982.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-03-110-0303 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,000.00	80,000.00	71,880.30	(-)8,119.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60,000.00				
2210-03-110-0305 एनएचएम के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	3,850.00	3,144.00	(-)706.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,150.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,150.00				
2210-03-789-0201 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	34,774.00	34,774.00	12,091.00	(-)22,683.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-03-789-0301 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	23,183.00	4,339.57	(-)18,843.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	18,183.00				
2210-03-796-0202 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.00	9.00	(-)2,991.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-03-796-0302 एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,300.00	2,000.00	300.00	(-)1,700.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	700.00				
2210-04-101-0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,871.50	2,871.50	1,251.79	(-)1,619.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-04-102-0001 होम्योपैथी औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	971.80	979.97	404.57	(-)575.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8.17				
2210-04-103-0001 यूनानी औषधालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,091.90	1,098.90	313.03	(-)785.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7.00				
2210-05-101-0001 आयुर्वेद कॉलेज, बेगूसराय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,239.36	1,399.28	1,114.45	(-)284.83	प्रावधान में ₹17.92 लाख की वृद्धि, विद्युत प्रभार मद में राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	142.00				
	पुनर्वि०	17.92				
2210-05-101-0004 आयुर्वेद कॉलेज, मोहनपुर दरभंगा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	504.60	654.60	414.21	(-)240.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	150.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-101-0005 आयुर्वेद कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	321.96	321.96	133.23	(-)188.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-05-102-0001 होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,526.11	1,591.51	1,264.11	(-)327.40	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹114.60 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	180.00				
	पुनर्वि०	(-)114.60				
2210-05-103-0001 तिब्बी कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,976.35	2,858.08	1,933.47	(-)924.61	प्रावधान में ₹118.27 लाख की हुई कमी, ₹55.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹173.27 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तिब्बी कॉलेज, पटना के संविदा सेवायें में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)118.27				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0001 पटना मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	28,224.44	27,843.20	12,895.94	(-)14,947.26	प्रावधान में ₹381.24 लाख की हुई कमी, ₹362.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹743.24 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 322.00 लाख की वृद्धि पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹40.00 लाख की वृद्धि पटना मेडिकल कॉलेज (बिहार कॉलज ऑफ फिजियोथेरपी एवं ऑक्युपेशनलथेरपी, पटना) के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)381.24				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0003 दरभंगा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	23,561.35	23,671.96	9,339.33	(-)14,332.63	प्रावधान में ₹110.61 लाख की हुई वृद्धि, ₹999.41 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹888.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 835.00 लाख की वृद्धि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹164.41 लाख की वृद्धि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	110.61				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0005 नालन्दा मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,600.87	18,106.38	7,422.68	(-)10,683.70	प्रावधान में ₹494.49 लाख की हुई कमी, ₹27.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹521.49 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹2.00 लाख की वृद्धि नालन्दा मेडिकल कॉलेज के विधि प्रभार मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹25.00 लाख की वृद्धि नालन्दा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)494.49				
2210-05-105-0007 मगध मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,881.43	15,952.52	5,223.78	(-)10,728.74	प्रावधान में ₹600.00 लाख की हुई वृद्धि मगध मेडिकल कॉलेज, गया के लिए विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹210.71 लाख की वृद्धि मगध मेडिकल कॉलेज, गया स्थापना में विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	260.38				
	पुनर्वि०	810.71				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0008 श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,721.27	16,238.10	4,265.73	(-)11,972.37	प्रावधान में ₹316.83 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 604.32 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 287.49 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹150.00 लाख की वृद्धि छात्रों के वजीफा/छात्रवृति के लिए, ₹81.00 लाख स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एवं ₹373.32 लाख की राशि विद्युत विपत्रों के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	200.00				
	पुनर्वि०	316.83				
2210-05-105-0009 दंत महाविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	884.15	1,397.64	1,035.39	(-)362.25	प्रावधान में ₹313.49 लाख की वृद्धि, दंत महाविद्यालय, पटना के लिए वेतन, भत्ता एवं अन्य मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹200.00 लाख की वृद्धि, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के लिए मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	513.49				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,108.90	18,108.90	5,643.49	(-)12,465.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-05-105-0013 प्रशिक्षण फार्मेसी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,060.19	7,088.99	293.26	(-)6,795.73	प्रावधान में ₹1,971.20 लाख की हुई कमी, ₹204.80 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,176.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि फार्मेसी प्रशिक्षण के विभिन्न मदों एवं मशीन एवं उपस्कर-कार्यालय मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,971.20				
2210-05-105-0015 शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	0.00	(-)150.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-05-105-0016 नामांकन पर्यवेक्षण समिति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	33.00	(-)117.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0022 वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज, पावापुरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,599.34	15,799.34	3,949.23	(-)11,850.11	प्रावधान में ₹200.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹500.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹300.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 400.00 लाख की वृद्धि वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेस, पावापुरी, नालन्दा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹100.00 लाख की वृद्धि वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेस, पावापुरी, नालन्दा के कार्यालय मद में राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	200.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0023 राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,860.34	4,327.84	2,300.54	(-)2,027.30	प्रावधान में ₹467.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹985.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹517.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 885.00 लाख की वृद्धि, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹100.00 लाख की वृद्धि, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया के मशीनें एवं उपस्कर कार्यालय मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	467.50				
2210-05-105-0026 राजकीय दंत महाविद्यालय, पैठना, रहुई, नालन्दा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,988.10	1,988.10	0.00	(-)1,988.10	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0028 जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,170.06	5,018.06	2,544.60	(-)2,473.46	प्रावधान में ₹152.00 लाख की हुई कमी, ₹338.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹490.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा के लिए विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)152.00				
2210-05-105-0029 नर्सिंग कॉलेज (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	705.52	1,183.48	341.10	(-)842.38	प्रावधान में ₹476.00 लाख की वृद्धि नर्सिंग कॉलेज के लिए वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों मे व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹ 1.96 लाख की वृद्धि नर्सिगं कॉलेज के लिए विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	477.96				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0031 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,387.74	4,664.81	1,277.87	(-)3,386.94	प्रावधान में ₹722.93 लाख की हुई कमी, ₹543.49 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,266.42 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹360.00 लाख की वृद्धि, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के संविदा सेवायें मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹183.49 लाख की वृद्धि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णियाँ के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)722.93				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0041 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, सीवान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	460.48	360.58	44.44	(-)316.14	प्रावधान में ₹99.90 लाख की हुई कमी, ₹15.20 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, सिवान के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)99.90				
2210-05-105-0042 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बांका (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	460.48	360.58	35.95	(-)324.63	प्रावधान में ₹99.90 लाख की हुई कमी, ₹15.20 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बाँका के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)99.90				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0044 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, रोहतास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	460.48	360.58	34.06	(-)326.52	प्रावधान में ₹99.90 लाख की हुई कमी, ₹15.20 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, रोहतास के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)99.90				
2210-05-105-0046 राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, नालन्दा (वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान कैम्पस) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	460.57	360.67	25.44	(-)335.23	प्रावधान में ₹99.90 लाख की हुई कमी, ₹15.20 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, नालंदा के विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)99.90				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-05-105-0049 चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-05-200-0002 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	266.50	266.50	200.00	(-)66.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-05-200-0102 राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	99.00	(-)201.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,651.63	1,651.63	1,251.38	(-)400.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-003-0002 जन स्वास्थ्य संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,089.43	3,090.95	1,208.41	(-)1,882.54	प्रावधान में ₹1.52 लाख की वृद्धि जन स्वास्थ्य संस्थान के अन्तर्गत विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	1.52				
2210-06-101-0002 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,642.35	4,650.36	2,285.10	(-)2,365.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8.01				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-06-101-0003 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,280.40	4,473.84	2,859.21	(-)1,614.63	प्रावधान में ₹18.00 लाख की वृद्धि बकाया मकान किराया का भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹175.44 लाख की वृद्धि बकाया मजदूरी भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	193.44				
2210-06-101-0012 महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-101-0016 कोविड-19 उन्मूलन कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,446.07	72,219.07	99.99	(-)72,119.08	₹4,570.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	58,343.00				
	पुनर्वि०	(-)4,570.00				
2210-06-104-0001 औषध नियंत्रण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,729.09	2,960.59	2,351.15	(-)609.44	प्रावधान में ₹17.00 लाख की वृद्धि कार्यरत कर्मियों के चिकित्सा पर हुए व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹160.50 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	54.00				
	पुनर्वि०	177.50				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-06-104-0002 प्रधान कुनैन पूर्ति डीपो, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	126.03	126.03	73.88	(-)52.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-104-0203 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-107-0001 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	208.15	1,338.15	465.84	(-)872.31	प्रावधान में ₹1,130.00 लाख की वृद्धि वेतनादि के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	1,130.00				
2210-06-113-0001 प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	105.09	105.09	58.08	(-)47.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-200-0001 अन्य पद्धतियाँ (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.01	150.01	0.00	(-)150.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2210-06-789-0201 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	55.00	55.00	0.00	(-)55.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2210-80-101-0101 मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (राज्य स्कीम)	अनु०	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-001-0204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,099.00	12,099.00	2,983.04	(-)9,115.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-001-0304 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,000.00	5,000.00	1,249.92	(-)3,750.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-003-0206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,000.00	8,000.00	835.19	(-)7,164.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-003-0306 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	282.56	(-)1,217.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-004-0202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	200.00	200.00	1.62	(-)198.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2211-00-004-0302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	65.38	(-)434.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-101-0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,446.69	11,432.45	5,529.29	(-)5,903.16	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹14.24 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)14.24				
2211-00-101-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90,000.00	90,000.00	66,785.55	(-)23,214.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-101-0305 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	11,500.00	33,505.11	16,525.69	(-)16,979.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	22,005.11				
2211-00-102-0202 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	237.06	(-)762.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2211-00-102-0302 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	300.00	39.83	(-)260.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2211-00-103-0001 मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,908.86	1,946.86	448.84	(-)1,498.02	प्रावधान में ₹38.00 लाख की वृद्धि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अन्तर्गत संविदा मद में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	38.00				
2211-00-103-0102 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत संपूर्ण टीकाकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक आगणन के द्वारा अन्तर समायोजन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2230-03-102-0102 स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में बिहार कौशल विकास प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	26.76	(-)73.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0007 स्वास्थ्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	987.78	1,007.80	455.12	(-)552.68	प्रावधान में ₹20.00 लाख की वृद्धि विभाग में गाड़ी क्रय में व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.02				
	पुनर्वि०	20.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2211-00-001-0104 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	121.42	(+)121.42	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹121.42 लाख से अधिक है।
2211-00-101-0105 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	964.92	(+)964.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹964.92 लाख से अधिक है।
2211-00-101-0602 स्वास्थ्य उपकेन्द्र (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	66.19	(+)66.19	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹66.19 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹1,35,208.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹20,975.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 1,66,188.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹14,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,01,663.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹76,640.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,35,208.40 लाख) से ₹58,568.40 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-051-0103 जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	550.00	0.00	(-)550.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	500.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-051-0104 शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	3,750.00	2,000.00	(-)1,750.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,250.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,250.00				
4210-01-110-0110 इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	4,500.00	1,000.00	(-)3,500.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,500.00				
4210-01-110-0113 जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	12,360.01	7,335.00	(-)5,025.01	प्रावधान में ₹5,140.00 लाख की हुई कमी, ₹ 4,860.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,500.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹7,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रावधान में ₹ 4,860.00 लाख की वृद्धि जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य के लिए मुख्य निर्माण कार्य मद मे व्यय हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 7,500.00 लाख के प्रत्यर्पण तृतीय अनुपूरक आगणन के लिए अन्तर सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7,500.01				
	पुनर्वि०	(-)5,140.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-01-110-0117 मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	9,713.00	7,806.00	(-)1,907.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹635.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,348.00				
	पुनर्वि०	(-)635.00				
4210-01-110-0118 जल जीवन हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	76.70	(-)423.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4210-01-110-0119 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
4210-01-110-0320 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	205.00	9,005.00	0.00	(-)9,005.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8,800.00				
4210-02-103-0101 रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	3,250.00	0.00	(-)3,250.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,110.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹640.00 लाख के प्रत्यर्पण तृतीय अनुपूरक आगणन के लिए अन्तर सामंजन की प्रत्याशा के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,750.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-02-103-0102 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	2,250.00	0.00	(-)2,250.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹750.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)750.00				
4210-02-110-0101 आयुष कॉलेज अस्पताल एवं औषधालय (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	4,045.00	1,365.00	(-)2,680.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	45.00				
4210-03-051-0201 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	72,317.98	3,817.98	3,780.53	(-)37.45	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹68,500.00 लाख की कमी भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)68,500.00				
4210-03-105-0111 दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	27,896.00	25,500.00	(-)2,396.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹789.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	24,694.00				
	पुनर्वि०	(-)798.00				
4210-03-105-0112 एएनएम एवं जीएनएम स्कूल (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	19,000.00	3,850.00	(-)15,150.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	14,000.00				
4210-03-105-0119 बीएससी नर्सिंग कॉलेज (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	11,000.00	3,250.00	(-)7,750.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,000.00				

अनुदान संख्या- 20-क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4210-04-051-0201 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्ट्रेंथेनिंग ऑफ स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 21- शिक्षा विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2202 सामान्य शिक्षा

2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

2205 कला एवं संस्कृति

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,84,82,26,09**	**5,48,80,80,33**	**4,15,79,74,24**	**(-)1,33,01,06,09**
अनुपूरक	**1,63,98,54,24**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**63,76,73,97**
19 दिसम्बर 2022	12,72,00			
20 फरवरी 2023	5,04,54			
2 मार्च 2023	1,53,06,43			
17 मार्च 2023	60,93,02,00			
20 मार्च 2023	1,12,89,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**7,09,61,00**	**10,11,57,01**	**5,16,03,82**	**(-)4,95,53,19**
अनुपूरक	**3,01,96,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1,59,30,00**
17 मार्च 2023	1,58,40,00			
20 मार्च 2023	90,00			

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹13,30,106.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹12,01,386.33 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,94,528.92 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,43,938.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹16,39,854.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹13,30,106.09 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹65,046.80 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹30,690.13 लाख के कारण, ₹34,356.67 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,37,673.97 लाख), अंतिम बचत (₹13,30,106.09 लाख) से ₹6,92,432.12 लाख कम था।

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-001-0001 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	683.20	1,038.20	900.97	(-)137.23	प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कार्यालय व्यय एवं भाड़े की गाड़ी मद में भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	340.00				
	पुनर्वि०	15.00				
2202-01-001-0101 प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	4.54	(-)95.46	₹99.55 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	99.55				
	पुनर्वि०	(-)99.55				
2202-01-001-0106 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	200.00	173.18	(-)26.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	100.00				
2202-01-003-0001 बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-101-0001 राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,46,490.05	4,54,167.27	4,02,697.89	(-)51,469.38	प्रावधान में ₹ 534.68 लाख की हुई कमी, ₹8,202.25 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,521.47 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹215.46 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8,211.90				
	पुनर्वि०	(-)534.68				
2202-01-102-0102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि (राज्य स्कीम)	मूल	17,280.00	32,280.00	7,192.91	(-)25,087.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	15,000.00				
2202-01-111-0001 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,396.00	1,396.00	0.00	(-)1,396.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-111-0201 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,51,576.00	2,64,478.46	2,64,477.88	(-)0.58	प्रावधान में ₹3,87,097.54 लाख की हुई कमी, ₹15,565.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,662.54 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹4,00,000.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी ST component की आवश्यकता के कारण था। प्रत्यर्पण एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,87,097.54				
2202-01-111-0301 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,27,585.00	2,30,469.60	1,76,319.73	(-)54,149.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,02,884.60				
2202-01-112-0002 मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	169.71	169.21	23.50	(-)145.71	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹0.50 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)0.50				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-112-0104 मध्याह्न भोजन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	50,600.00	36,319.46	(-)14,280.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20,600.00				
2202-01-112-0203 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,97,500.00	1,02,500.00	75,024.96	(-)27,475.04	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 95,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)95,000.00				
2202-01-112-0303 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	47,400.00	74,728.00	45,160.53	(-)29,567.47	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 37,700.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	65,028.00				
	पुनर्वि०	(-)37,700.00				
2202-01-191-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,065.21	6,101.21	4,393.05	(-)1,708.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	36.00				
2202-01-192-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,346.39	8,362.39	6,171.58	(-)2,190.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	16.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-192-0002 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	51.12	51.12	20.34	(-)30.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-01-193-0001 नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,670.25	11,694.25	9,543.57	(-)2,150.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	24.00				
2202-01-197-0003 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,558.80	1,558.80	1,125.66	(-)433.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-01-198-0002 पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,258.87	4,258.87	3,652.84	(-)606.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-01-198-0003 शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-789-0203 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,06,594.00	1,87,056.00	67,664.86	(-)1,19,391.14	₹ 19,538.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)19,538.00				
2202-01-789-0209 मध्याहन भोजन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	45,000.00	37,717.00	15,096.47	(-)22,620.53	₹ 7,283.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)7,283.00				
2202-01-789-0306 प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,800.00	8,000.00	7,992.96	(-)7.04	₹ 2,800.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,800.00				
2202-01-789-0308 सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	29,070.00	59,756.00	45,109.90	(-)14,646.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	30,686.00				
2202-01-796-0210 मध्याहन भोजन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,500.00	2,500.00	1,398.10	(-)1,101.90	₹ 5,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2202-01-796-0211 समग्र शिक्षा-प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,468.00	7,130.54	3,859.18	(-)3,271.36	प्रावधान में ₹ 2,662.54 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	2,662.54				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-796-0309 सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,845.00	5,171.40	2,909.18	(-)2,262.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	326.40				
2202-01-796-0310 मध्याहन भोजन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	1,421.00	1,332.16	(-)88.84	₹379.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)379.00				
2202-02-001-0001 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,385.76	1,396.26	1,053.74	(-)342.52	प्रावधान में ₹ 10.50 लाख की वृद्धि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्यालय व्यय एवं यात्रा व्यय मद में भुगतान के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	10.50				
2202-02-001-0002 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	28,972.21	29,306.02	20,867.27	(-)8,438.75	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹6.19 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	340.00				
	पुनर्वि०	(-)6.19				
2202-02-001-0003 क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,780.63	1,778.38	1,166.26	(-)612.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.25 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2.25				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-001-0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (राज्य स्कीम)	मूल	550.00	562.00	60.57	(-)501.43	₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	512.00				
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2202-02-052-0001 माध्यमिक विद्यालयों के लिए उपकरण क्रय हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-02-052-0002 माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	40.00	0.00	(-)40.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2202-02-052-0103 उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	9,247.00	2,000.00	(-)7,247.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9,147.00				
2202-02-109-0001 अन्य विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	80,141.01	88,792.68	80,221.95	(-)8,570.73	प्रावधान में ₹ 768.20 लाख की हुई कमी, ₹300.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,068.20 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9,419.87				
	पुनर्वि०	(-)768.20				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-109-0105 आईसीटी परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-02-109-0109 मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	8,794.00	8,792.10	(-)1.90	₹8,369.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	12,163.00				
	पुनर्वि०	(-)8,369.00				
2202-02-109-0110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	1,200.00	608.40	(-)591.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,100.00				
2202-02-109-0207 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	63,200.00	32,573.00	15,920.77	(-)16,652.23	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15,627.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 15,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)30,627.00				
2202-02-109-0307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (समग्र शिक्षा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,900.00	32,679.25	10,613.85	(-)22,065.40	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 41.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	24,820.25				
	पुनर्वि०	(-)41.00				
2202-02-110-0002 सैनिक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,300.01	1,300.01	592.92	(-)707.09	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-110-0003 माध्यमिक, बहुउद्येशीय अल्पसंख्यक विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	10,000.00	7,612.17	(-)2,387.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-02-110-0007 गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	34,200.00	34,200.00	30,239.44	(-)3,960.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-02-110-0209 मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	62.01	61.33	(-)0.68	प्रावधान में ₹ 62.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	62.00				
2202-02-110-0312 मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान करने की स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	0.01	41.01	40.89	(-)0.12	प्रावधान में ₹ 41.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	41.00				
2202-02-193-0001 नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	19,358.39	19,358.39	14,785.02	(-)4,573.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-196-0001 जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,06,200.81	1,92,730.59	1,72,495.26	(-)20,235.33	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,978.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹8,492.22 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)13,470.22				
2202-02-196-0004 विद्यालय सहायक/परिचारी के समेकित भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.01	200.01	118.37	(-)81.64	प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की वृद्धि माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/ विद्यालयों में नये पदस्थापित विद्यालय सहायक एवं परिचारी के सहायक अनुदान-वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	200.00				
2202-02-789-0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,276.00	3,276.00	1,859.54	(-)1,416.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-02-789-0207 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	14,400.00	8,400.00	3,980.20	(-)4,419.80	₹6,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6,000.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-789-0307 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	5,602.00	2,653.47	(-)2,948.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,802.00				
2202-02-796-0209 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,400.00	1,862.00	0.00	(-)1,862.00	₹538.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)538.00				
2202-02-796-0309 समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	300.00	622.75	0.00	(-)622.75	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	322.75				
2202-03-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	580.70	1,305.07	1,122.68	(-)182.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	724.37				
2202-03-001-0006 बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	386.00	386.00	91.00	(-)295.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-03-001-0101 निदेशन और प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	480.89	0.00	(-)480.89	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.11 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 476.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	476.00				
	पुनर्वि०	(-)495.11				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0001 पटना विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	32,674.51	31,173.51	29,701.37	(-)1,472.14	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,801.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	500.00				
	पुनर्वि०	(-)2,001.00				
2202-03-102-0002 मगध विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	55,422.60	49,098.03	47,191.68	(-)1,906.35	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,324.57 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6,324.57				
2202-03-102-0003 बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	62,276.50	61,576.50	52,182.45	(-)9,394.05	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 700.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)700.00				
2202-03-102-0004 जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	29,567.26	26,547.26	26,421.10	(-)126.16	प्रावधान में ₹ 3,020.00 लाख की हुई कमी, ₹3,200.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,720.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,020.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0005 वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	28,964.00	31,764.00	26,573.06	(-)5,190.94	प्रावधान में ₹ 2,100.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹4,100.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,000.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	700.00				
	पुनर्वि०	2,100.00				
2202-03-102-0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	62,131.38	63,931.38	54,802.48	(-)9,128.90	प्रावधान में ₹ 700.00 लाख की हुई कमी, ₹7,650.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹8,350.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,500.00				
	पुनर्वि०	(-)700.00				
2202-03-102-0024 पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	44,761.13	41,661.13	37,223.69	(-)4,437.44	प्रावधान में ₹ 4,300.00 लाख की हुई कमी, ₹5,650.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹8,750.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹1,200.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,200.00				
	पुनर्वि०	(-)4,300.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0027 मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,611.80	8,781.80	7,499.87	(-)1,281.93	प्रावधान में ₹ 170.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹520.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹350.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	170.00				
2202-03-102-0028 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,675.01	1,675.01	628.34	(-)1,046.67	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-03-102-0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	16,001.00	29,731.00	26,916.24	(-)2,814.76	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,000.00 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 200.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	14,930.00				
	पुनर्वि०	(-)1,200.00				
2202-03-102-0117 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	1,000.01	723.00	(-)277.01	प्रावधान में ₹ 75.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 700.00 लाख की वृद्धि तथा ₹625.00 लाख का प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	625.01				
	पुनर्वि०	75.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-102-0118 राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	500.01	200.00	(-)300.01	प्रावधान में ₹50.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 300.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 250.00 लाख का प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	250.01				
	पुनर्वि०	50.00				
2202-03-102-0126 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-03-102-0127 नालंदा खुला विश्वविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	699.99	0.00	(-)699.99	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	499.99				
2202-03-102-0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,320.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6,320.00				
2202-03-103-0001 इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,010.03	5,010.03	3,670.75	(-)1,339.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-03-104-0004 ग्रामीण महाविद्यालय (बरौली सोसाइटी) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	230.00	230.00	71.00	(-)159.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-03-112-0005 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआई एम) बोध गया (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.01	1,124.58	1,124.57	(-)0.01	प्रावधान में ₹ 1,124.57 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	1,124.57				
2202-03-789-0201 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,600.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,600.00				
2202-03-789-0301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,440.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,440.00				
2202-03-796-0201 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	600.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
2202-03-796-0301 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	240.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)240.00				
2202-04-001-0002 जन शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	217.75	358.98	260.73	(-)98.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	141.23				
2202-04-200-0203 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	790.00	340.00	31.37	(-)308.63	₹450.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)450.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-04-200-0205 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	899.02	899.02	0.00	(-)899.02	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-04-200-0303 अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	395.00	300.00	20.91	(-)279.09	₹95.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)95.00				
2202-04-200-0305 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	598.82	598.82	0.00	(-)598.82	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-04-789-0101 प्रौढ़ शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	30,000.00	42,752.00	40,127.57	(-)2,624.43	₹5,284.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	18,036.00				
	पुनर्वि०	(-)5,284.00				
2202-04-789-0203 अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	180.00	130.00	7.85	(-)122.15	₹50.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)50.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-04-789-0204 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	204.84	204.84	0.00	(-)204.84	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-04-789-0301 अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	90.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)90.00				
2202-04-789-0303 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	136.44	136.44	0.00	(-)136.44	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-04-796-0204 अध्यापक शिक्षा संस्थान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-04-796-0205 नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	34.14	34.14	0.00	(-)34.14	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-05-103-0002 राजकीय संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	311.02	536.02	185.58	(-)350.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	225.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-05-103-0003 गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,000.00	23,713.08	11,124.88	(-)12,588.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	11,713.08				
2202-05-200-0001 मदरसा इस्लामिया समसुल होदा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	145.60	146.20	105.76	(-)40.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.60				
2202-05-200-0002 गैर सरकारी मदरसा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50,000.00	50,000.00	38,543.27	(-)11,456.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-001-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,165.50	4,584.50	2,316.19	(-)2,268.31	प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,409.00				
	पुनर्वि०	10.00				
2202-80-001-0002 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	239.38	244.38	118.42	(-)125.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5.00				
2202-80-003-0005 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,736.78	1,760.68	828.10	(-)932.58	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6.10 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	30.00				
	पुनर्वि०	(-)6.10				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-003-0006 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,158.02	7,146.77	5,074.99	(-)2,071.78	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹11.25 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)11.25				
2202-80-003-0007 प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	599.28	599.28	312.70	(-)286.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-003-0008 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,095.02	4,070.23	2,524.00	(-)1,546.23	प्रावधान में ₹ 951.90 लाख की हुई वृद्धि, ₹1,000.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹48.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	23.31				
	पुनर्वि०	951.90				
2202-80-004-0001 राष्ट्रभाषा पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	305.11	305.11	206.67	(-)98.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0003 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	231.60	308.07	242.37	(-)65.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	76.47				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-004-0004 मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	164.10	164.10	113.84	(-)50.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0006 प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	98.03	166.79	134.66	(-)32.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	68.76				
2202-80-004-0007 केपी जायसवाल शोध संस्थान, पटना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	170.06	170.06	122.04	(-)48.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0009 हिन्दी ग्रंथ अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	171.00	171.00	103.54	(-)67.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0012 मैथिली अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.01	100.01	14.14	(-)85.87	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0015 मगही अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	46.00	46.00	0.00	(-)46.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0017 संस्कृत अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	71.00	71.00	29.94	(-)41.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-80-004-0018 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,050.17	1,133.09	669.76	(-)463.33	प्रावधान में ₹ 12.40 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	70.52				
	पुनर्वि०	12.40				
2202-80-004-0019 भोजपुरी अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	135.00	135.00	32.79	(-)102.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0106 एएन सिन्हा सामाजिक शिक्षा संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	300.00	0.00	₹201.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	201.00				
	पुनर्वि०	(-)201.00				
2204-00-101-0103 मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	0.01	0.00	(-)0.01	₹499.99 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)499.99				
2205-00-105-0001 सार्वजनिक पुस्तकालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	163.84	213.85	194.72	(-)19.13	प्रावधान में ₹ 47.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3.01				
	पुनर्वि०	47.00				
2205-00-105-0002 सिन्हा लाइब्रेरी, पटना-सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	20.00	78.01	27.88	(-)50.13	प्रावधान में ₹ 18.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	40.01				
	पुनर्वि०	18.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2251-00-090-0002 शिक्षा विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,250.61	1,454.06	701.64	(-)752.42	प्रावधान में ₹ 10.50 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	192.95				
	पुनर्वि०	10.50				

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-109-0101 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,050.00	3,050.00	3,453.98	(+)403.98	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹403.98 लाख से अधिक है। ₹ 1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				
2202-01-109-0102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	6,500.00	6,970.52	(+)470.52	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹470.52 लाख से अधिक है। ₹ 3,500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,500.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-01-109-0103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण (राज्य स्कीम)	मूल	10.00	10.00	58.20	(+)48.20	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹48.20 लाख से अधिक है।
2202-01-789-0102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना (राज्य स्कीम)	मूल	950.00	650.00	695.15	(+)45.15	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹45.15 लाख से अधिक है। ₹ 300.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				
2202-02-004-0102 हुनर (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	1,000.00	(+)900.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹900.00 लाख से अधिक है।
2202-02-109-0312 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति (आरएमएसए) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	8,104.67	(+)8,004.67	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹8,004.67 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2202-02-191-0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	30.95	(+)30.95	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹30.95 लाख से अधिक है।
2202-02-193-0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	39.20	(+)39.20	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹39.20 लाख से अधिक है।
2202-03-107-0108 मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	2,130.30	(+)2,130.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹2,130.30 लाख से अधिक है।
2202-03-107-0109 मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	4,185.00	(+)4,185.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹4,185.00 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹49,553.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹30,196.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹30,196.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹15,930.00 लाख), अंतिम बचत (₹49,553.19 लाख) से ₹33,623.19 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-01-201-0105 प्रारम्भिक विद्यालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	20,000.00	20,000.01	9,708.01	(-)10,292.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
4202-01-202-0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	17,000.00	37,010.00	22,804.62	(-)14,205.38	प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि मॉडल स्कूल के मुख्य निर्माण कार्य मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20,000.00				
	पुनर्वि०	10.00				
4202-01-202-0109 राजकीय उच्च विद्यालय के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	11,000.00	11,000.00	9,650.00	(-)1,350.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-01-202-0112 शिक्षा भवन (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	4,800.00	800.00	(-)4,000.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,900.00				
4202-01-202-0114 मॉडल स्कूल (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
4202-01-202-0115 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	2,081.00	0.00	(-)2,081.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,781.00				

अनुदान संख्या- 21- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-01-203-0106 राजकीय महिला कॉलेज (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	160.00	146.88	(-)13.12	₹40.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)40.00				
4202-01-203-0108 राजकीय महाविद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	846.59	(-)153.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-01-203-0207 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,800.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)15,800.00				
4202-01-600-0103 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	23.28	(-)26.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-01-789-0101 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	3,600.00	2,340.00	(-)1,260.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4202-04-105-0101 पुस्तकालय भवन (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	270.21	(-)229.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 21- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 22- गृह विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2055 पुलिस

2056 जेल

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,36,81,75,13**	**1,38,30,48,44**	**1,11,41,55,19**	**(-)26,88,93,25**
अनुपूरक	**1,48,73,31**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**6,91,00,66**	**12,39,52,88**	**6,70,38,23**	**(-)5,69,14,65**
अनुपूरक	**5,48,52,22**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**4,20,00,00**
25 जनवरी 2023	4,20,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹2,68,893.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹11,550.09 लाख), दिसम्बर 2022 (₹3,323.17 लाख) तथा मार्च 2023 (₹0.05 लाख) में प्राप्त किया गया ₹14,873.31 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹2,68,893.25 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹4,637.89 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹412.06 लाख के कारण, ₹4,225.83 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-114-0004 अभियोजन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,135.90	8,479.02	6,864.17	(-)1,614.85	प्रावधान में ₹ 183.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹189.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	160.12				
	पुनर्वि०	183.00				
2051-00-103-0003 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,570.68	3,570.68	1,506.31	(-)2,064.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-090-0002 गृह (विशेष) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,628.17	1,628.17	1,322.02	(-)306.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-090-0006 गृह (आरक्षी) विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,172.34	1,179.34	930.99	(-)248.35	प्रावधान में ₹7.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 60.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 53.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राज्य में e-governance लागू किए जाने के निमित्त NIC को अग्रिम भुगतान के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	7.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0049 जे0पी0 सेनानी सम्मान योजना के तहत सलाहकार पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	95.86	95.86	55.23	(-)40.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-092-0002 स्थल, जल और वायु सैनिक का पर्षद-मुख्यालय प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	348.84	356.34	252.36	(-)103.98	प्रावधान में ₹7.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹9.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹2.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 7.50 लाख की वृद्धि सैनिक कल्याण निदेशालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹2.00 लाख की वृद्धि सैनिक कल्याण निदेशालय के सहायक निदेशक द्वारा LTC में किये गये यात्रा व्यय के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	7.50				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-001-0008 सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,215.82	4,246.82	2,985.18	(-)1,261.64	प्रावधान में ₹30.95 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 37.95 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पुलिस अधिकारियों का पदस्थापन केन्द्रीय चयन पर्षद में किये जाने के फलस्वरूप चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, वेतन आदि का भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.05				
	पुनर्वि०	30.95				
2055-00-001-0009 प्रतिनियुक्त अर्ध सैनिक बलों पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	59,130.00	57,307.50	9,279.05	(-)48,028.45	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,822.50 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,822.50				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-003-0009 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,118.66	8,122.67	6,788.20	(-)1,334.47	प्रावधान में ₹4.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 160.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 156.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि विद्युत प्रभार के भुगतान के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	4.00				
2055-00-003-0401 महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्ब्लूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	1,009.72	1,359.72	695.21	(-)664.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	350.00				
2055-00-101-0005 थानों के लिए व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	6.01	(-)33.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-101-0007 आपराधिक जाँच एवं आसूचना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	35,227.66	35,338.67	30,628.38	(-)4,710.29	प्रावधान में ₹111.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 156.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 45.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि ईधन एवं वाहनों का रखरखाव, यात्रा भत्ता, टेलीफोन बिल, विधुत प्रभार इत्यादि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	111.00				
2055-00-104-0006 विशेष बल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	21,923.91	22,005.92	19,305.40	(-)2,700.52	प्रावधान में ₹82.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 97.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अनुरक्षण एवं मरम्मत मद आदि में अतिरिक्त राशि के भुगतान के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	82.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-104-0007 बिहार सैन्य पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,69,898.89	1,69,799.90	1,52,079.26	(-)17,720.64	प्रावधान में ₹99.00 लाख की हुई कमी, ₹ 235.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 334.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बिहार सैन्य पुलिस के लिए मशीन एवं यंत्र, सैन्य प्रशिक्षण आदि मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)99.00				
2055-00-109-0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,138.00	12,953.50	9,393.26	(-)3,560.24	प्रावधान में ₹ 4,184.50 लाख की हुई कमी, ₹ 25.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,209.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि स्पेशल आक्जिलरी पुलिस के कार्यालय व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4,184.50				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-109-0012 थानों के लिए व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	600.00	600.00	78.89	(-)521.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-109-0013 यातायात नियंत्रण एवं व्यवस्था (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	78.00	78.00	40.82	(-)37.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-109-0018 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी) ((स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,110.01	3,510.01	1,920.11	(-)1,589.90	प्रावधान में ₹ 400.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	400.00				
2055-00-109-0201 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (सुरक्षा संबंधी व्यय) (एसआरआई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,341.50	2,341.50	1,415.98	(-)925.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-110-0001 चौकीदार-दफादार स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,30,670.50	1,30,670.50	78,232.29	(-)52,438.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-111-0002 आर्डर पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	27,876.84	28,246.84	24,629.79	(-)3,617.05	प्रावधान में ₹ 370.00 लाख की वृद्धि आर्डर पुलिस के यात्रा व्यय मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	370.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-113-0001 चिकित्सालय व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,268.51	1,276.51	855.50	(-)421.01	प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	8.00				
2055-00-113-0004 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.01	50.01	0.00	(-)50.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-113-0006 अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	40.00	(-)160.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-114-0003 तकनीकी संचार एवं डाटा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,564.35	12,031.85	7,723.55	(-)4,308.30	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,532.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,532.50				
2055-00-115-0001 पुलिस बल के आधुनिकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,600.00	3,600.00	0.00	(-)3,600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-115-0102 पुलिस प्रशासन एवं ढाचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	15,000.00	11,010.46	(-)3,989.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-115-0303 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	224.03	(-)1,275.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2055-00-115-0404 निर्भया (नेशनल वाईड इमरजेन्सी रिस्पॉन्स सिस्टम) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	870.18	870.18	0.00	(-)870.18	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2056-00-001-0001 जेल निरीक्षणालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,336.78	1,362.78	1,201.37	(-)161.41	प्रावधान में ₹ 26.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	26.00				
2056-00-003-0002 बंदियों के प्रशिक्षण हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2056-00-101-0001 केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	21,387.88	21,366.05	17,246.16	(-)4,119.89	प्रावधान में ₹21.83 लाख की हुई कमी, ₹ 20.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 41.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)21.83				
2056-00-101-0003 उप-कारा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,455.79	6,455.79	5,445.09	(-)1,010.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2056-00-101-0006 मुक्त कारागार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	278.32	272.32	170.69	(-)101.63	प्रावधान में ₹6.00 लाख की हुई कमी, ₹ 4.65 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.65 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6.00				
2056-00-101-0104 कारा प्रशासन का आधुनिकीकरण (केन्द्रीय/मंडल उप-कारा) (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	1,500.00	446.90	(-)1,053.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,200.00				
2056-00-102-0001 केन्द्रीय जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	1,890.90	96.80	(-)1,794.10	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 609.10 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)609.10				
2056-00-102-0002 जिला जेल (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-003-0004 अग्निशाम सेवा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25.00	118.01	71.65	(-)46.36	प्रावधान में ₹ 93.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	93.00				

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-003-0008 गृह रक्षकों को प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,020.00	3,837.00	3,046.52	(-)790.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 183.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)183.00				
2070-00-107-0001 ग्रामीण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,15,649.79	1,13,441.80	85,323.47	(-)28,118.33	प्रावधान में ₹ 2,208.00 लाख की हुई कमी, ₹ 995.07 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹3,203.07 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)2,208.00				
2070-00-107-0002 शहरी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	168.80	168.80	119.74	(-)49.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-107-0004 होमगार्ड के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-108-0001 अग्नि रक्षा सेवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,769.20	17,857.20	13,790.64	(-)4,066.56	प्रावधान में ₹88.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 203.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹115.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	88.00				
2070-00-108-0006 जन जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	141.92	(-)58.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-108-0102 अग्निशामक उपकरणों का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	7,200.00	17,200.00	11,686.64	(-)5,513.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,000.00				
2235-60-200-0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,100.00	1,100.00	719.53	(-)380.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-60-200-0004 दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	199.15	(-)200.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-60-200-0005 थल, जल और वायु सैनिकों का जिला कल्याण परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	283.79	283.79	212.51	(-)71.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-200-0009 जे.पी. सेनानी सम्मान योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,899.01	3,899.01	3,374.86	(-)524.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-60-200-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	950.00	790.15	(-)159.85	प्रावधान में ₹ 750.00 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ कुल-316 गर्भाशय कांड पीड़ितों के मुआवजा भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	750.00				
2235-60-200-0414 आतंकवाद, साम्प्रदायिकता तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	80.00	80.00	0.00	(-)80.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-104-0002 पैदल सैन्य पुलिस (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	1,718.71	(+)1,718.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹1,718.71 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2055-00-109-0006 उग्रवाद प्रभावित थानों/ओपी के सृदृढ़ीकरण हेतु एसआरई स्कीम के तहत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	35.30	(+)35.30	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹35.30 लाख से अधिक है।
2055-00-109-0017 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	96.92	(+)96.92	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹96.92 लाख से अधिक है।
2070-00-107-0003 गृह रक्षा वाहिनी संबंधी कल्याण कार्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,500.00	5,520.00	5,608.45	(+)88.45	प्रावधान में ₹ 2,020.00 लाख की वृद्धि सेवामुक्त एवं मृत्योपरान्त आश्रित को भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹88.45 लाख से अधिक है।
	पुनर्वि०	2,020.00				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹56,914.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹52,500.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹502.77 लाख) तथा मार्च 2023 (₹1,849.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹54,852.22 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹42,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹56,914.65 लाख) से ₹14,914.65 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 22- क्रमशः

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4055-00-050-0101 थाना/चौकी के भू-अर्जन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	6,000.00	5,497.86	(-)502.14	₹42,000.00 लाख का प्रत्यर्पण गोरखा वाहिनी, पटना के भवन निर्माण संबंधी भूमी हेतु राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	46,000.00				
	पुनर्वि०	(-)42,000.00				
4055-00-051-0204 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,958.00	3,958.00	2,104.47	(-)1,853.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4055-00-051-0304 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	1,667.58	(-)832.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4055-00-051-0305 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम (विशेष आधारभूत संरचना-एसआईएस) (एसआईएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	940.89	940.89	201.11	(-)739.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4055-00-210-0402 महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सीसीपीडब्ब्लूसी) (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	36.66	36.66	0.00	(-)36.66	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 22- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0126 अभियोजन भवन का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-050-0102 केन्द्रीय/मंडल/उप-काराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि - (गृह कारा विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.00	2,499.64	(-)500.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-051-0101 बिहार अग्नि शमन सेवा के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	4,000.00	1,714.74	(-)2,285.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-051-0108 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के लिए भवन निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-052-0101 काराओं के संयंत्रों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	7,500.00	603.61	(-)6,896.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,500.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 23- उद्योग विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2851 ग्राम तथा लघु उद्योग

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**10,30,29,16**	**13,17,40,86**	**12,44,18,67**	**(-)73,22,19**
अनुपूरक	**2,87,11,70**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**41,10,00**
9 दिसम्बर 2022	40,00,00			
2 मार्च 2023	1,10,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय

6851 ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

दत्तमत :

मूल	**6,13,45,00**	**21,24,33,00**	**20,86,57,12**	**(-)37,75,88**
अनुपूरक	**15,10,88,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**16,00,00**
9 दिसम्बर 2022	16,00,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,322.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹10,022.01 लाख), दिसम्बर 2022 (₹18,579.69 लाख) तथा मार्च 2023 (₹11,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹28,711.70 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,322.19 लाख की अंतिम बचत ₹2,539.02 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,110.00 लाख), अंतिम बचत (₹7,322.19 लाख) से ₹3,212.19 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-102-0001 प्रदर्शन केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,427.87	3,437.88	2,393.14	(-)1,044.74	प्रावधान में ₹50.00 लाख की हुई कमी, ₹ 51.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹41.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹60.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	60.01				
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2851-00-103-0001 हस्तकरघा के विकास की योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	205.65	217.28	168.20	(-)49.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	11.63				
2851-00-103-0113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	1,932.00	432.00	432.00	0.00	₹1,500.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव हेतु आंतरिक सामंजन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,500.00				
2851-00-104-0001 हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	385.39	375.39	205.28	(-)170.11	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)10.00				
2851-00-105-0101 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	500.00	500.00	0.00	₹2,000.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव हेतु आंतरिक सामंजन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-107-0001 रेशम का विकास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	825.73	825.73	578.90	(-)246.83	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2851-00-107-0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	567.40	508.36	(-)59.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	67.40				
2852-08-001-0001 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	126.76	126.76	99.69	(-)27.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2852-80-001-0002 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,490.15	3,490.15	2,652.35	(-)837.80	प्रावधान में ₹50.00 लाख की हुई कमी, ₹ 25.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹25.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹50.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	50.00				
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2852-80-001-0111 निवेश आयुक्त का कार्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	475.10	359.25	(-)115.85	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	75.10				
2852-80-003-0001 शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	158.80	201.50	154.38	(-)47.12	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	42.70				

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-80-102-0135 इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	700.00	200.00	200.00	0.00	₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव हेतु आंतरिक सामंजन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)500.00				
2852-80-102-0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	750.00	563.49	(-)186.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	250.00				
2852-80-102-0201 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,739.74	2,739.74	1,251.21	(-)1,488.53	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2852-80-102-0301 प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) को औपचारिक रूप दिया (केंद्रीय हिस्सेदारी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	2,244.82	2,244.82	1,252.47	(-)992.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 23- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-80-789-0201 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	528.15	528.15	241.20	(-)286.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2852-80-789-0301 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	432.74	432.74	241.44	(-)191.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0001 उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	891.68	907.69	690.45	(-)217.24	प्रावधान में ₹6.00 लाख की हुई कमी, ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹13.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	22.01				
	पुनर्वि०	(-)6.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2851-00-796-0106 रेशम का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	200.00	(+)200.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹200.00 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 23- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2852-80-102-0159 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	2,600.00	(+)2,600.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 2,600.00 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹3,775.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,51,088.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,600.00 लाख), अंतिम बचत (₹3,775.88 लाख) से ₹2,175.88 लाख कम था।

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4851-00-107-0103 रेशम भवन (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	300.00	86.23	(-)213.77	₹600.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव हेतु आंतरिक सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)600.00				
4851-00-190-0101 बिहार स्टेट शीप एण्ड वूल वीभर्स को-ऑपरेटिव यूनियन (राज्य स्कीम)	मूल	1,010.00	10.00	0.00	(-)10.00	₹1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव हेतु आंतरिक सामंजन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,000.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 24- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2220 सूचना तथा प्रचार

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,37,81,29**	**2,37,81,29**	**1,90,41,94**	**(-)47,39,35**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**20,04,12**
27 जून 2022	2,94,62			
9 फरवरी 2023	17,07,00			
24 मार्च 2023	2,50			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹4,739.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹23,781.29 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹4,739.35 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹26.27 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹0.27 लाख के कारण, ₹26.00 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,004.12 लाख), अंतिम बचत (₹4,739.35 लाख) से ₹2,735.23 लाख कम था।

अनुदान संख्या -24- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2220-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	735.47	735.47	610.44	(-)125.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2220-60-101-0002 सरकारी विज्ञापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	8,300.00	7,809.87	(-)490.13	₹ 1,700.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,700.00				
2220-60-106-0002 जिला इकाईयां (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,809.74	2,809.74	1,943.53	(-)866.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2220-60-106-0101 क्षेत्रीय प्रचार-योजना (राज्य स्कीम)	मूल	8,223.00	7,898.38	7,356.97	(-)541.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.00 लाख की कमी तथा ₹ 294.62 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)324.62				
2220-60-789-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,616.00	1,616.00	1,011.18	(-)604.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2220-60-796-0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	101.00	101.00	66.31	(-)34.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -24- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-110-0103 बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	127.50	127.50	0.00	प्रावधान में ₹27.50 लाख की हुई वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹30.00 लाख की वृद्धि तथा ₹2.50 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। ₹ 30.00 लाख की वृद्धि, इस इकाई में कम प्रावधान के कारण था। कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	27.50				
2235-60-200-0115 पत्रकार पेंशन यांजना (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	31.50	(-)28.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0014 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	129.08	129.08	84.63	(-)44.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 25- सूचना प्रावैधिकी विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2230 **श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास**

2852 **उद्योग**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,69,82,60**	**1,86,82,00**	**1,13,97,14**	**(-)72,84,86**
अनुपूरक	**16,99,40**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**40,83,00**
22 दिसम्बर 2022	32,50,00			
6 मार्च 2023	8,33,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4859 **दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**62,00,00**	**1,30,83,85**	**1,30,83,13**	**(-)72**
अनुपूरक	**68,83,85**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,284.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹866.40 लाख) तथा मार्च 2023 (₹833.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,699.40 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹4,083.00 लाख), अंतिम बचत (₹7,284.86 लाख) से ₹3,201.86 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 25- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-001-0101 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,200.00	943.83	(-)256.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	200.00				
2852-07-202-0014 ई-शासन परियोजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,000.00	2,960.00	1,762.10	(-)1,197.90	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)40.00				
2852-07-202-0106 ज्ञान सिटी परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,150.00	2,965.00	2,112.91	(-)852.09	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,025.00 लाख की कमी एवं ₹ 1,972.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	812.00				
	पुनर्वि०	(-)2,997.00				
2852-07-202-0107 सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार (राज्य स्कीम)	मूल	199.00	158.00	64.78	(-)93.22	₹ 41.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)41.00				
2852-07-202-0108 राज्य डाटा सेन्टर (राज्य स्कीम)	मूल	3,350.00	2,266.00	1,623.11	(-)642.89	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹825.00 लाख की कमी एवं ₹ 300.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	41.00				
	पुनर्वि०	(-)1,125.00				

अनुदान संख्या- 25- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0027	मूल	783.59	929.99	798.29	(-)131.70	प्रावधान में ₹10.00 लाख की हुई कमी, ₹ 82.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.00 लाख की कमी तथा ₹ 50.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
सूचना प्रावैधिकी विभाग	अनु०	156.40				
(स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	पुनर्वि०	(-)10.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹0.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹6,883.85 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
-	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 26- श्रम संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230 श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**8,14,79,94**	**8,17,58,02**	**6,06,27,41**	**(-)2,11,30,61**
अनुपूरक	**2,78,08**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**1**
17 मार्च 2023	1			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,32,50,00**	**1,45,82,00**	**58,35,93**	**(-)87,46,07**
अनुपूरक	**13,32,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹21,130.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹53.70 लाख), दिसम्बर 2022 (₹101.26 लाख) तथा मार्च 2023 (₹123.12 लाख) में प्राप्त किया गया ₹278.08 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹21,130.61 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹86.11 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹28.65 लाख के कारण, ₹57.46 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹0.01 लाख), अंतिम बचत (₹21,130.61 लाख) से ₹21,130.60 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-001-0001 श्रम आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,122.44	1,147.99	613.44	(-)534.55	प्रावधान में ₹ 25.55 लाख की हुई वृद्धि, ₹26.05 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹0.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	25.55				
2230-01-001-0106 दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.02	35.37	(-)264.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.02				
2230-01-101-0006 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,582.40	1,628.05	1,323.16	(-)304.89	प्रावधान में ₹ 45.65 लाख की हुई वृद्धि, ₹49.34 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹3.69 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	45.65				

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-101-0007 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल पुनर्वि०	5,209.65 (-)82.45	5,127.20	3,789.19	(-)1,338.01	प्रावधान में ₹ 82.45 लाख की हुई कमी, ₹4.35 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 86.80 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-101-0106 बिहार बाल श्रमिक आयोग का गठन (राज्य स्कीम)	मूल पुनर्वि०	100.00 21.00	121.00	38.93	(-)82.07	प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-101-0108 श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल पुनर्वि०	590.00 (-)21.15	568.85	305.27	(-)263.58	प्रावधान में ₹ 21.15 लाख की हुई कमी, ₹23.88 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹45.03 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-101-0109 कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	5.11	(-)194.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-102-0002 कारखानों के निरीक्षक (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	656.03	656.03	486.52	(-)169.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-103-0001 शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	523.62	523.62	273.00	(-)250.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-103-0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	79.00	79.16	36.03	(-)43.13	प्रावधान में ₹0.15 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 8.12 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7.97 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	0.15				
2230-01-112-0201 बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	192.00	192.00	0.00	(-)192.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-112-0301 बन्धुआ मजदूर का पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	40.00	40.00	1.80	(-)38.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-01-114-0001 प्रवासी मजदूरों का कल्याण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	34.69	34.69	8.33	(-)26.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-01-114-0102 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (राज्य स्कीम)	मूल	230.00	230.00	109.40	(-)120.60	प्रावधान में ₹0.01 लाख की हुई कमी, ₹ 12.50 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.50 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)0.01				
2230-02-101-0004 रोजगार कार्यालय की स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,198.68	2,223.47	1,927.66	(-)295.81	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	24.79				
2230-02-101-0101 नियोजन सेवा का विस्तार (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-02-101-0112 सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-003-0005 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	892.50	892.50	743.76	(-)148.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-003-0105 पूर्व में स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना (राज्य स्कीम)	मूल	350.00	350.00	252.96	(-)97.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-003-0109 मशीनों का आधुनिकीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	10,740.00	10,740.00	9,059.38	(-)1,680.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-003-0233 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	915.00	915.00	500.00	(-)415.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-003-0234 स्किल स्ट्रैथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यु एन्हान्समेंट (एसटीआरआईवीई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,213.00	10,213.00	0.00	(-)10,213.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-003-0333 कौशल विकास मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,080.00	1,080.00	616.26	(-)463.74	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-101-0001 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन राज्य परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,970.22	7,970.22	5,964.50	(-)2,005.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-101-0101 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,600.00	1,438.96	(-)161.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-101-0102 स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	46.34	(-)53.66	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2230-03-101-0103 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	7,260.22	7,260.22	5,954.83	(-)1,305.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2230-03-102-0001 शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	343.18	343.18	269.28	(-)73.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-01-202-0107 विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/ व्यवसायिक पुर्नवास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	14.07	(-)35.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0008 श्रम संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	696.49	761.99	678.71	(-)83.28	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	65.50				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹8,746.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,332.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-104-0110 मशीनों का आधुनिकीकरण - सात निश्चय - 2 (राज्य स्कीम)	मूल	13,000.00	13,000.00	5,835.93	(-)7,164.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 26- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4250-00-050-0101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	250.00	1,582.00	0.00	(-)1,582.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,332.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 27- विधि विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 **न्याय प्रशासन**

2052 **सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

2235 **सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**

2250 **अन्य सामाजिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**10,60,29,98**	**11,74,49,24**	**10,57,11,51**	**(-)1,17,37,73**
अनुपूरक	**1,14,19,26**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**25,43,00**
27 जून 2022	25,43,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹11,737.73 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹5,990.43 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹5,428.83 लाख) में प्राप्त किया गया ₹11,419.26 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹11,737.73 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹108.39 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹0.54 लाख के कारण, ₹107.85 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,543.00 लाख), अंतिम बचत (₹11,737.73 लाख) से ₹9,194.73 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-003-0001 बिहार न्यायिक अकादमी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,353.60	1,353.60	581.38	(-)772.22	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2014-00-103-0201 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, केन्द्र (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,526.00	3,844.50	3,551.00	(-)293.50	₹1,526.00 लाख के प्रत्यर्पण वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार इस राशि का अंतरण SNA में नहीं किये जाने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,844.50				
	पुनर्वि०	(-)1,526.00				
2014-00-103-0301 फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, राज्य (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,017.00	2,563.00	2,367.00	(-)196.00	₹1,017.00 लाख के प्रत्यर्पण वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार इस राशि का अंतरण SNA में नहीं किये जाने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,563.00				
	पुनर्वि०	(-)1,017.00				
2014-00-105-0010 न्यायालय के लिए आईटी सेवायें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,200.00	1,930.01	1,546.94	(-)383.07	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹269.99 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)269.99				

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-114-0001 कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,128.77	1,193.92	1,044.31	(-)149.61	प्रावधान में ₹19.99 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 55.57 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 35.58 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹19.99 लाख की वृद्धि मोटरगाड़ी मद में सचिव-सह-विधि परामर्शी के उपयोग हेतु नये वाहन के क्रय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹ 35.58 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता को वेतन, जीवनयापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्ता, कार्यालय व्यय एवं संविदा सेवाये हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा ₹35.58 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	45.16				
	पुनर्वि०	19.99				

अनुदान संख्या- 27- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-114-0002 निर्धनों को कानूनी सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,284.85	3,134.85	2,277.11	(-)857.74	प्रावधान में ₹150.00 लाख की हुई कमी, ₹217.59 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹367.59 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹50.00 लाख की वृद्धि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मांग की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धनों को कानूनी सहायता उपशीर्ष अन्तर्गत कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में फर्नीचर एवं अन्य उपस्कर के क्रय के लिए अतिरिक्त उपबंध की आवश्यकता के कारण था। ₹85.00 लाख की वृद्धि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्धनों को कानूनी सहायता उपशीर्ष अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद में NALSA द्वारा प्रस्तावित LADCS योजना के संचालन हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹82.59 लाख की वृद्धि उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकारो के मांग की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धनों को कानूनी सहायता अन्तर्गत वेतन भत्ते विषयशीर्षों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारणा था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)150.00				
2014-00-114-0003 सरकारी मुकदमें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,815.70	5,195.65	4,094.64	(-)1,101.01	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹620.05 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)620.05				
2014-00-114-0006 विधि आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	130.06	130.06	66.72	(-)63.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 27- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-117-0001 परिवार न्यायालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,442.59	1,692.59	1,387.59	(-)305.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	250.00				
2235-60-200-0013 बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,650.00	1,397.33	(-)252.67	प्रावधान में ₹400.00 लाख की वृद्धि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष में अतिरिक्त निधि उपबंध की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	250.00				
	पुनर्वि०	400.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

विनियोग संख्या- 28- उच्च न्यायालय, बिहार

(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*2,05,30,83*	*2,21,72,68*	*2,14,51,44*	*(-)7,21,24*
अनुपूरक	*16,41,85*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (प्रभारित)

(i) ₹721.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹60.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹300.01 लाख) तथा मार्च 2023 (₹1,281.84 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,641.85 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹721.24 लाख की अंतिम बचत, ₹1,099.74 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-102-0008 न्यायालय के लिए आई0टी0 सेवायें (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*382.04*	*382.04*	*18.67*	*(-)363.37*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-2023 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2014	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
कुल	***शून्य***	***शून्य***	***शून्य***

अनुदान संख्या- 29- खान एवं भूतत्व विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**49,18,54**	**56,76,54**	**37,96,80**	**(-)18,79,74**
अनुपूरक	**7,58,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,879.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹718.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹40.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹758.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,879.74 लाख की अंतिम बचत, ₹6.10 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 29- क्रमांत

(iii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2853-02-001-0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,545.40	5,303.40	3,759.01	(-)1,544.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	758.00				
2853-02-004-0101 जियोलोजिकल एवं जीपीएस लैब (राज्य स्कीम)	मूल	82.00	82.00	0.00	(-)82.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2853-02-190-0002 बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	226.25	226.25	0.00	(-)226.25	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0004 खनन तथा भूतत्व विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	64.89	64.89	37.79	(-)27.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2053 जिला प्रशासन

2202 सामान्य शिक्षा

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

2250 अन्य सामाजिक सेवाएं

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,83,48,56**	**3,05,17,84**	**1,45,73,77**	**(-)1,59,44,07**
अनुपूरक	**21,69,28**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**30,00,01**
27 जुलाई 2022	1			
6 मार्च 2023	30,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश

दत्तमत :

मूल	**2,87,00,00**	**2,87,00,00**	**24,23,93**	**(-)2,62,76,07**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹15,944.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 (₹27.28 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,142.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,169.28 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण ₹15,944.07 लाख की अंतिम बचत ₹6.28 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,000.01 लाख), अंतिम बचत (₹15,944.07 लाख) से ₹12,944.06 लाख कम था।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-094-0010 अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,468.38	2,375.28	1,746.87	(-)628.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 93.10 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)93.10				
2202-02-107-0109 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	12,142.00	8,290.84	(-)3,851.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,142.00				
2202-02-107-0210 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	9.64	(-)90.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-03-107-0106 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	79.67	(-)420.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2202-80-004-0010 उर्दू अकाद्मी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	285.00	285.00	71.50	(-)213.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-04-102-0101 अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-04-277-0101 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,000.00				
2225-04-277-0103 बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	900.00	900.00	450.00	(-)450.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-04-277-0105 अल्पसंख्यक कल्याण अंतरपूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	195.00	(-)105.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2250-00-003-0101 अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2250-00-800-0002 बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	310.00	310.00	245.46	(-)64.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2250-00-800-0003 बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	237.00	237.00	170.20	(-)66.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2250-00-800-0107 वक्फ संपत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2250-00-800-0108 वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवौलविंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में (राज्य स्कीम)	मूल	8,000.00	8,000.00	1,837.19	(-)6,162.81	प्रावधान में ₹0.01 लाख की हुई कमी, ₹239.99 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹239.99 लाख की कमी तथा ₹ 0.01 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)0.01				
2251-00-090-0011 अल्पसंख्य कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	956.82	1,028.92	844.29	(-)184.63	प्रावधान में ₹ 72.10 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	72.10				
2251-00-090-0012 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	224.29	224.29	161.03	(-)63.26	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹26,276.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹28,700.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-04-051-0101 अल्पसंख्यक भवन सह-हज-हाउस के निर्माण वास्ते (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	111.23	(-)88.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -30- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4225-04-051-0102 बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.00	303.24	(-)2,696.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4225-04-277-0101 अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	202.09	(-)297.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4250-00-051-0207 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	12,000.00	12,000.00	806.99	(-)11,193.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4250-00-051-0307 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	542.76	(-)1,457.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4250-00-051-0308 अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम-विशेष राज्यांश (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	457.62	(-)542.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5465-01-190-0104 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सापूंजी के रूप में (कैपिटल शेयर) (राज्य स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-)10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -30- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2053	शून्य	शून्य	शून्य
2202	157.67	153.26	4.41
2225	195.00	195.00	0.00
2250	746.93	717.68	29.25
2251	शून्य	शून्य	शून्य
4225	शून्य	शून्य	शून्य
4250	शून्य	शून्य	शून्य
5465	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**1,099.60**	**1,065.94**	**33.66**

अनुदान संख्या- 31- संसदीय कार्य विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	9,27,82	9,29,82	1,87,07	(-)7,42,75
अनुपूरक	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹742.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹2.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या -31- क्रमांत

(iii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0201 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एन.ई.वी.ए.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	383.66	383.66	0.00	(-)383.66	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2011-02-101-0301 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एन.ई.वी.ए.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	86.50	86.50	0.00	(-)86.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2011-02-102-0201 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एन.ई.वी.ए.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	197.34	197.34	0.00	(-)197.34	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2011-02-102-0301 नेशनल ई - विधान एप्लिकेशन (एन.ई.वी.ए.) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	44.50	44.50	0.00	(-)44.50	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-090-0022 संसदीय कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	215.82	217.82	187.07	(-)30.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2.00				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2052	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 32- विधान मंडल

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,53,24,13**	**2,55,04,13**	**2,14,63,62**	**(-)40,40,51**
अनुपूरक	**1,80,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**4,80,00**
24 मार्च 2023	4,80,00			

प्रभारित :

मूल	***1,46,14***	***1,46,14***	***1,07,48***	***(-)38,66***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***0***

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹4,040.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹105.00 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹75.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 180.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे जाने के कारण, ₹4,040.51 लाख की अंतिम बचत ₹384.65 लाख से अधिक है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹480.00 लाख), अंतिम बचत (₹4,040.51 लाख) से ₹3,560.51 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0004 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	967.77	967.77	355.04	(-)612.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2011-02-101-0005 सदस्यगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,597.00	8,579.50	6,803.25	(-)1,776.25	प्रावधान में ₹92.50 लाख की हुई कमी, ₹40.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹132.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	75.00				
	पुनर्वि०	(-)92.50				
2011-02-101-0006 विरोधी दल का नेता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	115.74	115.74	87.25	(-)28.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2011-02-102-0005 विरोधी दल का नेता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	105.13	80.13	55.80	(-)24.33	₹25.00 लाख के प्रत्यर्पण माननीय नेता, विरोधी दल के कर्मियों का अधिकांश पद रिक्त रहने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)25.00				
2011-02-102-0007 सचेतकगण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	330.15	313.15	263.80	(-)49.35	प्रावधान में ₹17.00 लाख की हुई कमी, ₹14.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 31.00 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। ₹14.00 लाख की वृद्धि पदाधिकारियों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित विपत्रों के भुगतान के कारण था। ₹31.00 लाख के प्रत्यर्पण वित्तीय वर्ष के दौरान कई माननीय पदधारकों का पद रिक्त रहने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)17.00				

अनुदान संख्या- 32- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-103-0002 विधान परिषद सचिवालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	6,572.13	6,024.63	5,537.81	(-)486.82	प्रावधान में ₹547.50 लाख की हुई कमी, ₹47.50 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹171.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹424.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹39.00 लाख की वृद्धि होली मिलन समारोह एवं अन्य लंबित विपत्रों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹8.50 लाख की वृद्धि अतिथिशाला एवं पूर्व कार्यकारी सभापति महोदय के लंबित विद्युत विपत्रों एवं आतिथ्य व्यय के भुगतान के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 171.00 लाख की कमी परीक्षा सबंधी व्यय में बचत सत्र आहुत होने से विलंब के कारण था। ₹424.50 लाख के प्रत्यर्पण वेतन आदि में वसूली एवं महँगाई भत्ता की आकलित दर से कम स्वीकृत होने तथा आकस्मिक व्यय में परीक्षा नियमित संचालन अवरूद्ध होने एवं आउटसोर्सिंग समाप्त होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)547.50				

राजस्व (प्रभारित)

(iv) ₹38.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹146.14 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-101-0001 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते (प्रभृत) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*78.82*	*78.82*	*66.17*	*(-)12.65*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 32- क्रमांत

शीर्ष			कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2011-02-102-0001 सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	*67.32*	*67.32*	*41.31*	*(-)26.01*	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2011	28.81	18.87	9.94
कुल	**28.81**	**18.87**	**9.94**

अनुदान संख्या- 33- सामान्य प्रशासन विभाग

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2051 लोक सेवा आयोग

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**7,77,95,88**	**13,45,33,57**	**10,68,39,45**	**(-)2,76,94,12**
अनुपूरक	**5,67,37,69**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**5,35,00**
21 दिसम्बर 2022	3,43,00			
3 मार्च 2023	1,92,00			

प्रभारित :

मूल	***6,42,37***	***6,42,37***	***6,19,20***	***(-)23,17***
अनुपूरक	***0***			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				***54,00***
31 जनवरी 2023	*54,00*			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹27,694.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹50,018.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹4,027.69 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,692.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 56,737.69 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹27,694.12 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹201.69 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹ 6.30 लाख के कारण, ₹195.39 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹535.00 लाख), अंतिम बचत (₹27,694.12 लाख) से ₹27,159.12 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2051-00-103-0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,680.03	9,680.03	2,581.34	(-)7,098.69	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2051-00-103-0004 बिहार तकनीकी सेवा आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	905.13	1,104.23	668.37	(-)435.86	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	199.10				
2052-00-090-0004 सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,322.35	3,249.75	3,144.62	(-)105.13	₹285.00 लाख का प्रत्यर्पण पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत एवं स्थानांतरण हो जाने के कारण वेतन शीर्ष में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	212.40				
	पुनर्वि०	(-)285.00				
2052-00-090-0005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	142.80	227.80	227.80	0.00	प्रावधान में ₹85.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-वेतन एवं गैर वेतन शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।
	पुनर्वि०	85.00				
2052-00-090-0041 अति पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	67.25	336.34	322.84	(-)13.50	प्रावधान में ₹ 183.50 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-वेतन एवं गैर वेतन विषय शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	85.59				
	पुनर्वि०	183.50				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-092-0008 स्थानिक आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	208.12	208.72	180.26	(-)28.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.60				
2053-00-093-0001 जिला प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	28,205.01	27,906.51	24,515.45	(-)3,391.06	प्रावधान में ₹ 468.50 लाख की हुई कमी, ₹ 220.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 688.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹40.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति के कारण था। ₹ 100.00 लाख की वृद्धि मकान किराया भत्ता के कारण था। ₹80.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय तथा सामग्री एवं पूर्तियों के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	170.00				
	पुनर्वि०	(-)468.50				
2053-00-094-0001 अनुमंडलीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,650.01	13,870.01	11,423.91	(-)2,446.10	प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	170.00				
	पुनर्वि०	50.00				

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2053-00-101-0001 मुख्य कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,173.30	2,923.30	2,542.39	(-)380.91	₹250.00 लाख का प्रत्यर्पण पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत हो जाने के कारण वेतन शीर्ष में संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)250.00				
2070-00-001-0001 बिहार निर्वाचन प्राधिकार हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,306.21	1,306.21	356.27	(-)949.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 33- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-115-0003 सर्किट भवन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,574.50	1,724.50	1,337.48	(-)387.02	प्रावधान में ₹150.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 230.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 80.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹80.00 लाख की वृद्धि दूरभाष, किराया महसूल एवं कर तथा संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹150.00 लाख की वृद्धि विद्युत प्रभार शीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	150.00				
2251-00-092-0002 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	795.00	795.00	630.85	(-)164.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-01-001-0006 बिहार जाति आधारित गणना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	50,000.00	50,000.00	38,267.28	(-)11,732.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

राजस्व (प्रभारित)

(iv) ₹23.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹642.37 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण ₹ 23.17 लाख की अंतिम बचत ₹50.06 लाख से कम है।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹54.00 लाख), अंतिम बचत (₹23.17 लाख) से ₹30.83 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 33- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

विनियोग संख्या- 34- बिहार लोक सेवा आयोग

(सभी प्रभारित)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2051 लोक सेवा आयोग

प्रभारित :

		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	*43,66,75*	*61,64,75*	*60,45,07*	*(-)1,19,68*
अनुपूरक	*17,98,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				*0*

टीका एवं टिप्पणियाँ-

(i) ₹119.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,798.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2051	*1,155.52*	*1,046.13*	*109.39*
कुल	***1,155.52***	***1,046.13***	***109.39***

अनुदान संख्या- 35- योजना एवं विकास विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2053 जिला प्रशासन

2059 लोक निर्माण कार्य

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**9,03,65,70**	**9,45,01,04**	**7,25,93,03**	**(-)2,19,08,01**
अनुपूरक	**41,35,34**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**31,64,70**
19 दिसम्बर 2022	2,00,00			
5 जनवरी 2023	5,56,55			
6 मार्च 2023	24,08,15			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4235 समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**12,84,16,00**	**12,94,16,00**	**11,17,59,98**	**(-)1,76,56,02**
अनुपूरक	**10,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹21,908.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹3,847.34 लाख), दिसम्बर 2022 (₹200.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹88.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,135.34 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹21,908.01 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹275.63 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹514.85 लाख के कारण, ₹239.22 लाख से अधिक है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,164.70 लाख), अंतिम बचत (₹21,908.01 लाख) से ₹18,743.31 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0010 योजना एवं विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,736.11	1,787.69	1,524.66	(-)263.03	प्रावधान में ₹48.58 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय तथा प्रावधान में ₹3.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	51.58				
2052-00-090-0103 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	12.30	(-)87.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2053-00-094-0007 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,674.90	13,164.77	10,550.51	(-)2,614.26	प्रावधान में ₹ 2,481.57 लाख की हुई कमी, ₹ 106.75 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 180.17 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹2,408.15 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि यात्रा, कार्यालय व्यय, विद्युत प्रभार, भाड़े की गाड़ी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विधि प्रभार तथा विज्ञापन एवं प्रकाशन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी सम्भावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण पूर्व से पदस्थापित सहायक अभियन्ता का अपने पैत्रिक विभाग में वापस चले जाने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,971.44				
	पुनर्वि०	(-)2,481.57				
2053-00-094-0109 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	900.00	115.09	(-)784.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	700.00				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0105 बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-01-202-0505 आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	27,365.48	27,365.48	23,260.66	(-)4,104.82	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-01-789-0501 आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	9,454.24	9,454.24	8,036.10	(-)1,418.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-01-796-0501 आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना(विश्व बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	680.28	680.28	578.24	(-)102.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-60-200-0117 मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	15,770.00	15,770.00	11,879.83	(-)3,890.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-60-200-0120 बिहार मंदिर चाहर दिवारी निर्माण निधि योजना, 2015 (गृह विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	2,500.00	2,500.00	840.60	(-)1,659.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-789-0106 मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,040.00	3,040.00	2,584.00	(-)456.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-60-796-0102 मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	190.00	190.00	161.50	(-)28.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-101-0001 बिहार राज्य योजना बोर्ड (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	673.99	673.99	550.11	(-)123.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-02-001-0001 योजना कार्यो का मूल्यांकन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	246.89	246.89	179.98	(-)66.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-02-111-0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,199.17	1,178.87	1,062.45	(-)116.42	पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 5.30 लाख के प्रत्यर्पण पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मी के स्थानान्तरण के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)20.30				
3454-02-204-0119 योजना कार्यो का मूल्यांकन (राज्य स्कीम)	मूल	80.00	80.00	16.98	(-)63.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3454-02-205-0004 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी तंत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,385.72	1,620.72	1,566.97	(-)53.75	प्रावधान में ₹ 235.00 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारियों के वेतनादि मद में भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	235.00				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3454-02-205-0005 राज्य सांख्यिकी संगठन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,804.30	2,575.30	2,364.23	(-)211.07	प्रावधान में ₹ 229.00 लाख की हुई कमी, ₹15.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 235.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 9.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के यात्रा भत्ता मद का भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी सम्भावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण कर्मियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)229.00				
3454-02-205-0101 समग्र सांख्यिकी विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,862.00	6,254.60	5,846.54	(-)408.06	प्रावधान में ₹ 607.40 लाख की हुई कमी, ₹367.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 862.90 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹111.50 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹360.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय, वाहन ईंधन एवं रख-रखाव, प्रशिक्षण व्यय मद अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों यथा-आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के क्रियान्वयन, फसल कटनी प्रयोग के सम्पादन जीवनांक सांख्यिकी संबंधी कार्य एवं सांख्यिकीय क्षमतावर्द्धन हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण से संबंधित आदि व्यय का भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹7.00 लाख की वृद्धि प्रशिक्षण व्यय मद अन्तर्गत जन्म-मृत्यु का निबंधन के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को राज्य / जिला / प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी बचत के कारण था। प्रत्यर्पण सम्भावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)607.40				

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3454-02-205-0102 भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	2,065.15	754.55	(-)1,310.60	प्रावधान में ₹ 134.85 लाख की हुई कमी, ₹856.15 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 360.25 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 630.75 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹0.25 लाख की वृद्धि औद्योगिक सूचकांक अन्तर्गत पदाधिकारियों/कर्मियों को महत्वपूर्ण प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन से संबंधित अनुदेश पुस्तिका के मुद्रण हेतु आवश्यकता के कारण था। ₹855.90 लाख की वृद्धि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाई के सदृढ़ीकरण से संबंधित योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी सम्भावित बचत के कारण था। प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)134.85				
3454-02-205-0405 लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तियुक्तकरण योजना (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	1,062.39	1,062.39	192.46	(-)869.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹17,656.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹ 17,656.02 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹3,550.62 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹2,576.52 लाख के कारण, ₹974.10 लाख से कम है।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 35- क्रमशः

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4070-00-051-0109 योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में (राज्य स्कीम)	मूल	480.00	480.00	52.95	(-)427.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-051-0210 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,360.00	5,360.00	625.56	(-)4,734.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-051-0310 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,146.24	2,146.24	250.22	(-)1,896.02	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4070-00-789-0302 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,429.76	1,429.76	166.82	(-)1,262.94	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4235-60-051-0104 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी (गृह विभाग हेतु) (राज्य स्कीम)	मूल	12,500.00	12,500.00	10,622.36	(-)1,877.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4515-00-102-0203 एलडब्ल्यूई जिलों के लिए एसीए (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	3,838.00	(-)6,162.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 35- क्रमांत

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4401-00-051-0102 कृषि विभाग के भवन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	31.51	(+)31.51	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹31.51 लाख से अधिक है।
4515-00-101-0105 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	722.59	(+)222.59	पिछले वर्षो से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 222.59 लाख से अधिक है।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2059 लोक निर्माण कार्य

2215 जलापूर्ति तथा सफाई

2216 आवास

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	9,20,33,29	10,20,33,30	8,29,84,28	(-)1,90,49,02
अनुपूरक	1,00,00,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	14,60,05,00	14,60,05,01	13,13,11,11	(-)1,46,93,90
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹19.049.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹0.01 लाख) तथा मार्च 2023 (₹10,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹10,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹19,049.02 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹4,461.06 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹14,963.58 लाख के कारण, ₹10,502.52 लाख से अधिक है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2059-01-053-0030 सरकारी कार्यालय का रखरखाव एवं मरम्मत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	150.00	115.52	(-)34.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-101-0004 शहरी जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,027.55	6,920.31	4,288.03	(-)2,632.28	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 107.24 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)107.24				
2215-01-101-0006 सरकारी भवनों में जलापूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,030.00	1,030.00	698.80	(-)331.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-102-0001 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	18,313.27	18,345.23	16,325.70	(-)2,019.53	प्रावधान में ₹ 31.96 लाख की हुई वृद्धि, ₹32.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.54 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	31.96				
2215-01-102-0002 हस्तचालित ट्यूबवेल्स, तालाब एवं कुएं तथा उच्च प्रवाही नलकूप (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	16,488.45	16,520.96	14,838.73	(-)1,682.23	प्रावधान में ₹ 32.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 36.49 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.99 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	32.50				

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-102-0107 ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	44,500.00	54,500.00	41,552.68	(-)12,947.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,000.00				
2215-02-003-0102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यो हेतु अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-102-0106 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	3,460.30	3,460.30	4,164.57	(+)704.27	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹704.27 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹14,693.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹14,693.90 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹54,596.39 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹19,988.74 लाख के कारण, ₹34,607.65 लाख से कम है।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

(vii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-01-051-0128 सरकारी कार्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,485.88	0.00	(-)1,485.88	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14.12 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)14.12				
4215-01-102-0101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	21.03	(-)28.97	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-102-0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	2,075.00	2,075.00	1,709.55	(-)365.45	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-102-0125 जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एवं प्रयोगशाला का उन्नयन (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	82.90	(-)917.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-102-0134 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण-सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-102-0230 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	33,200.00	33,200.00	9,445.00	(-)23,755.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-789-0111 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नल कूप द्वारा) (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	400.00	353.32	(-)46.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 36- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-01-789-0114 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	19,416.40	19,416.40	16,438.32	(-)2,978.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-789-0212 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,400.00	6,400.00	0.00	(-)6,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-796-0119 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	1,213.90	1,213.90	846.79	(-)367.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-01-796-0217 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	400.00	400.00	250.00	(-)150.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4215-02-106-0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण (राज्य स्कीम)	मूल	150.00	150.00	31.27	(-)118.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4216-01-051-0103 सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 36- क्रमांत

(viii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4215-01-102-0133 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	5,395.00	5,395.00	11,544.07	(+)6,149.07	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 6,149.07 लाख से अधिक है।
4215-01-102-0229 निर्मल भारत अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	13,925.56	(+)13,925.56	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 13,925.56 लाख से अधिक है।
4215-01-789-0104 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	400.00	(+)400.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹400.00 लाख से अधिक है।
4215-01-789-0115 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	1,040.00	1,040.00	2,190.03	(+)1,150.03	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 1,150.03 लाख से अधिक है।
4215-01-796-0120 मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) (राज्य स्कीम)	मूल	65.00	65.00	90.71	(+)25.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 25.71 लाख से अधिक है।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 37- ग्रामीण कार्य विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2515 **अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

3054 **सड़क तथा सेतु**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**29,17,69,10**	**34,17,69,11**	**33,61,74,43**	**(-)55,94,68**
अनुपूरक	**5,00,00,01**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 **अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**76,94,27,00**	**1,05,24,27,00**	**61,17,21,81**	**(-)44,07,05,19**
अनुपूरक	**28,30,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**34,64,00,00**
28 जून 2022	23,91,43,00			
6 मार्च 2023	1,50,00,00			
15 मार्च 2023	9,22,57,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹5,594.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹0.01 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹50,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹50,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹5,594.68 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹5,040.79 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹1,278.73 लाख के कारण, ₹3,762.06 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 37- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-001-0009 अभियंत्रण स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,337.78	10,337.78	7,864.05	(-)2,473.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2515-00-001-0108 ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	23,600.00	23,600.00	18,687.24	(-)4,912.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0029 ग्रामीण कार्य विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	831.32	2,831.33	1,848.88	(-)982.45	प्रावधान में ₹2,000.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹2,015.15 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.15 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	2,000.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹4,40,705.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹1,40,000.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹78,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹65,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹2,83,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,40,705.19 लाख की अंतिम बचत ₹9,224.41 लाख से कम है।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,46,400.00 लाख), अंतिम बचत (₹4,40,705.19 लाख) से ₹94,305.19 लाख कम था।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-103-0120 अतिरिक्त सम्पर्कता - सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	15,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)15,000.00				
4515-00-103-0216 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,89,143.00	1,50,000.00	1,30,798.00	(-)19,202.00	₹ 2,39,143.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,39,143.00				
4515-00-103-0316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,030.00	1,60,030.00	75,844.00	(-)84,186.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,40,000.00				
4515-00-789-0201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	92,257.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)92,257.00				

(vii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-103-0101 न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	9,224.41	(+)9,224.41	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹9,224.41 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 37- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 38- मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2030 **स्टाम्प तथा पंजीकरण**

2039 **राज्य उत्पाद शुल्क**

2052 **सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,64,60,10**	**5,31,41,12**	**4,53,85,54**	**(-)77,55,58**
अनुपूरक	**2,66,81,02**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**77,82,02**
31 मार्च 2023	77,82,02			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹7,755.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹11,828.01 लाख), दिसम्बर 2022 (₹10,203.01 लाख) तथा मार्च 2023 (₹4,650.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹26,681.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹7,755.58 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹73.03 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹ 11.20 लाख के कारण, ₹61.83 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹7,782.02 लाख), अंतिम बचत (₹7,755.58 लाख) से ₹26.44 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 38- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2030-02-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	67.83	42.62	42.61	(-)0.01	₹45.21 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20.00				
	पुनर्वि०	(-)45.21				
2030-02-101-0001 केन्द्रीय स्टाम्प कोषागार, नासिक रोड से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	2,558.38	2,558.38	0.00	₹441.62 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,000.00				
	पुनर्वि०	(-)441.62				
2030-02-101-0002 प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	150.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)150.00				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2030-03-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	8,397.14	6,477.13	6,492.51	(+)15.38	प्रावधान में ₹ 2,730.01 लाख की हुई कमी, ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹50.00 लाख की कमी तथा ₹2,730.01 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 15.38 लाख से अधिक है। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	810.00				
	पुनर्वि०	(-)2,730.01				

अनुदान संख्या- 38- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2039-00-001-0001 अधीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,225.99	1,173.49	1,179.56	(+)6.07	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 6.07 लाख से अधिक है। ₹347.51 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	295.01				
	पुनर्वि०	(-)347.51				
2039-00-001-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	13,789.54	29,590.70	29,592.89	(+)2.19	प्रावधान में ₹ 3,609.85 लाख की हुई कमी, ₹146.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹146.00 लाख की कमी तथा ₹3,609.85 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹2.19 लाख से अधिक है। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	19,411.01				
	पुनर्वि०	(-)3,609.85				
2052-00-092-0007 स्टाम्प्स और उत्पाद आयुक्त (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	89.07	50.51	53.04	(+)2.53	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹2.53 लाख से अधिक है। ₹47.56 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9.00				
	पुनर्वि०	(-)47.56				

अनुदान संख्या- 38- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
–	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

अनुदान संख्या- 39- आपदा प्रबंधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**36,96,98,43**	**47,28,43,45**	**31,19,10,44**	**(-)16,09,33,01**
अनुपूरक	**10,31,45,02**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**0**	**1,25,00,00**	**0**	**(-)1,25,00,00**
अनुपूरक	**1,25,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹1,60,933.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹30,145.01 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹73,000.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,03,145.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹1,60,933.01 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ (-)10,078.49 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹282.20 लाख के कारण, ₹9,796.29 लाख से अधिक है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-106-0001 मुख्यालय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	518.62	518.62	304.41	(-)214.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-106-0002 जिला प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	105.50	105.50	56.20	(-)49.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-106-0004 प्रशिक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	139.79	139.79	62.49	(-)77.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-01-200-0003 शीत लहर से बचाव हेतु उपाय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	400.00	400.00	178.11	(-)221.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-01-200-0004 कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहाय्य अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,500.00	2,500.00	1,166.06	(-)1,333.94	प्रावधान में ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	1,000.00				
2235-60-200-0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	300.00	59.00	(-)241.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-01-101-0001 नि:सहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	71,600.00	63,622.43	(-)7,977.57	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,400.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	63,000.00				
	पुनर्वि०	(-)1,400.00				
2245-01-101-0005 अन्य कार्य (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-01-101-0006 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-)10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-01-102-0001 ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-01-282-0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	2,000.00	60.86	(-)1,939.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-101-0001 नि:सहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75,000.00	56,250.00	392.77	(-)55,857.23	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹18,750.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)18,750.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-101-0002 खाद्यान्न की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,000.01	11,250.01	1,896.41	(-)9,353.60	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,750.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,750.00				
2245-02-101-0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,000.00	25,000.00	17,038.90	(-)7,961.10	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20,000.00				
2245-02-101-0004 प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	25,000.00	22,353.00	0.00	(-)22,353.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,647.00 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,647.00				
2245-02-101-0005 आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	2,000.00	569.10	(-)1,430.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-101-0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	2,000.00	113.02	(-)1,886.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-101-0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	336.07	(-)663.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-101-0010 वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-101-0011 नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-101-0014 शीतलहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद दान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-101-0016 राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	15,000.00	37,500.00	27,980.66	(-)9,519.34	प्रावधान में ₹ 12,500.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,000.00				
	पुनर्वि०	12,500.00				
2245-02-102-0001 पेयजल की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-104-0001 चारे की पूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	11.86	(-)488.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-105-0001 पशुओं के लिए दवा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-106-0001 क्षतिग्रस्त सड़कों-पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,000.00	10,000.00	4,347.24	(-)5,652.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-107-0001 सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	1.50	(-)48.50	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-109-0001 क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मती एवं प्रत्यास्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	500.00	243.67	(-)256.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-112-0002 जनसंख्या का निष्क्रमण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40,000.01	40,000.01	7,888.82	(-)32,111.19	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-112-0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव संयंत्रों तथा निकासन संयंत्रों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	1.56	(-)98.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-112-0004 संचार उपकरणों का क्रय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.53	(-)99.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-113-0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,500.00	2,500.00	225.20	(-)2,274.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-113-0003 अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	0.16	(-)199.84	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-114-0001 कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,00,000.00	90,000.00	129.15	(-)89,870.85	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹10,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)10,000.00				

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-115-0001 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-115-0002 मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद बालू आदि का निकासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-117-0001 बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	0.30	(-)199.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-117-0002 दुधारू पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	69.01	(-)30.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-117-0003 जीवनोंपयोगी पशुओं का बदलाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	125.00	125.00	25.94	(-)99.06	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-118-0001 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	18.58	(-)81.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-02-122-0001 क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	30,000.00	30,000.00	1,319.56	(-)28,680.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-02-800-0008 क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,000.00	1,647.00	1,609.00	(-)38.00	प्रावधान में ₹ 647.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	647.00				
2245-05-101-0001 प्राकृतिक आपदा कोष (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,51,575.50	2,81,575.50	2,62,536.00	(-)19,039.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹70,000.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)70,000.00				
2245-06-101-0001 मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	20.00	(-)80.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-06-101-0002 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-06-101-0003 खाद्यान की आपूर्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	100.01	100.01	0.00	(-)100.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-06-101-0004 भूकंप प्रभावितों को कपड़ा एवं बर्तन का मुफ्त वितरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-06-113-0001 भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती-पुनर्स्थापन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-07-101-0001 आपदा न्यूनीकरण हेतु व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	10,000.01	30,000.01	12,623.19	(-)17,376.82	प्रावधान में ₹ 20,000.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	20,000.00				
2245-08-797-0001 राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	0.01	70,000.01	37,760.00	(-)32,240.01	प्रावधान में ₹ 70,000.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	70,000.00				
2245-80-001-0001 आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,368.01	1,368.01	435.02	(-)932.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-80-001-0002 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,478.02	3,478.02	2,954.67	(-)523.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2245-80-001-0204 राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	128.00	128.00	61.82	(-)66.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2245-80-102-0005 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,788.00	5,333.00	1,988.30	(-)3,344.70	प्रावधान में ₹ 1,400.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	145.00				
	पुनर्वि०	1,400.00				
2245-80-102-0105 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	998.00	998.00	19.32	(-)978.68	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0017 आपदा प्रबंधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	771.43	771.43	586.89	(-)184.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹12,500.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 में प्राप्त किया गया ₹12,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4250-00-101-0003 जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा-सह-प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	10,000.00	10,000.00	0.00	(-)10,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4250-00-800-0101 राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स (राज्य स्कीम)	अनु०	2,500.00	2,500.00	0.00	(-)2,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2245	66,975.74	64,232.63	2,743.11
2070	33.11	30.78	2.33
कुल	**67,008.85**	**64,263.41**	**2,745.44**

अनुदान संख्या- 39- क्रमशः

(vii) राज्य आपदा रिस्पौंस निधि (एसडीआरएफ)

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है । फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रुप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रुप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रुप में दर्शाया जाता है। इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय ₹1,88,800.00 लाख राज्य आपदा रिस्पौंस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद प्राप्त निवल राशि के लिए अनुदान लिया गया था।

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम.-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पौंस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46(I) एवं 48(I) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रही। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पौंस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि में अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पौंस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 01.04.2010 से समाप्त हो गया।

एसडीआरएफ योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जायः-

(क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,

(ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट।

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा रिस्पौंस निधि के लिए निधि का प्रावधान किया तथा एसडीआरएफ में राज्यों को 10 प्रतिशत अंशदान एवं शेष 90 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा दिये जाने का अनुशंसा किया। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33-5/2015-एन.डी.एम.-1 दिनांक 30 जुलाई 2015 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को इस संशोधन के साथ अंगीभूत किया कि राज्यों का हिस्सा पूर्ववत जारी रहेगा। राज्य आपदा रिस्पौंस निधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगीः-

	2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जोड़**
	(₹ करोड़ में)					
केन्द्र का हिस्सा (75%)	407.25	427.50	1,416.00	1,132.80	1,189.60	4,573.15
राज्य का हिस्सा (25%)	135.75	142.50	472.00	377.60	396.80	1,524.65
जोड़	**543.00**	**570.00**	**1,888.00**	**1,510.40**	**1,586.40**	**6,097.80**

अनुदान संख्या- 39- क्रमांत

वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में एसडीआरएफ में आरंभिक शेष ₹229.064785 करोड़ (₹245.72 करोड़ मिटिगेशन फंड के लिए है) था।

भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के राहत हेतु 31 मार्च 2022 को एनडीआरएफ से ₹1,038.96 करोड़ बिहार सरकार को जारी की और राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या-23 दिनांक 12 अप्रैल 2022 द्वारा इसे एसडीआरएफ बिहार में जमा किया। 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली और दूसरी किस्त क्रमशः 11 जुलाई 2022 और 24 फरवरी 2023 को भारत सरकार से जारी ₹594.80 करोड़ और ₹594.80 करोड़ तथा राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश-175 दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा ₹793.20 करोड़ (पहली किस्त) तथा स्वीकृत्यादेश-527 दिनांक 20 मार्च 2023 द्वारा ₹793.20 करोड़ (दूसरी किस्त) के साथ 25% हिस्सेदारी दी।

राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष 8121-130-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के अंतर्गत निधि में ₹377.60 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹283.20 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹94.40 करोड़) हस्तांतरित किए।

दूसरी ओर राज्य सरकार से ₹463.7331 करोड़, ₹494.44 करोड़, ₹208.38 करोड़ तथा ₹251.2984 करोड़ के डेबिट नोट प्राप्त हुए। तदनुसार राशि ₹463.7331 करोड़, ₹494.44 करोड़, ₹208.38 करोड तथा ₹251.2984 करोड़ एसडीआरएफ और एसडीएमएफ को नामे किया गया, जिससे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में अंतशेष क्रमशः ₹1,687.871685 करोड़ तथा ₹372.03 करोड़ रह गया।

अनुदान संख्या- 40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2014 न्याय प्रशासन

2029 भू-राजस्व

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

2075 विविध सामान्य सेवाएं

2506 भूमि सुधार

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्त्ति तथा समनुदेशन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	12,52,86,15	13,91,95,42	9,03,25,04	(-)4,88,70,38
अनुपूरक	1,39,09,27			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	79,55,02	79,55,02	39,51	(-)79,15,51
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹48,870.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹7,022.61 लाख), दिसम्बर 2022 (₹6,608.67 लाख) तथा मार्च 2023 (₹277.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹13,909.27 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹48,870.38 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹394.72 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹30.07 लाख के कारण, ₹364.65 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2014-00-106-0003 बिहार भूमि न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	355.25	445.25	388.84	(-)56.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	90.00				
2029-00-001-0001 जिला प्रभार भू-अर्जन स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,425.10	3,425.10	2,366.58	(-)1,058.52	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2029-00-001-0004 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	545.00	545.00	306.42	(-)238.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2029-00-001-0102 जोतों की चकबंदी (राज्य स्कीम)	मूल	3,000.00	3,000.01	1,564.10	(-)1,435.91	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
2029-00-102-0101 सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण (राज्य स्कीम)	मूल	26,244.97	26,244.97	20,232.07	(-)6,012.90	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2029-00-103-0001 भू-अभिलेख स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,125.40	1,125.41	947.24	(-)178.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
2029-00-103-0106 सीमा स्तंभों का परिचालन (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	4.99	(-)295.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2029-00-103-0306 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,900.00	2,900.00	279.27	(-)2,620.73	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2029-00-104-0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	81,148.03	90,359.36	59,858.37	(-)30,500.99	प्रावधान में ₹15.00 लाख की हुई कमी, ₹ 1,185.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,200.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	9,226.33				
	पुनर्वि०	(-)15.00				
2029-00-104-0004 जमींदारी उन्मूलन बन्धपत्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	41.76	41.76	0.00	(-)41.76	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2029-00-104-0007 लोक भूमि पर अतिक्रमण से मुक्ति (स्थापना और प्रतिबद्ध	अनु०	500.00	500.00	122.53	(-)377.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2029-00-800-0001 बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत धार्मिक एवं दातव्य न्यासों की देय शाश्वत वार्षिकी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	26.00	26.00	0.00	(-)26.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2052-00-090-0017 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,572.92	2,636.92	1,531.32	(-)1,105.60	प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	49.00				
	पुनर्वि०	15.00				
2052-00-092-0004 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	171.64	171.64	89.17	(-)82.47	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-099-0001 राजस्व पर्षद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	611.18	611.18	469.94	(-)141.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-105-0018 भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	181.59	181.59	96.70	(-)84.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2070-00-800-0002 गजेटियर्स (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	152.43	152.43	61.48	(-)90.95	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2506-00-102-0001 जोतों की चकबन्दी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	850.62	879.63	494.34	(-)385.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	29.01				
3454-01-101-0403 जनगणना, 2021 (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	अनु०	3,747.27	3,747.27	90.95	(-)3,656.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3604-00-200-0001 भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को सेस का भुगतान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	663.88	663.88	11.47	(-)652.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3454-01-101-0002 जनगणना स्थापना, 2011 (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	234.01	(+)234.01	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹234.01 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹7,915.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹7,955.02 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹7,915.51 लाख की अंतिम बचत ₹1.00 लाख से कम है।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vii) बचत (₹15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4047-00-050-0107 पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनांतर्गत रैयती भूमि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	300.00	6.75	(-)293.25	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4047-00-789-0106 गृह विहीन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय (राज्य स्कीम)	मूल	6,640.00	6,640.00	31.76	(-)6,608.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4047-00-796-0101 गृह विहीनों के लिए वास भूमि (राज्य स्कीम)	मूल	415.00	415.00	0.00	(-)415.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 40- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4059-80-051-0102 जल निकाय एवं सरकारी भूमि की घेराबंदी तथा सीमांकन (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 41- पथ निर्माण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3054 **सड़क तथा सेतु**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	19,98,13,50	19,98,13,51	15,28,76,62	(-)4,69,36,89
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5054 **सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	38,20,89,00	71,80,89,00	65,97,56,48	(-)5,83,32,52
अनुपूरक	33,60,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹46,936.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹46,936.89 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 28,678.63 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹17,701.98 लाख के कारण, ₹10,976.65 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-03-052-0001 मशीनें और उपकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	300.00	418.00	353.51	(-)64.49	प्रावधान में ₹ 118.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	118.00				
3054-80-001-0001 निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,065.58	9,019.58	7,063.83	(-)1,955.75	प्रावधान में ₹ 46.00 लाख की हुई कमी, ₹ 224.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 270.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)46.00				
3054-80-001-0002 पर्यवेक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	40,370.01	40,298.02	25,286.50	(-)15,011.52	प्रावधान में ₹72.00 लाख की हुई कमी, ₹ 106.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 178.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)72.00				
3054-80-001-0006 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,500.00	4,500.00	1,497.86	(-)3,002.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-80-001-0010 बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	142.32	142.32	90.16	(-)52.16	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3054-80-797-0101 केन्द्रीय सड़क निधि राशि का अंतरण (राज्य स्कीम)	मूल	60,000.00	60,000.00	22,647.00	(-)37,353.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3451-00-090-0014 पथ निर्माण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	375.59	375.59	257.21	(-)118.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3054-03-103-0002 अन्य अनुरक्षण व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	85,000.00	85,000.00	96,481.77	(+)11,481.77	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 11,481.77 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹58,332.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹1,00,000.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,86,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹50,000.00 लाख)में प्राप्त किया गया ₹3,36,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹58,332.52 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹45,129.23 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹32,670.68 लाख के कारण, ₹12,458.55 लाख से कम है।

(vi) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

(vii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-337-0123 सात निश्चय-2- सुलभ सम्पर्कता (राज्य स्कीम)	मूल	8,079.00	6,059.25	1,104.13	(-)4,955.12	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹2,019.75 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,019.75				
5054-03-337-0206 केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	60,000.00	60,000.00	43,076.46	(-)16,923.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5054-03-337-0211 विशेष सहायता (बीआरजी-पथ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	23,000.00	23,000.00	0.00	(-)23,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5054-03-337-0508 सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	1,56,300.00	1,26,300.00	1,26,300.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 30,000.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)30,000.00				
5054-03-789-0102 सात निश्चय-2- सुलभ सम्पर्कता (राज्य स्कीम)	मूल	7,500.00	5,625.00	423.53	(-)5,201.47	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,875.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,875.00				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-796-0104 सात निश्चय-2- सुलभ सम्पर्कता (राज्य स्कीम)	मूल	4,421.00	3,315.75	479.56	(-)2,836.19	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,105.25 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,105.25				
5054-04-337-0201 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	60,000.00	60,000.00	13,525.00	(-)46,475.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5054-04-337-0301 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	15,400.00	15,400.00	10,409.29	(-)4,990.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

(viii) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-101-0103 पुल (नाबार्ड) (राज्य स्कीम)	मूल	40,000.00	75,000.00	78,928.55	(+)3,928.55	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹ 3,928.55 लाख से अधिक है। प्रावधान में ₹ 35,000.00 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	35,000.00				

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5054-03-101-0104 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	0.01	47.13	(+)47.12	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय ₹47.12 लाख से अधिक है।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
3054	2.65	2.61	0.04
5054	93,042.74	20,346.72	72,696.02
8443	1,655.55	1,599.61	55.94
कुल	**94,700.94**	**21,948.94**	**72,752.00**

(ix) उचंत लेन-देन : (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹(-)158.54 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं, यथा-(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत । प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

(i) स्टॉक :- इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य हटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

(ii) क्रय :- जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट ''कार्य'' शीर्ष मे या ''स्टॉक'' उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का ''क्रय'' शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को ''8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा'' में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम :- इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

(iv) कार्यशाला उचंत :- (क) लोक निर्माण विभाग के विभागी कार्यशालाओं मे निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2022-23 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं:-

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 को अंतशेष
			(₹ लाख में)		
(i) 3054 - सड़क तथा सेतु					
क्रय	(-)4,047.20	1.94	0.00	1.94	(-)4,049.14
स्टॉक	(-)690.43	0.00	0.00	0.00	(-),690.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	27,443.57	0.00	864.96	864.96	28,308.53
जोड़	**22,705.94**	**1.94**	**864.96**	**863.02**	**23,568.96**

अनुदान संख्या- 41- क्रमशः

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2023 को अंतशेष
			(₹ लाख में)		
(ii) 5054 - सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय					
क्रय	(-)4.43	0.00	0.00	0.00	(-)4.43
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण	4,36,203.94	2,338.88	1,317.32	(-)1,021.56	4,35,182.38
जोड़	**4,36,199.51**	**2,338.88**	**1,317.32**	**(-)1,021.56**	**4,35,177.95**

(x) पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :- लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2020-21 से 2022-23 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है:-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
			(₹ लाख में)		
2020-21	3,20,357.93	32,057.42	10.01	157.71	0.05
2021-22	4,05,241.73	33,004.48	8.14	195.66	0.05
2022-23	6,60,191.91	33,958.75	5.14	353.51	0.05

(xi) केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान

भारत सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्क की आय में से किया जाता है। इस निधि में अंतरण के लिए प्रत्येक वर्ष स्वीकृत राशि केंद्र सरकार के खातों में मुख्य शीर्ष ''3054- सड़क तथा सेतु'' में प्रतिपक्ष नामे डालकर मुख्य शीर्ष ''8224-केन्द्रीय सड़क निधियाँ'' को जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों आदि को आबंटित की जाती है।

इस निधि से प्राप्त राशि एवं उससे होने वाले व्यय को राज्य सरकार के खाते में निम्न प्रकार से लेखांकन प्रक्रिया हैं:-

केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 06-केन्द्र प्रायोजित स्कीम -104-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान या 08-राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान -108-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान जैसा भी मामला हो, में जमा की जाती है। तत्पश्चात, इतनी ही राशि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को से अंतरण में प्रतिपक्ष जमा करके मुख्यशीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में जमा की जाती है।

अनुदान संख्या- 41- क्रमांत

इन योजनाओं में हुई वास्तविक व्यय को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 3054/5054 के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है एवं अंतत: इस मुख्य शीर्ष में किया गया व्यय को मुख्य राशि 8449-अन्य जमा अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के शेष से पूरा किया जाता है । इन राशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के नामे डालकर प्रतिपक्ष नामे मुख्य शीर्ष 3054/5054-902-जमा शीर्ष से प्रतिपूर्ति किया जाता है ।

भारत सरकार से वर्ष 2022-23 में ₹22,647.00 लाख प्राप्त हुई एवं मुख्य शीर्ष 1601-08-108 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के अंतर्गत जमा की गई ।

वर्ष 2022-23 के दौरान पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 1903 (एस) दिनांक- 31 मार्च 2023 के आलोक में अंतरण प्रविष्टि के द्वारा ₹22,647.00 लाख को मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतर्गत नामें किया गया तथा मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को जमा किया गया। पुन: पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या 1904 (एस) दिनांक- 31 मार्च 2023 के आलोक में मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण प्रविष्टि द्वारा ₹22,647.00 लाख नामे किया गया तथा मुख्य शीर्ष-5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राजमार्ग, लघु शीर्ष-902-घटाये-अन्य जमा सड़क निधि अनुदान से पूरी की गयी राशि कं अंतर्गत घटाकर नामे किया गया।

अनुदान संख्या- 42- ग्रामीण विकास विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 तकनीकी शिक्षा

2215 जलापूर्ति तथा सफाई

2216 आवास

2220 सूचना तथा प्रचार

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

2505 ग्राम रोजगार

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,54,20,46,56**	**2,16,95,55,58**	**1,84,11,61,61**	**(-)32,83,93,97**
अनुपूरक	**62,75,09,02**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**32,97,87,90**
31 मार्च 2023	32,97,87,90			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**36,00,00**	**36,00,00**	**1,28,89**	**(-)34,71,11**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**34,77,61**
31 मार्च 2023	34,77,61			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹3,28,393.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹1,79,634.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,89,505.29 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,58,369.73 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,27,509.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹3,28,393.97 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹1,404.76 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹4.02 लाख के कारण, ₹1,400.74 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,29,787.90 लाख), अंतिम बचत (₹3,28,393.97 लाख) से ₹1,393.93 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-105-0104 लोहिया स्वच्छता योजना - 2 सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	4,700.00	0.00	0.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 600.00 लाख की कमी प्रशिक्षण मद (गैर-वेतन) एवं परिसम्पत्ति निर्माण मद के लिए आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹4,100.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,700.00				
2215-02-796-0206 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	800.00	908.86	908.86	0.00	प्रावधान में ₹108.86 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 109.40 लाख की वृद्धि तथा ₹ 0.54 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	108.86				
2216-03-105-0107 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	975.00	975.00	0.00	₹1,025.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,025.00				
2216-03-105-0108 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	65.00	65.00	0.00	₹35.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)35.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-03-789-0105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00	₹1,400.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,400.00				
2216-03-789-0106 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	130.00	130.00	0.00	₹70.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)70.00				
2216-03-789-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,00,000.00	2,79,506.12	2,79,506.12	0.00	₹1,20,493.88 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,20,493.88				
2216-03-796-0104 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	650.00	650.00	0.00	₹350.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)350.00				
2216-03-796-0105 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	65.00	65.00	0.00	₹35.00 लाख का प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के द्वारा प्रत्यर्पण स्वीकृत किये जाने के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)35.00				
2216-03-796-0202 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	50,000.00	36,777.10	36,777.10	0.00	₹13,222.90 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)13,222.90				
2220-60-101-0101 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण राशि का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
2501-01-001-0104 बिजनेस प्रोसेस रिइंजिनियरिंग (राज्य स्कीम)	मूल	300.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण राशि का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-001-0101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	59.11	59.11	0.00	₹140.89 लाख का प्रत्यर्पण पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण के कारण राशि व्यय नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)140.89				
2501-06-101-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	65,730.00	51,380.46	51,380.46	0.00	₹14,349.54 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)14,349.54				
2501-06-101-0203 जिला ग्रमीण विकास अभिकरण प्रशासन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	800.00	31.16	31.16	0.00	₹768.84 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)768.84				
2501-06-101-0204 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,040.00	6,026.25	6,026.25	0.00	प्रावधान में ₹986.25 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 3,400.00 लाख की वृद्धि तथा ₹2,413.75 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) के अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर-वेतन के लिए आवश्यकता के कारण था। ₹ 2,413.75 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	986.25				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-101-0205 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	252.00	361.90	361.90	0.00	प्रावधान में ₹109.90 लाख की हुई वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) के अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर-वेतन के लिए आवश्यकता के कारण था।
	पुनर्वि०	109.90				
2501-06-101-0206 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)42.00				
2501-06-101-0303 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	20.77	20.77	0.00	₹479.23 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)479.23				
2501-06-101-0304 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	630.00	4,017.50	4,017.50	0.00	₹1,433.50 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	अनु०	4,821.00				
	पुनर्वि०	(-)1,433.50				
2501-06-101-0305 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	42.00	241.26	241.26	0.00	प्रावधान में ₹199.26 लाख की हुई वृद्धि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) के अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर-वेतन के लिए आवश्यकता के कारण था।
	पुनर्वि०	199.26				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-101-0306 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	42.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)42.00				
2501-06-789-0203 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,080.00	699.05	699.05	0.00	₹3,380.95 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)3,380.95				
2501-06-789-0204 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	204.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)204.00				
2501-06-789-0205 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)34.00				
2501-06-789-0304 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)34.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2501-06-789-0305 दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू- जीकेवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	34.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)34.00				
2501-06-796-0202 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	37,560.00	24,150.38	24,150.38	0.00	₹13,409.62 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)13,409.62				
2501-06-796-0203 राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (एनआरईटीपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,880.00	506.20	506.20	0.00	₹2,373.80 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,373.80				
2501-06-796-0204 स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	144.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)144.00				
2505-01-701-0102 मुख्यालय स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	466.34	466.34	0.00	₹133.66 लाख का प्रत्यर्पण पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण के कारण राशि व्यय नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)133.66				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2505-02-101-0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,20,000.00	1,36,961.83	1,36,961.83	0.00	₹83,038.17 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)83,038.17				
2505-02-101-0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	30,000.00	19,185.01	19,185.01	0.00	₹33,314.99 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	अनु०	22,500.00				
	पुनर्वि०	(-)33,314.99				
2515-00-001-0010 प्रखंड स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	44,858.02	37,805.06	37,795.43	(-)9.63	₹7,789.25 लाख का प्रत्यर्पण पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण के कारण राशि व्यय नहीं होनें के कारण था।
	अनु०	736.29				
	पुनर्वि०	(-)7,789.25				
2515-00-001-0110 जल-जीवन-हरियाली मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	1,069.00	170.00	170.00	0.00	₹899.00 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)899.00				
2515-00-003-0101 बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान (राज्य स्कीम)	मूल	231.00	1,500.00	1,500.00	0.00	प्रावधान में ₹ 1,268.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, बिहार के लिए अतिरिक्त राशि के कारण था।
	अनु०	1.00				
	पुनर्वि०	1,268.00				
2515-00-102-0218 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	8,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)8,000.00				

अनुदान संख्या- 42- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2515-00-102-0318 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)2,000.00				
2515-00-102-0517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	33,600.00	21,840.00	21,840.00	0.00	₹11,760.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)11,760.00				
2515-00-789-0510 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	13,920.00	9,048.00	9,048.00	0.00	₹4,872.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4,872.00				
2515-00-796-0517 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	480.00	312.00	312.00	0.00	₹168.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)168.00				
3451-00-090-0010 ग्रामीण विकास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,169.54	1,010.41	1,010.41	0.00	₹159.13 लाख का प्रत्यर्पण पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थानांतरण के कारण राशि व्यय नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)159.13				

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2216-03-105-0102 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	957.86	(+)957.86	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 957.86 लाख से अधिक है।
2216-03-105-0105 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	254.40	(+)254.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 254.40 लाख से अधिक है।
2515-00-102-0001 प्रखण्ड स्थापना (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	189.88	(+)189.88	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 189.88 लाख से अधिक है।

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹3,471.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹3,600.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹3,477.61 लाख), अंतिम बचत (₹3,471.11 लाख) से ₹6.50 लाख अधिक था।

(vii) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4515-00-103-0102 प्रखंड लघु निर्माण कार्य (राज्य स्कीम)	मूल	3,600.00	122.39	122.39	0.00	₹3,477.61 लाख का प्रत्यर्पण राशि स्वीकृत नहीं होनें के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)3,477.61				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2203 **तकनीकी शिक्षा**

3451 **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**3,70,73,90**	**4,32,89,97**	**3,50,25,85**	**(-)82,64,12**
अनुपूरक	**62,16,07**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**18,36,00**
19 दिसम्बर 2022	18,36,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4202 **शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**2,22,91,00**	**2,34,18,60**	**1,84,45,19**	**(-)49,73,41**
अनुपूरक	**11,27,60**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**5,62,60**
27 जून 2022	5,00,00			
19 दिसम्बर 2022	62,60			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹8,264.12 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹518.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹4,675.47 लाख) तथा मार्च 2023 (₹1,022.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹6,216.07 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹8,264.12 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹57.45 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹47.60 लाख के कारण, ₹9.85 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,836.00 लाख), अंतिम बचत (₹8,264.12 लाख) से ₹6,428.12 लाख कम था।

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-001-0001 तकनीकी शिक्षा निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	633.97	642.67	380.56	(-)262.11	प्रावधान में ₹ 8.70 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022-23 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन कार्यालय (निदेशालय) में निदेशक के कार्यालय व्यवहार हेतु निर्धारित दर पर भाड़े का वाहन हेतु भाड़े की गाड़ी का भुगतान के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	8.70				
2203-00-001-0107 अभियंत्रण विश्वविद्यालय- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,499.00	704.25	595.00	(-)109.25	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹624.75 लाख तथा ₹ 1,470.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	300.00				
	पुनर्वि०	(-)2,094.75				
2203-00-003-0101 शिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	378.07	(-)221.93	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2203-00-102-0001 पटना विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.01	500.01	425.60	(-)74.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-102-0002 बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	290.08	217.56	217.56	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹72.52 लाख की कमी विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के कुछ संस्थानों में अतिथि व्याख्याता के मानदेय भुगतान के कारण था। ₹45.00 लाख के प्रत्यर्पण नवस्थापित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के दैनिक कार्यालय कार्यों के संचालन के कारण था।
	अनु०	45.00				
	पुनर्वि०	(-)117.52				
2203-00-103-0001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	108.74	108.74	87.76	(-)20.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-105-0001 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	14,190.10	16,193.77	13,343.78	(-)2,849.99	प्रावधान में ₹68.57 लाख की हुई वृद्धि, ₹177.92 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 109.35 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹172.42 लाख की वृद्धि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के कुछ संस्थानों में अतिथि व्याख्याता के मानदेय एवं कार्यालय व्यय के भुगतान के कारण था। ₹ 5.50 लाख की वृद्धि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,935.10				
	पुनर्वि०	68.57				

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-105-0106 प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	1,000.75	909.15	(-)91.60	प्रावधान में ₹ 400.75 लाख की वृद्धि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों सहित बाढ़ एवं भागलपुर में स्थापित नये पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए आवश्यक पुस्तक के क्रय के कारण था। अंतिम बचत के कारण को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	400.75				
2203-00-105-0107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थाओं में सेंटर ऑफ ऐक्सेलेंस- सात निश्चय -2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,010.00	823.50	662.98	(-)160.52	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹252.50 लाख की कमी एवं ₹110.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	176.00				
	पुनर्वि०	(-)362.50				
2203-00-112-0001 स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	12,797.67	15,681.07	13,795.45	(-)1,885.62	प्रावधान में ₹26.70 लाख की हुई कमी, ₹88.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 114.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि संविदा सेवाएँ विषयशीर्ष के कारण था। कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,910.10				
	पुनर्वि०	(-)26.70				

अनुदान संख्या 43- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2203-00-112-0105 कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	286.00	3.50	0.00	(-)3.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹71.50 लाख की कमी एवं ₹ 211.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)282.50				
3451-00-090-0003 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	266.87	277.87	221.73	(-)56.14	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	11.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹4,973.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,127.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹4,973.41 लाख की अंतिम बचत ₹37.09 लाख से कम है।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹562.60 लाख), अंतिम बचत (₹4,973.41 लाख) से ₹4,410.81 लाख कम था।

अनुदान संख्या 43- क्रमांत

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4202-02-104-0109 पोलिटेकनिक (निश्चय) (राज्य स्कीम)	मूल	2,300.00	3,047.50	2,827.64	(-)219.86	प्रावधान में ₹ 747.50 लाख की वृद्धि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रारंभ किये जा रहे नये पाठयक्रम के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय के कारण था। अंतिम बचत के कारण को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	747.50				
4202-02-105-0107 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थाओं में सेंटर ऑफ ऐक्सेलेंस- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	7,490.00	5,242.50	2,700.00	(-)2,542.50	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,747.50 लाख की कमी एवं ₹ 500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,247.50				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2203	3,877.66	2,742.67	1,134.99
4202	1,653.57	1,586.84	66.73
कुल	**5,531.23**	**4,329.51**	**1,201.72**

अनुदान संख्या -44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2070 **अन्य प्रशासनिक सेवाएं**

2225 **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण**

2251 **सचिवालय- सामाजिक सेवाएं**

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**17,27,59,89**	**21,14,53,32**	**16,28,08,97**	**(-)4,86,44,35**
अनुपूरक	**3,86,93,43**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**66,71,95**
21 दिसम्बर 2022	40,00,00			
3 मार्च 2023	26,71,95			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4425 **सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय**

दत्तमत :

मूल	**2,00,00**	**2,00,00**	**0**	**(-)2,00,00**
अनुपूरक	**0**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹48,644.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹31,640.33 लाख), दिसम्बर 2022 (₹4,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹3,053.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹38,693.43 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹48,644.35 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹1,831.68 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹16.32 लाख के कारण, ₹ 1,815.36 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹6,671.95 लाख), अंतिम बचत (₹48,644.35 लाख) से ₹41,972.40 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2070-00-001-0106 अम्बेदकर फाउण्डेशन (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-01-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,593.74	7,734.74	6,554.49	(-)1,180.25	प्रावधान में ₹ 141.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	141.00				
2225-01-001-0003 राज्य अनुसूचित जाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	247.74	210.80	161.02	(-)49.78	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 36.94 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)36.94				
2225-01-001-0101 निदेशन और प्रशासन (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	52.92	(-)47.08	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-01-102-0101 परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	12.00	0.00	(-)12.00	₹38.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 688 दिनांक- 03.03.2023 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)38.00				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-102-0216 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,000.00	0.00	0.00	0.00	₹4,000.00 लाख के प्रत्यर्पण वित्त विभाग के पत्रांक -757 दिनांक 14.11.2022 एवं विभागीय पत्रांक - 4380, दिनांक-18.11.2022 द्वारा आंतरिक सामंजन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				
2225-01-198-0001 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-01-277-0002 छात्रावासों का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	909.29	1,637.36	1,260.05	(-)377.31	प्रावधान में ₹ 500.00 लाख की वृद्धि छात्रावासों के संधारण के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	228.07				
	पुनर्वि०	500.00				
2225-01-277-0003 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	16,157.95	15,759.51	13,902.72	(-)1,856.79	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 546.52 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	148.08				
	पुनर्वि०	(-)546.52				
2225-01-277-0011 छात्रवृत्तियां और वृतियां (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,300.00	1,300.00	1,161.11	(-)138.89	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	286.66	306.66	232.56	(-)74.10	प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि प्राक्-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत संविदा सेवायें ईकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	20.00				
2225-01-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	1,900.00	2,100.00	1,531.42	(-)568.58	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	200.00				
2225-01-277-0107 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	25,080.00	35,943.01	29,081.80	(-)6,861.21	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,863.01				
2225-01-277-0219 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	9,298.14	76.00	(-)9,222.14	₹2,338.86 लाख के प्रत्यर्पण विभागीय पत्रांक-601, दिनांक- 13.02.2023 के द्वारा आंतरिक सामंजन हेतु योजना एवं विकास विभाग में भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में था। ₹76.00 लाख के प्रत्यर्पण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक - K-14011/44/2022-SCD-V दिनांक-03.12.2022 के विमुक्त राशि के आलोक में था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,713.00				
	पुनर्वि०	(-)2,414.86				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-01-277-0222 अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,000.00	9,457.37	8,177.38	(-)1,279.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,457.37				
2225-01-277-0319 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,000.00	7,758.00	5,869.17	(-)1,888.83	₹50.67 लाख के प्रत्यर्पण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक - K-14011/44/2022-SCD-V दिनांक-03.12.2022 के विमुक्त राशि के आलोक में था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,808.67				
	पुनर्वि०	(-)50.67				
2225-01-789-0201 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	6,338.86	6,338.86	5,653.50	(-)685.36	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-01-793-0401 अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	मूल	10,000.00	10,000.00	2,828.59	(-)7,171.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-001-0001 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	51.68	81.20	81.20	0.00	प्रावधान में ₹ 29.52 लाख की वृद्धि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्तर्गत सहायक अनुदान- गैर-वेतन इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।
	पुनर्वि०	29.52				
2225-02-102-0201 अनुसूचित जनजातियों का बहुमुखी विकास- संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	1,001.01	(-)498.99	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-02-102-0202 अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-02-197-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	930.00	930.00	790.39	(-)139.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-02-198-0101 छात्रवृति/वजीफा (राज्य स्कीम)	मूल	2,850.00	2,850.00	2,420.57	(-)429.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-277-0003 लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	151.44	196.44	86.14	(-)110.30	प्रावधान में ₹ 45.00 लाख की वृद्धि लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	45.00				
2225-02-277-0004 आवासीय विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	3,254.72	3,078.72	2,648.41	(-)430.31	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 176.00 लाख की कमी सामग्री एवं पूर्तियां इकाई में सम्भावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)176.00				
2225-02-277-0101 शिक्षा (राज्य स्कीम)	मूल	7,505.00	10,860.26	6,396.34	(-)4,463.92	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹168.42 लाख की कमी योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 688, दिनांक-03.03.2023 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,523.68				
	पुनर्वि०	(-)168.42				
2225-02-277-0106 आवासीय विद्यालय (राज्य स्कीम)	मूल	400.00	568.42	402.65	(-)165.77	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	168.42				

अनुदान संख्या- 44- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2225-02-277-0216 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	2,222.32	639.53	(-)1,582.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,222.32				
2225-02-277-0217 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	905.00	1,198.69	0.00	(-)1,198.69	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	293.69				
2225-02-796-0125 थरूहट क्षेत्र विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,416.00	3,416.00	2,928.35	(-)487.65	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2225-02-796-0228 विशेष रूप से कमजोर जनजातिय समूहों के विकास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	400.00	400.00	0.00	(-)400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	557.80	589.80	486.08	(-)103.72	प्रावधान में ₹32.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 32.70 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.70 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, चिकित्सा भत्ता एवं अन्य भत्तों आदि के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। कमी सम्भावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	32.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹200.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹200.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4425-00-108-0164 बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 45- गन्ना उद्योग विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2401 फसल कृषि-कर्म

2852 उद्योग

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,20,04,11**	**1,21,09,07**	**32,12,98**	**(-)88,96,09**
अनुपूरक	**1,04,96**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹8,896.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹29.11 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 13.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹62.85 लाख) में प्राप्त किया गया ₹104.96 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹8,896.09 लाख की अंतिम बचत ₹79.62 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 45- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2401-00-108-0002 ईख की खेती (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,317.26	1,337.27	1,073.10	(-)264.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20.01				
2401-00-108-0109 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	3,320.00	3,320.00	1,377.60	(-)1,942.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-789-0108 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	640.00	640.00	56.30	(-)583.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2401-00-796-0129 ईख विकास (राज्य स्कीम)	मूल	40.00	40.00	10.93	(-)29.07	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2852-08-201-0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय-जिला (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	214.44	232.19	206.49	(-)25.70	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	17.75				
2852-08-201-0103 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	4,980.00	4,980.00	0.00	(-)4,980.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2852-08-789-0101 आर्थिक सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	960.00	960.00	0.00	(-)960.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2852-08-796-0102 आर्थिक सहायता (गन्ना उद्योग विभाग) (राज्य स्कीम)	मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 45- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0002 गन्ना उद्योग विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	186.24	232.44	199.68	(-)32.76	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	46.20				

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 46- पर्यटन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3452 पर्यटन

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**1,71,39,46**	**2,15,02,94**	**1,76,00,09**	**(-)39,02,85**
अनुपूरक	**43,63,48**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,55,00,00**	**1,70,00,00**	**1,10,20,05**	**(-)59,79,95**
अनुपूरक	**15,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**8,27,00**
2 मार्च 2023	8,27,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹3,902.85 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹49.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹1,515.48 लाख) तथा मार्च 2023 (₹2,799.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹4,363.48 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3452-01-190-0102 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	0.00	(-)600.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3452-80-001-0001 निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,959.20	2,359.20	1,969.58	(-)389.62	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	400.00				
3452-80-003-0101 बिहार कौशल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	28.83	(-)171.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3452-80-104-0103 पर्यटकीय विकास (राज्य स्कीम)	मूल	13,350.00	14,850.00	12,218.25	(-)2,631.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,500.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹5,979.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹1,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹5,979.95 लाख की अंतिम बचत, इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹33.04 लाख से अधिक है।

(v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹827.00 लाख), अंतिम बचत (₹5,979.95 लाख) से ₹5,152.95 लाख कम था।

(vi) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5452-01-101-0104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास (राज्य स्कीम)	मूल	15,500.00	16,173.00	11,020.05	(-)5,152.95	₹ 827.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,500.00				
	पुनर्वि०	(-)827.00				

अनुदान संख्या- 46- क्रमांत

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या -47- परिवहन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2041 वाहन कर

2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

3055 सड़क परिवहन

3075 अन्य परिवहन सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	3,62,17,97	4,12,17,98	2,29,83,61	(-)1,82,34,37
अनुपूरक	50,00,01			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	32,00,00	32,00,00	7,76,00	(-)24,24,00
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹18,234.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹5,000.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णत: अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹18,234.37 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹71.04 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹238.77 लाख के कारण, ₹167.73 लाख से अधिक है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2041-00-001-0001 राज्य परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	552.54	616.04	489.32	(-)126.72	प्रावधान में ₹8.50 लाख की वृद्धि संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹55.00 लाख की वृद्धि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण-सह-मोटरवाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, बिहार पटना के पुनरीक्षित वेतनादि के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	63.50				
2041-00-101-0001 प्रादेशिक परिवहन अधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	351.36	399.56	298.77	(-)100.79	प्रावधान में ₹ 48.20 लाख की वृद्धि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय के भुगतान हेतु अतिरित्त राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	48.20				

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2041-00-101-0002 मोटर वाहन पर नियंत्रण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	10,112.83	10,001.14	8,615.36	(-)1,385.78	प्रावधान में ₹111.70 लाख की हुई कमी, ₹391.64 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹503.34 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 28.43 लाख की वृद्धि वे-ब्रीज के मरम्मत के कारण था। ₹ 363.21 लाख की वृद्धि प्रवर्तन तंत्र के कर्मियों के वेतनादि के भुगतान के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 503.34 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)111.70				
2041-00-101-0003 बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,480.00	1,480.00	615.37	(-)864.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2041-00-101-0005 सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्ति का अंशदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,907.01	1,907.01	763.78	(-)1,143.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2041-00-102-0001 वाहनों का निरीक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	428.47	428.47	334.76	(-)93.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2052-00-090-0035 परिवहन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	335.69	335.69	198.35	(-)137.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -47- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-200-0121 बिहार वाहन दुर्घटना सहायता (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	10,000.00	5,186.00	(-)4,814.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,000.00				
3055-00-190-0104 बिहार स्वच्छ ईंधन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	16.40	(-)1,483.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3055-00-199-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,500.00	4,500.00	1,162.12	(-)3,337.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3055-00-789-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	5,500.00	5,500.00	1,193.57	(-)4,306.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
3055-00-796-0101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	59.80	(-)440.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹2,424.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, ₹3,200.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹ 2,424.00 लाख की अंतिम बचत, इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹27.59 लाख से अधिक है।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5055-00-051-0101 जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	76.00	76.00	0.00	(-)76.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या -47- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
5055-00-051-0103 वे-ब्रीज का निर्माण (धर्मकांटा) (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	290.44	(-)309.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5055-00-051-0104 बस स्टॉप का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	952.00	952.00	276.12	(-)675.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5055-00-051-0105 ड्राईविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	172.43	(-)1,327.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
5055-00-051-0106 ट्रैफिक पार्क का निर्माण (राज्य स्कीम)	मूल	35.00	35.00	0.00	(-)35.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 48- नगर विकास एवं आवास विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2015 निर्वाचन

2215 जलापूर्ति तथा सफाई

2217 शहरी विकास

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**80,25,94,09**	**99,76,40,64**	**55,82,06,08**	**(-)43,94,34,56**
अनुपूरक	**19,50,46,55**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**14,51,79,04**
12 अक्टुबर 2022	62,18,00			
15 फरवरी 2023	4			
3 मार्च 2023	1,10,00,00			
17 मार्च 2023	12,79,61,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

5075 अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**1,50,00,00**	**9,64,00,00**	**9,64,00,00**	**0**
अनुपूरक	**8,14,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹4,39,434.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹29.51 लाख), दिसम्बर 2022 (₹43,608.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹1,51,409.04 लाख) में प्राप्त किया गया ₹1,95,046.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹4,39,434.56 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹1,734.71 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹11.44 लाख के कारण, ₹1,723.27 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹1,45,179.04 लाख), अंतिम बचत (₹4,39,434.56 लाख) से ₹2,94,255.52 लाख से कम था।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2015-00-109-0001 नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	4,000.00	10,218.00	7,962.95	(-)2,255.05	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	6,218.00				
2215-01-191-0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.01	10,000.01	0.00	(-)10,000.01	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,000.00				
2215-01-191-0106 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	750.00	750.00	200.00	(-)550.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-192-0103 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	875.00	875.00	305.00	(-)570.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-193-0102 जल-जीवन-हरियाली (राज्य स्कीम)	मूल	875.00	875.00	385.00	(-)490.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-789-0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-789-0102 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	49.96	49.96	0.00	(-)49.96	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-01-789-0103 पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	3,999.99	3,999.99	603.50	(-)3,396.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-796-0102 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-01-796-0103 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	600.00	600.00	389.49	(-)210.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-105-0101 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	24,800.00	991.00	0.00	(-)991.00	₹23,809.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)23,809.00				
2215-02-107-0101 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	9,800.00	2,800.00	0.00	(-)2,800.00	₹7,000.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)7,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-191-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	395.00	395.00	0.00	(-)395.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-192-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-193-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-789-0101 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	26,105.00	26,105.00	8,580.20	(-)17,524.80	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-789-0103 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-789-0104 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-796-0105 स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2215-02-796-0106 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-001-0002 पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	854.92	854.92	0.00	(-)854.92	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-051-0101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	800.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹750.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)750.00				
2217-01-051-0102 मोक्ष धाम का निर्माण- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	5,000.00	3,800.00	0.00	(-)3,800.00	₹1,200.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,200.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-01-051-0301 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (पटना) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	11,300.01	11,300.01	5,700.00	(-)5,600.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-191-0109 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	6,000.00	197.76	(-)5,802.24	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-191-0110 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	222.04	(-)277.96	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-191-0115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-191-0116 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधाऐं (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	264.80	(-)1,235.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-01-191-0124 विशेष स्वच्छता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,300.00	2,300.00	1,721.29	(-)578.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	1,000.00	56.63	(-)943.37	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,800.00	4,800.00	0.00	(-)4,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-789-0305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,400.00	1,400.00	0.00	(-)1,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-796-0201 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	275.00	275.00	0.00	(-)275.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-01-796-0301 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-001-0001 शहरी क्षेत्र आयोजन प्राधिकार (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,037.77	2,037.77	25.74	(-)2,012.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-051-0101 शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,700.00	50.00	0.00	(-)50.00	₹2,650.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,650.00				
2217-03-051-0102 मोक्ष धाम का निर्माण- सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	9,500.00	7,200.00	0.00	(-)7,200.00	₹2,300.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)2,300.00				
2217-03-051-0201 स्वच्छ भारत अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	19,010.00	14,010.00	858.00	(-)13,152.00	₹5,000.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)5,000.00				
2217-03-051-0202 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	48,000.00	20,000.00	2,860.00	(-)17,140.00	₹28,000.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)28,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	19,700.00	19,700.00	17,348.52	(-)2,351.48	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-051-0204 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	42,000.00	32,199.98	9,800.00	(-)22,399.98	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9,800.00 लाख की कमी सहायक अनुदान की परिसम्पत्तियों के निर्माण मद के बचत के कारण था। ₹ 0.02 लाख के प्रत्यर्पण स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत टोकन मनी (केन्द्रांश) के रूप मे BCF से अग्रिम के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)9,800.02				
2217-03-051-0206 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	9,800.01	14,700.01	4,900.00	(-)9,800.01	प्रावधान में ₹ 4,900.00 लाख की वृद्धि स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर) के अन्तर्गत सहायक अनुदान की परिसम्पत्तियों का निर्माण मद में राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	4,900.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0207 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (बिहार शरीफ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	5,300.00	5,300.00	0.00	(-)5,300.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-051-0301 स्वच्छ भारत अभियान (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	10,000.00	6,000.00	572.00	(-)5,428.00	₹4,000.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				
2217-03-051-0302 शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमरूत) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,600.00	2,200.00	0.00	(-)2,200.00	₹3,400.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,400.00				
2217-03-051-0303 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,800.00	5,899.98	5,899.98	0.00	₹1,900.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। ₹ 0.02 लाख के प्रत्यर्पण स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत टोकन मनी (राज्यांश) के रूप मे BCF से अग्रिम के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,900.02				
2217-03-051-0304 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,000.00	24,900.00	20,000.00	(-)4,900.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	4,900.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-051-0306 स्मार्ट सिटी मिशन योजना (भागलपुर) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	14,800.01	14,800.01	4,900.00	(-)9,900.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-191-0102 नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	280.00	280.00	0.00	(-)280.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-191-0113 भू-अर्जन (राज्य स्कीम)	मूल	22,500.00	8,500.00	5,975.75	(-)2,524.25	₹14,000.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)14,000.00				
2217-03-192-0102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	685.00	685.00	45.00	(-)640.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-192-0105 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,250.00	1,250.00	512.36	(-)737.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-192-0106 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	800.00	787.09	(-)12.91	₹1,200.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,200.00				
2217-03-192-0114 विशेष स्वच्छता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	2,000.00	60.00	(-)1,940.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-193-0012 नगरपालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	692.64	692.64	575.86	(-)116.78	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-193-0101 नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण-जीर्णोद्धार हेतु सहायक (राज्य स्कीम)	मूल	99.98	99.98	0.00	(-)99.98	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-193-0102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-193-0103 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	70.00	70.00	(-)50.27	(-)120.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-193-0104 नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,250.00	1,250.00	231.77	(-)1,018.23	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-193-0105 शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित (राज्य स्कीम)	मूल	1,500.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹1,400.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,400.00				
2217-03-193-0113 विशेष स्वच्छता अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,700.00	1,700.00	0.00	(-)1,700.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-789-0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	4,500.00	4,500.00	1,109.25	(-)3,390.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-789-0205 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	14,400.00	14,400.00	0.00	(-)14,400.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-03-789-0305 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,900.00	2,900.00	0.00	(-)2,900.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-796-0101 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	930.00	930.00	0.00	(-)930.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-03-796-0203 सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	825.00	825.00	627.00	(-)198.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-05-001-0008 एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	11,524.42	11,389.43	5,709.46	(-)5,679.97	प्रावधान में ₹ 135.00 लाख की हुई कमी, ₹339.99 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹474.99 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भाड़े की गाड़ी का भुगतान तथा यात्रा व्यय के लिए राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.01				
	पुनर्वि०	(-)135.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-05-001-0101 ई-गवर्नेंस/नगरीय सुधार कार्यक्रमों एवं इसके समतुल्य कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	300.00	250.00	(-)50.00	₹1,700.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,700.00				
2217-05-001-0102 योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्य-वेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-05-001-0104 निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	200.00	200.00	130.00	(-)70.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-05-001-0107 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	1,000.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹900.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)900.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-001-0004 नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	55.43	75.93	24.30	(-)51.63	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	20.50				
2217-80-001-0005 भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,024.06	1,024.06	0.00	(-)1,024.06	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-001-0006 नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	229.70	231.70	116.55	(-)115.15	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2.00				
2217-80-001-0007 भू संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (आरईएटी) (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	366.23	366.23	235.84	(-)130.39	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-001-0008 नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	58.24	60.24	28.68	(-)31.56	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2.00				
2217-80-001-0501 बिहार नगरीय विकास परियोजना- बाह्य संपोषित (राज्य स्कीम)	मूल	35,000.00	0.00	0.00	0.00	₹31,891.00 लाख के प्रत्यर्पण ADB का लोन अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप संभावित बचत के कारण था। ₹3,109.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)35,000.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-191-0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	92,076.00	85,321.30	63,469.60	(-)21,851.70	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,754.70 लाख की कमी सहायक अनुदान गैर-वेतन की बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6,754.70				
2217-80-191-0013 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	78,545.48	80,314.72	80,314.72	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 11,368.40 लाख की कमी सहायक अनुदान के वेतन, चिकित्सा भत्ता यात्रा भत्ता इत्यादि के बचत के कारण था।
	अनु०	13,137.64				
	पुनर्वि०	(-)11,368.40				
2217-80-191-0015 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	190.33	190.33	106.69	(-)83.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-191-0017 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	9,500.08	9,500.08	0.00	(-)9,500.08	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-192-0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदो को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	57,644.20	74,092.52	74,092.50	(-)0.02	प्रावधान में ₹ 8,224.16 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान गैर वेतन में राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹8,224.16 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	16,448.32				
2217-80-192-0005 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	53,801.20	74,246.14	57,371.03	(-)16,875.11	प्रावधान में ₹ 4,149.98 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान के वेतन में राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹4,149.98 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण में राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	12,144.98				
	पुनर्वि०	8,299.96				
2217-80-192-0008 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	464.63	464.63	182.46	(-)282.17	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-192-0009 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,725.01	2,725.01	1,966.13	(-)758.88	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-192-0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में छावनी परिषद को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	269.80	378.68	378.68	0.00	प्रावधान में ₹ 54.44 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान गैर वेतन में राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹54.44 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए राशि की आवश्यकता के कारण था।
	पुनर्वि०	108.88				
2217-80-192-0011 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदो को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	7,963.24	7,963.24	0.00	(-)7,963.24	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-192-0012 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में छावनी परिषद को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	56.32	56.32	0.00	(-)56.32	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2217-80-193-0001 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतो को प्राथमिक कार्यो के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	39,210.00	29,407.50	17,294.22	(-)12,113.28	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,901.25 लाख की कमी सहायक अनुदान गैर-वेतन में राशि की बचत के कारण था और प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,901.25 लाख की शेष कमी सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण में राशि की बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)9,802.50				
2217-80-193-0007 नगर प्रबंधकों हेतु (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	439.44	439.44	20.31	(-)419.13	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-193-0008 पेशाकर के आलोक में अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,706.48	1,706.48	1,389.97	(-)316.51	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2217-80-193-0009 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र कार्यों के लिए सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	5,343.36	5,343.36	0.00	(-)5,343.36	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-104-0112 मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना सात निश्चय- 2 (राज्य स्कीम)	मूल	2,000.00	30.00	0.00	(-)30.00	₹1,970.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,970.00				
2251-00-090-0005 नगर विकास एवं आवास विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,378.90	1,612.90	1,290.10	(-)322.80	प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय में राशि की आवश्यकता के कारण था। प्रावधान में ₹105.00 लाख की वृद्धि विधि प्रभार में राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	99.00				
	पुनर्वि०	135.00				
3475-00-108-0202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,125.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹4,100.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)4,100.00				

अनुदान संख्या- 48- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3475-00-108-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,381.97	81.97	0.00	(-)81.97	₹1,300.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,300.00				
3475-00-789-0202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,200.00	100.00	0.00	(-)100.00	₹3,100.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,100.00				
3475-00-789-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	468.00	68.00	0.00	(-)68.00	₹400.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)400.00				
3475-00-796-0202 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	175.00	75.00	0.00	(-)75.00	₹100.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)100.00				
3475-00-796-0302 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	150.00	150.00	69.56	(-)80.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 48- क्रमांत

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2215-02-800-0102 नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सहायक अनुदान (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	50.00	(+)50.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹50.00 लाख से अधिक है।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 49- जल संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

2700 मुख्य सिंचाई

2701 मध्यम सिंचाई

2705 कमान क्षेत्र विकास

2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**11,17,08,79**	**12,43,94,51**	**11,43,93,96**	**(-)1,00,00,55**
अनुपूरक	**1,26,85,72**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**31,93,48,00**	**34,86,61,50**	**21,92,25,33**	**(-)12,94,36,17**
अनुपूरक	**2,93,13,50**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹10,000.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹1,500.00 लाख), दिसम्बर 2022 (₹10,215.72 लाख) तथा मार्च 2023 (₹970.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹12,685.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹10,000.55 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹7,483.79 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹6,531.10 लाख के कारण, ₹952.69 लाख से कम है।

(ii) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2700-04-101-0003 गंगाजल आपूर्ति योजना का रख-रखाव (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	अनु०	1,910.00	1,910.00	1,207.97	(-)702.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2700-80-190-0001 जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान को सहायक अनुदान (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,101.79	1,101.79	391.00	(-)710.79	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2705-00-001-0204 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2705-00-001-0304 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,415.00	3,415.00	2,423.29	(-)991.71	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹1,29,436.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹20,313.50 लाख), दिसम्बर 2022 (₹6,000.00 लाख) तथा मार्च 2023 (₹3,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹29,313.50 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹1,29,436.17 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹22,828.83 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹39,965.18 लाख के कारण, ₹17,136.35 लाख से अधिक है।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-005-0101 सर्वेक्षण और खोज (स्थापना) (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	300.25	(-)199.75	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4700-80-051-0102 नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	9.89	(-)490.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4700-80-051-0104 सिंचाई सृजन परियोजनायें (कार्य) (नार्बाड संपोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	74,400.00	55,900.00	30,745.43	(-)25,154.57	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)18,500.00				
4700-80-051-0106 हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	8,300.00	8,300.00	5,174.70	(-)3,125.30	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4700-80-051-0207 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,063.00	6,466.75	3,115.34	(-)3,351.41	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,403.75				
4700-80-051-0309 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,669.00	13,878.75	7,627.55	(-)6,251.20	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	7,209.75				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4700-80-051-0310 उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नाबार्ड एल टी आई एफ) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-)1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4700-80-789-0102 सिंचाई सृजन परियोजनायें (राज्य स्कीम)	मूल	26,822.00	26,822.00	23,362.51	(-)3,459.49	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4700-80-789-0103 हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	1,600.00	686.67	(-)913.33	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4700-80-796-0101 हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	100.00	69.68	(-)30.32	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4711-01-051-0110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	8,400.00	20,400.00	18,543.60	(-)1,856.40	प्रावधान में ₹ 7,000.00 लाख की वृद्धि बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) के मुख्य निर्माण कार्य में राशियों की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,000.00				
	पुनर्वि०	7,000.00				

अनुदान संख्या- 49- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4711-01-051-0111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना) (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	4,500.00	1,663.05	(-)2,836.95	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,500.00				
4711-01-051-0209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	72,800.00	72,800.00	47,697.45	(-)25,102.55	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4711-01-051-0212 सीमा क्षेत्र मे नदी प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	16,500.00	16,500.00	5,054.56	(-)11,445.44	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4711-01-051-0309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	18,416.00	18,416.00	516.60	(-)17,899.40	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 49- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4711-01-789-0104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	23,300.00	26,300.00	22,467.02	(-)3,832.98	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	3,000.00				
4711-01-796-0101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें (कार्य) (राज्य स्कीम)	मूल	3,133.00	3,133.00	1,948.58	(-)1,184.42	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

अनुदान संख्या- 50- लघु जल संसाधन विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2702 लघु सिंचाई

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**2,27,67,70**	**2,31,07,52**	**1,84,13,01**	**(-)46,94,51**
अनुपूरक	**3,39,82**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**3,00,00**
22 दिसम्बर 2022	3,00,00			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**7,95,87,00**	**9,95,87,00**	**4,60,15,87**	**(-)5,35,71,13**
अनुपूरक	**2,00,00,00**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**0**

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹4,694.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹11.00 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹328.82 लाख) में प्राप्त किया गया ₹339.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹4,694.51 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹329.17 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹2.78 लाख के कारण, ₹326.39 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹300.00 लाख), अंतिम बचत (₹4,694.51 लाख) से ₹4,394.51 लाख कम था।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

(iii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2702-02-005-0001 सर्वेक्षण और जाँच (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	17,351.68	17,909.18	14,684.38	(-)3,224.80	प्रावधान में ₹257.50 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 338.91 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 81.41 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	300.00				
	पुनर्वि०	257.50				
2702-02-005-0002 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2702-02-005-0101 सर्वेक्षण और जाँच (राज्य स्कीम)	मूल	83.00	83.00	0.00	(-)83.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2702-02-005-0105 बिहार भू-जल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	166.00	166.00	20.00	(-)146.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2702-02-016-0101 बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना (राज्य स्कीम)	मूल	249.00	249.00	211.65	(-)37.35	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2702-02-789-0103 बिहार भू-जल विकास मिशन (राज्य स्कीम)	मूल	32.00	32.00	0.00	(-)32.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2702-03-101-0001 कार्यभारित व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	34.90	34.90	6.61	(-)28.29	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2702-03-101-0002 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	56.25	27.17	(-)29.08	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18.75 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)18.75				
2702-03-102-0005 अन्य रखरखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	75.00	56.25	0.00	(-)56.25	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18.75 लाख की कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)18.75				
2702-03-103-0002 राजकीय नलकूप (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	200.00	200.00	6.57	(-)193.43	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2702-03-103-0007 अन्य रख रखाव व्यय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	500.00	200.00	0.00	(-)200.00	₹300.00 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)300.00				

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
3451-00-090-0030 लघु जल संसाधन विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	1,231.12	1,050.94	727.88	(-)323.06	प्रावधान में ₹ 220.00 लाख की हुई कमी, ₹0.30 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 220.30 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	39.82				
	पुनर्वि०	(-)220.00				

पूँजी (दत्तमत)

(iv) ₹53,571.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹20,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था। ₹ 53,571.13 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹11.34 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹9,182.05 लाख के कारण, ₹9,170.71 लाख से अधिक है।

(v) बचत के किसी भाग को वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं किया गया।

(vi) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-101-0101 लघु सिंचाई (राज्य स्कीम)	मूल	2,147.00	2,147.00	510.39	(-)1,636.61	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4702-00-101-0106 हर खेत तक सिंचाई का पानी - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	8,300.00	16,600.00	11,011.62	(-)5,588.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8,300.00				
4702-00-101-0205 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	20,750.00	20,750.00	730.89	(-)20,019.11	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-101-0305 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,660.00	1,660.00	477.46	(-)1,182.54	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4702-00-102-0102 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	1,660.00	2,905.00	2,457.38	(-)447.62	प्रावधान में ₹ 1,245.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	1,245.00				
4702-00-102-0107 जल-जीवन-हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	31,540.00	38,595.00	24,157.98	(-)14,437.02	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,245.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8,300.00				
	पुनर्वि०	(-)1,245.00				
4702-00-789-0101 लघु सिंचाई योजना (राज्य स्कीम)	मूल	414.00	414.00	75.96	(-)338.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4702-00-789-0104 नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण (राज्य स्कीम)	मूल	320.00	560.00	389.76	(-)170.24	प्रावधान में ₹ 240.00 लाख की वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	240.00				

अनुदान संख्या- 50- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-789-0105 जल-जीवन-हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	6,080.00	7,440.00	3,969.52	(-)3,470.48	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹240.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,600.00				
	पुनर्वि०	(-)240.00				
4702-00-789-0106 हर खेत तक सिंचाई का पानी - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	3,200.00	1,788.73	(-)1,411.27	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,600.00				
4702-00-789-0205 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	4,000.00	4,000.00	137.96	(-)3,862.04	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4702-00-789-0305 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	320.00	320.00	91.97	(-)228.03	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
4702-00-796-0106 जल-जीवन-हरियाली (नाबार्ड संपोषित) (राज्य स्कीम)	मूल	380.00	465.00	135.97	(-)329.03	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹15.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	100.00				
	पुनर्वि०	(-)15.00				

अनुदान संख्या- 50- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4702-00-796-0107 हर खेत तक सिंचाई का पानी - सात निश्चय-2 (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	200.00	53.43	(-)146.57	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	100.00				
4702-00-796-0206 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	250.00	250.00	8.62	(-)241.38	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
2702	77.57	56.33	21.24
3451	2.11	2.11	0.00
4702	2,017.65	2,003.25	14.40
कुल	**2,097.33**	**2,061.69**	**35.64**

अनुदान संख्या- 51- समाज कल्याण विभाग

(सभी दत्तमत)

राजस्व-

मुख्य शीर्ष

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236 पोषण

2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएं

दत्तमत :

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)
		(₹ हजार में)		
मूल	**81,89,07,90**	**1,32,83,00,35**	**1,10,06,80,04**	**(-)22,76,20,31**
अनुपूरक	**50,93,92,45**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**24,53,49,31**
27 जून 2022	2,03,25,87			
19 दिसम्बर 2022	6,57,07,06			
6 मार्च 2023	5,48,65,01			
23 मार्च 2023	1,57,49,61			
28 मार्च 2023	8,79,71,37			
31 मार्च 2023	7,30,39			

पूँजी-

मुख्य शीर्ष

4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	**12,05,03**	**2,05,02,75**	**1,85,85,48**	**(-)19,17,27**
अनुपूरक	**1,92,97,72**			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				**5,00**
31 मार्च 2023	5,00			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व (दत्तमत)

(i) ₹2,27,620.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹3,17,657.07 लाख), दिसम्बर 2022 (₹66,909.40 लाख) तथा मार्च 2023 (₹1,24,825.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹5,09,392.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। ₹2,27,620.31 लाख की अंतिम बचत, पिछले वर्षों से संबंधित ₹48,779.45 लाख के ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन और इस वर्ष ओ0बी0 सस्पेंस में रखे गए ₹25.35 लाख के कारण, ₹48,754.10 लाख से कम है।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹2,45,349.31 लाख), अंतिम बचत (₹2,27,620.31 लाख) से ₹17,729.00 लाख अधिक था।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

(iii) बचत (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-001-0001 निदेशन और प्रशासन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	246.61	244.11	197.16	(-)46.95	प्रावधान में ₹3.00 लाख की हुई कमी, ₹ 3.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त उपबन्ध के कारण था। कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.50				
	पुनर्वि०	(-)3.00				
2235-02-101-0001 नेत्रहीन विद्यालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	169.48	169.48	148.18	(-)21.30	₹5.60 लाख के प्रत्यर्पण राजकीय नेत्रहीन विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भोजनादि तथा संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु तथा वेतन हेतु तृतीय अनुपूरक से राशि प्राप्त करने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5.60				
	पुनर्वि०	(-)5.60				
2235-02-101-0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	209.51	209.51	176.85	(-)32.66	₹14.53 लाख के प्रत्यर्पण राजकीय मूक-बधिर विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भोजनादि तथा संविदा कर्मियों के बकाये मानदेय भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	14.53				
	पुनर्वि०	(-)14.53				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-101-0022 दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	553.77	553.77	373.26	(-)180.51	प्रावधान में ₹8.00 लाख की हुई कमी, ₹0.50 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.50 लाख एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 8.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। पुनर्विनियोग द्वारा कमी संभावित बचत के कारण था। ₹3.00 लाख के प्रत्यर्पण प्रशिक्षण व्यय मद में पुनर्विनियोग के लिए राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹ 5.00 लाख के प्रत्यर्पण कार्यालय मद में राशि की राशि की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	8.00				
	पुनर्वि०	(-)8.00				
2235-02-101-0223 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,800.00	1,800.00	0.00	(-)1,800.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-101-0323 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्कीम (सीपडा) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	95.00	95.00	0.00	(-)95.00	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0105 समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेशन सिस्टम हेतु (राज्य स्कीम)	मूल	2,200.00	1,995.00	1,930.38	(-)64.62	₹30.00 लाख के प्रत्यर्पण लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण तथा ₹ 175.00 लाख के प्रत्यर्पण समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-867, दिनांक 15.02.2023 के क्रम में योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1075 दिनांक-20.02.2023 के क्रम में किया गया है। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)205.00				
2235-02-102-0116 परवरिश (राज्य स्कीम)	मूल	1,600.00	800.00	800.00	0.00	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 28.00 लाख की हुई कमी संभावित बचत के कारण था। ₹ 772.00 लाख के प्रत्यर्पण समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-877, दिनांक 15.02.2023 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)800.00				
2235-02-102-0121 बाल सहायता योजना (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक-1075, दिनांक 20.02.2023 के आलोक में किया गया।
	पुनर्वि०	(-)50.00				
2235-02-102-0122 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (राज्य स्कीम)	अनु०	4,471.38	3,969.38	3,508.77	(-)460.61	₹2.00 लाख के प्रत्यर्पण चिकित्सा भत्ता में अतिरिक्त उद्व्यय प्राप्त करने के कारण था। ₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1075, दिनांक 20.02.2023 के क्रम में किया गया। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)502.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0225 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई.एस.एस.एन.आई. पी. सहित) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	23,066.34	14,863.27	9,455.80	(-)5,407.47	₹501.79 लाख के प्रत्यर्पण मजदूरी शीर्ष में अतिरिक्त उद्व्यय के कारण था। ₹ 4,054.70 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के पत्र सख्या-4395, दिनांक 30.09.2022 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹ 110.93 लाख के प्रत्यर्पण मजदूरी/मानदेय शीर्ष में अतिरिक्त उद्व्यय के लिए आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹ 4,148.37 लाख के प्रत्यर्पण वित्त विभाग के पत्रांक-625, दिनांक 12.09.2022 की कंडीका-29.5 के क्रम मे भारत सरकार से केद्रांश-राज्यांश में पूर्व में निर्धारित अनुपात 80:20 के स्थान पर 60:40 करने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	612.72				
	पुनर्वि०	(-)8,815.79				
2235-02-102-0325 राष्ट्रीय पोषाहार मिशन (आई.एस.एस.एन.आई. पी. सहित) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,066.58	6,589.72	2,607.70	(-)3,982.02	₹307.96 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार के केद्रांश-राज्यांश में पूर्व में निर्धारित अनुपात 80:20 के स्थान पर 60:40 करने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹1,405.07 लाख के प्रत्यर्पण मजदूरी/मानदेय, आँगनबाड़ी सेवाएँ के संविदा सेवाएँ इत्यादि में अतिरिक्त उद्व्यय की आवश्यकता के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	5,236.17				
	पुनर्वि०	(-)1,713.03				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0327 आंगनबाड़ी सेवायें (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	25,880.77	36,542.75	35,983.71	(-)559.04	₹614.48 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग का पत्र संख्या-4395, दिनांक 30.09.2022 के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना में अतिरिक्त उद्व्यय के कारण था। ₹146.00 लाख के प्रत्यर्पण कार्यालय व्यय एवं विद्युत प्रभार में अतिरिक्त उद्व्यय की आवश्यकता के कारण था। ₹17,039.47 लाख के प्रत्यर्पण कर्मियों एवं लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण तथा मशीनें उपस्कर मद में उच्च स्तरीय अनुमोदन अप्राप्त रहने तथा कतिपय मद में दर कम होने के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	28,461.93				
	पुनर्वि०	(-)17,799.95				
2235-02-103-0003 बिहार राज्य महिला आयोग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	518.60	518.60	0.00	(-)518.60	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0110 नारी शक्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	3,700.00	2,850.00	1,221.00	(-)1,629.00	₹850.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक-4702, दिनांक 26.10.2020 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)850.00				
2235-02-103-0111 कन्या सुरक्षा योजना (राज्य स्कीम)	मूल	4,400.00	6,700.70	6,700.70	0.00	प्रावधान में ₹ 1,600.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान-गैर-वेतन में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था।
	अनु०	700.70				
	पुनर्वि०	1,600.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-103-0230 मिशन शक्ति (संबल) - वन स्टॉप सेंटर (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,479.97	1,479.97	0.00	(-)1,479.97	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0231 मिशन शक्ति (संबल) - बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,290.01	1,290.01	660.00	(-)630.01	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0232 मिशन शक्ति (संबल) - महिला हेल्पलाईन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	380.63	380.63	0.00	(-)380.63	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0233 मिशन शक्ति (संबल) - नारी अदालत (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	293.49	293.49	0.00	(-)293.49	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0234 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - शक्ति सदन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	417.85	417.85	0.00	(-)417.85	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0235 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - सखी निवास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	117.70	117.70	0.00	(-)117.70	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-103-0237 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पांवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्ल्यू) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	337.44	337.44	292.98	(-)44.46	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0330 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - शक्ति सदन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	278.57	278.57	0.00	(-)278.57	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0331 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - सखी निवास (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	78.48	78.48	0.00	(-)78.48	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-103-0333 मिशन शक्ति (सामर्थ्य) - डिस्ट्रीक्ट हब्स फॉर इम्पांवरमेंट ऑफ वुमेन (डीएचईडब्ल्यू) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	224.96	224.96	195.32	(-)29.64	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-104-0001 राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम गृह (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	185.19	204.19	177.78	(-)26.41	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी संभावित बचत के कारण था। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	24.00				
	पुनर्वि०	(-)5.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-104-0201 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.एस. आर.सी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	25.00	0.00	(-)25.00	₹975.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)975.00				
2235-02-106-0008 बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	165.04	141.08	103.11	(-)37.97	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 24.50 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	0.54				
	पुनर्वि०	(-)24.50				
2235-02-106-0106 बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (राज्य स्कीम)	मूल	1,735.00	1,735.00	1,300.40	(-)434.60	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-106-0107 बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (राज्य स्कीम)	मूल	333.44	185.04	185.04	0.00	₹148.40 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक-1075, दिनांक-20.02.2023 के आलोक में किया गया।
	पुनर्वि०	(-)148.40				
2235-02-200-0108 बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड (राज्य स्कीम)	मूल	50.00	50.00	21.82	(-)28.18	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2235-02-200-0201 मादक द्रव्य के रोकथाम एवं नशा विमुक्ति हेतु राष्ट्रीय नीति (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,000.00	25.00	19.47	(-)5.53	₹975.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)975.00				
2235-02-789-0108 मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना (राज्य स्कीम)	मूल	2,800.00	2,800.00	924.00	(-)1,876.00	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-796-0123 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (राज्य स्कीम)	मूल	674.00	143.80	143.80	0.00	₹530.20 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग, पटना के पत्रांक-1075, दिनांक-20.02.2023 के आलोक में किया गया।
	पुनर्वि०	(-)530.20				
2235-03-101-0301 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	27,400.00	85,361.59	81,861.59	(-)3,500.00	₹20,060.53 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	78,022.12				
	पुनर्वि०	(-)20,060.53				
2235-03-102-0203 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,200.00	3,500.00	2,511.81	(-)988.19	₹3,700.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)3,700.00				
2235-03-789-0202 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	7,500.00	6,034.49	6,034.49	0.00	₹1,465.51 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से विमुक्त राशि से प्रावधानित बजट में बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)1,465.51				
2235-03-796-0203 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	5,300.00	1,260.00	1,260.00	0.00	₹4,040.00 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से विमुक्त राशि से प्रावधानित बजट में बचत के कारण था।
	पुनर्वि०	(-)4,040.00				
2235-60-001-0001 वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	2,759.00	2,759.00	1,514.28	(-)1,244.72	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
2251-00-090-0015 समाज कल्याण विभाग (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	543.77	608.77	541.43	(-)67.34	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	65.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

(iv) अधिक व्यय (₹25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0103 समेकित बाल विकास योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	47.31	(+)47.31	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 47.31 लाख से अधिक है।
2235-02-102-0222 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	81,946.85	77,119.57	77,460.89	(+)341.32	₹10,325.87 लाख के प्रत्यर्पण प्रकाशन एवं मुद्रण, प्रशिक्षण व्यय, विज्ञापन और प्रकाशन इत्यादि में अतिरिक्त उपबन्ध की आवश्यकता के कारण था। ₹2,051.79 लाख के प्रत्यर्पण संविदा सेवाएँ तथा सहायक अनुदान-वेतन में अतिरिक्त उपबंध की आवश्यकता के कारण था। ₹ 5,023.01 लाख के प्रत्यर्पण समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-867, दिनांक 15.02.2023 के के आलोक में किया गया था। ₹182.00 लाख के प्रत्यर्पण,भाड़े की गााड़ी का भुगतान मद में भारत सरकार से निर्धारित सीमा के कारण एवं प्रशिक्षण मद में राशि अप्राप्त रहने के कारण अतिरिक्त बजट उपबंध के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 341.32 लाख से अधिक है।
	अनु०	12,755.39				
	पुनर्वि०	(-)17,582.67				
2235-02-102-0224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.82	898.94	904.93	(+)5.99	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 5.99 लाख से अधिक है। ₹1,126.84 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	2,024.96				
	पुनर्वि०	(-)1,126.84				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-02-102-0324 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.56	639.22	692.27	(+)53.05	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 53.05 लाख से अधिक है। ₹544.43 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,183.09				
	पुनर्वि०	(-)544.43				
2235-02-102-0602 समेकित बाल विकास योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	276.33	(+)276.33	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 276.33 लाख से अधिक है।
2235-02-103-0225 मातृत्व लाभ योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,934.29	1,039.00	1,047.75	(+)8.75	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 8.75 लाख से अधिक है। ₹1,949.44 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	54.15				
	पुनर्वि०	(-)1,949.44				
2235-02-103-0325 मातृत्व लाभ योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	6,956.20	7,761.33	7,768.73	(+)7.40	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 7.40 लाख से अधिक है। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9,230.97 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	10,036.10				
	पुनर्वि०	(-)9,230.97				
2235-02-789-0104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	500.00	900.70	(+)400.70	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 400.70 लाख से अधिक है।
2235-03-101-0101 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (2019-20)/राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	28,500.00	9,405.00	10,514.21	(+)1,109.21	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,109.21 लाख से अधिक है। ₹ 19,095.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)19,095.00				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-03-101-0102 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (2019-20)/राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	100.00	65.00	65.65	(+)0.65	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 0.65 लाख से अधिक है। ₹35.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)35.00				
2235-03-101-0103 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2019-20)/राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	500.00	325.00	343.33	(+)18.33	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 18.33 लाख से अधिक है। ₹ 175.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)175.00				
2235-03-101-0202 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	3,960.00	3,897.15	6,897.15	(+)3,000.00	प्रावधान में ₹ 62.85 लाख की हुई कमी, ₹17.87 लाख की वृद्धि तथा ₹ 80.72 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था। ₹17.87 लाख की वृद्धि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान-गैर वेतन के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण था। ₹80.72 लाख के प्रत्यर्पण भारत सरकार से विमुक्त राशि के आलोक में प्रावधानित बजट में बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 3,000.00 लाख से अधिक है।
	पुनर्वि०	(-)62.85				
2235-03-101-0302 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	700.00	1,729.70	3,438.85	(+)1,709.15	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,709.15 लाख से अधिक है।
	अनु०	1,029.70				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-03-102-0202 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	1,200.00	(+)1,200.00	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,200.00 लाख से अधिक है।
2235-03-789-0101 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	10,400.00	3,432.00	3,446.83	(+)14.83	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 14.83 लाख से अधिक है। ₹6,968.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)6,968.00				
2235-03-789-0201 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	44,540.00	22,026.52	22,030.23	(+)3.71	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 3.71 लाख से अधिक है। ₹22,513.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)22,513.48				
2235-03-789-0203 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	2,000.00	780.72	1,494.44	(+)713.72	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 713.72 लाख से अधिक है। ₹ 1,219.28 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)1,219.28				
2235-03-789-0205 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	7,137.58	(+)7,137.58	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 7,137.58 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-102-0001 वृद्धावस्था पेंशन (स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय)	मूल	0.00	0.00	46.91	(+)46.91	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 46.91 लाख से अधिक है।
2235-60-102-0101 वृद्धावस्था पेंशन (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	89.43	(+)89.43	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 89.43 लाख से अधिक है।
2235-60-102-0104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन याजना (राज्य स्कीम)	मूल	17,000.00	41,158.92	51,409.29	(+)10,250.37	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2000.00 लाख की कमी सहायक अनुदान-गैर वेतन में संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 10,250.37 लाख से अधिक है। ₹1,948.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	28,107.27				
	पुनर्वि०	(-)3,948.35				
2235-60-102-0105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	13,470.00	33,878.35	42,574.69	(+)8,696.34	₹1,709.53 लाख के प्रत्यर्पण संभावित बचत के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 8,696.34 लाख से अधिक है। ₹500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	22,617.88				
	पुनर्वि०	(-)2,209.53				
2235-60-789-0102 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	6,000.00	7,288.81	11,500.50	(+)4,211.69	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 4,211.69 लाख से अधिक है। ₹369.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,658.16				
	पुनर्वि०	(-)369.35				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2235-60-789-0103 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (राज्य स्कीम)	मूल	7,000.00	8,610.07	12,128.89	(+)3,518.82	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 3,518.82 लाख से अधिक है। ₹389.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	अनु०	1,999.18				
	पुनर्वि०	(-)389.11				
2236-02-101-0203 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	1,02,098.02	74,287.74	75,487.13	(+)1,199.39	₹9,800.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के मिशन शक्ति के लिए पत्रांक-1075, दिनांक-20.02.2023 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹ 614.48 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-4395, दिनांक-30.09.2022 के आलोक में आगनबाड़ी केन्द्रों पर पोशाक योजना के लिए अतिरिक्त उपबन्ध के कारण था। ₹3,866.10 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1075 दिनांक-20.02.2023 के आलोक में था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹1,199.39 लाख से अधिक है। ₹10,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।
	पुनर्वि०	(-)27,810.28				

अनुदान संख्या- 51- क्रमशः

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2236-02-101-0303 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.01	25,191.51	26,195.23	(+)1,003.72	₹16,000.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक-5037 दिनांक-16.11.2022 के आलोक में आँगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाईल फोन एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में ग्रोथ मोनेटरिंग डिवाईस उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त उपव्यय प्राप्त करने के कारण था। ₹ 2,170.00 लाख के प्रत्यर्पण योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-756 दिनांक-07.02.2023 के आलोक में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹9,835.04 लाख के प्रत्यर्पण वित्त विभाग का पत्रांक-625 दिनांक-12.09.2022 की कंडिका 29.5 के क्रम में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 22-23 के APIP की स्वीकृति के कारण था। ₹7,256.10 लाख के प्रत्यर्पण समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-5645 दिनांक-18.11.2022 के आलोक में आंतरिक सामंजन के कारण था। ₹ 2,500.56 लाख के प्रत्यर्पण समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-867 दिनांक-15.02.2023 के आलोक में था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,003.72 लाख से अधिक है।
	अनु०	62,953.20				
	पुनर्वि०	(-)37,761.70				
2236-02-101-0602 खाद्य (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	0.00	0.00	49.39	(+)49.39	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 49.39 लाख से अधिक है।
2236-02-789-0101 गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दुध पिलाने वाली माँ के लिए पौष्टिक आहार वितरण की योजना (राज्य स्कीम)	मूल	0.00	0.00	343.19	(+)343.19	पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 343.19 लाख से अधिक है।

अनुदान संख्या- 51- क्रमांत

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
2236-02-789-0204 एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	मूल	34,032.67	14,081.25	15,204.17	(+)1,122.92	₹19,951.42 लाख के प्रत्यर्पण वित्त विभाग का पत्रांक-625 दिनांक-12.09.2022 की कंडिका 29.5 के क्रम में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2022-23 के APIP की स्वीकृति के कारण था। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस के समाशोधन के कारण अंतिम अधिक व्यय, ₹ 1,122.92 लाख से अधिक है।
	पुनर्वि०	(-)19,951.42				

पूँजी (दत्तमत)

(v) ₹1,917.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जून 2022 (₹17,374.25 लाख) तथा दिसम्बर 2022 (₹1,923.47 लाख) में प्राप्त किया गया ₹19,297.72 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ। पिछले वर्षों से संबंधित ओ0बी0 सस्पेंस की समाशोधन के कारण ₹1,917.27 लाख की अंतिम बचत ₹11.34 लाख से कम है।

(vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹5.00 लाख), अंतिम बचत (₹1,917.27 लाख) से ₹1,912.27 लाख कम था।

(vii) बचत (₹20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यत: निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष			कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय (+) बचत (-)	अभ्युक्ति
			(₹ लाख में)			
4235-02-103-0201 मिशन शक्ति (संबल) - वन स्टॉप सेंटर (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)	अनु०	1,923.47	1,923.47	0.00	(-)1,923.47	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

डी0डी0ओ0 के बैंक खाते में हस्तांतरित किये गये राशि का ब्यौरा

मुख्य शीर्ष	2022-23 के दौरान हस्तांतरित राशि	2022-23 के दौरान कुल हस्तांतरित राशि में से खर्च की गई राशि	31 मार्च 2023 तक अव्ययित राशि
	(₹ लाख में)		
अनुदान नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।			
कुल			

परिशिष्ट-I

आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए व्यय का अनुदानवार विवरण, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी

(पृष्ठ संख्या (xv) पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

शून्य

परिशिष्ट-II

वर्ष 2022-23 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण

(पृष्ठ (xvi) पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
1 कृषि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,59,62,29	(+)2,59,62,29
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	64,47,85	(+)64,47,85
3 भवन निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,75	(+)3,75
पूँजी	0	6,78,67	(+)6,78,67
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	4,78	(+)4,78
6 निर्वाचन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	7,54,04	(+)7,54,04
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,31,58	(+)1,31,58
9 सहकारिता विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,94,90	(+)5,94,90
10 ऊर्जा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व		2,84,77,58	(+)2,84,77,58
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,51,02,58	(+)2,51,02,58

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
12 वित्त विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,69,43	(+)5,69,43
13 सूद भुगतान			
प्रभारित			
राजस्व	*1,00*	*0*	*(-)1,00*
15 पेंशन			
दत्तमत			
राजस्व	0	35,82,31	(+)35,82,31
16 पंचायती राज विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,52,35	(+)6,52,35
17 वाणिज्य-कर विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,58	(+)1,58
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,18	(+)6,18
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,51,80	(+)5,51,80
20 स्वास्थ्य विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	19,55,30	(+)19,55,30
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	6,75,22,22	(+)6,75,22,22
पूँजी	0	76,61	(+)76,61

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,70,78	(+)3,70,78
पूँजी	0	2,32	(+)2,32
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	52,12,93	(+)52,12,93
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,56	(+)3,56
25 सूचना प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	27,51	(+)27,51
26 श्रम संसाधान विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	15,14	(+)15,14
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	33,67,56	(+)33,67,56
प्रभारित			
राजस्व	*0*	*33,65*	*(+)33,65*
29 खान एवं भूतत्व विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,31	(+)3,31

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	13,06	(+)13,06
पूँजी	0	47,75	(+)47,75
32 विधानमंडल			
दत्तमत			
राजस्व	0	55,24	(+)55,24
33 सामान्य प्रशासन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	20,67,46	(+)20,67,46
प्रभारित			
राजस्व	*0*	*13,77*	*(+)13,77*
35 योजना एवं विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व		14,78,32	(+)14,78,32
पूँजी		1,87,51	(+)1,87,51
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	25,12	(+)25,12
पूँजी	0	3,08,64	(+)3,08,64
37 ग्रामीण कार्य विभाग			
दत्तमत			
पूँजी	0	6,15,10	(+)6,15,10

परिशिष्ट-II क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
38 मद्य निषेध, उत्पाद एव निबंधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,35	(+)1,35
39 आपदा प्रबधन ाविभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	11,55,62,49	(+)11,55,62,49
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,88,27	(+)5,88,27
पूँजी	0	9,05	(+)9,05
41 पथ निर्माण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	21,46	(+)21,46
पूँजी	0	64,57	(+)64,57
42 ग्रामीण विकास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	10,14,00	(+)10,14,00
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2	(+)2
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,42,76,48	(+)1,42,76,48
45 गन्ना उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	43,28	(+)43,28

परिशिष्ट-II क्रमांत

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	(₹ हजार में)		
46 पर्यटन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	17,26	(+)17,26
पूँजी	0	57,00	(+)57,00
47 परिवहन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	19,75	(+)19,75
48 नगर विकास एवं आवास विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	9,97,80	(+)9,97,80
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	22,65	(+)22,65
पूँजी	0	72,02	(+)72,02
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,57,90	(+)1,57,90
पूँजी	0	12,76	(+)12,76
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,73,78,26	(+)1,73,78,26
पूँजी	0	54,80	(+)54,80
योग			
दत्तमत			
राजस्व	**0**	**32,50,61,48**	**(+)32,50,61,48**
पूँजी	**0**	**21,86,80**	**(+)21,86,80**
प्रभारित			
राजस्व	***1,00***	***47,42***	***(+)46,42***
पूँजी	***0***	***0***	***0***
कुल योग	**1,00**	**32,72,95,70**	**(+)32,72,94,70**

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2023)।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/bihar/hi